Discussion on Election Reforms

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में चुनाव सुधारों जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है । सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि सदन में चर्चा संसदीय परंपराओं के अनुरूप हो, शालीन हो और सौहार्द्रपूर्ण हो ताकि हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे को और मज़बूत कर सकें ।

मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य अपने सार्थक विचार और अनुभव रखेंगे । हम किस तरह से चुनाव सुधारों में सहयोग दे सकते हैं और हमारे जो विचार हैं, हम उन्हें अभिव्यक्त करेंगे । हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर आरोप-प्रत्यारोप से बचकर हम चुनाव सुधारों पर ही चर्चा करें । ऐसा मेरा आग्रह है ।

श्री मनीश तिवारी जी ।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने का यह अवसर प्रदान किया है ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जब स्वाधीनता का संग्राम लड़ा गया, तो उसके दो बुनियादी लक्ष्य थे । सबसे पहला लक्ष्य था कि भारत को आज़ाद कराया जाए और दूसरा लक्ष्य था कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में परिवर्तित करके लोगों की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं, उनके स्वरूप में उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए । संविधान के जो निर्माता थे, जब उन्होंने राष्ट्र निर्माण में आज़ादी की उस लौ को, आज़ादी की उस ऊर्जा को समर्पित किया और उस ऊर्जा को मोड़ा, तब संविधान की परिवेचना में उन्होंने दो अहम बातें कहीं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे जो संविधान निर्माता थे, ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपने साथी सदस्यों से कहिए कि वे बैठ जाएं और आपको सुनें ।

? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं । सभी सदस्य मेरी बात सुनेंगे ।

अध्यक्ष जी, संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की परिवेचना में यह सुनिश्चित किया कि भारत एक सम्प्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर गठित किया जाएगा । जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस परिवेचना में दो और शब्द जोड़े गए ? समाजवाद और पंथनिरपेक्षता । आज वर्ष 2025 में भारत का जो गणतन्त्र है या गणराज्य है, यह उस स्वरूप में गठित है ।

अध्यक्ष जी, भारत के इस लोकतंत्र में दो सबसे बड़े भागीदार हैं। एक आवाम - 98 करोड़ वे लोग, जो मतदान करते हैं और भारत के राजनीतिक दल, जो विशेष तौर पर उन चुनावों में हिस्सा लेते हैं। वर्ष 1946 से लेकर वर्ष 1949 तक संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म, जाति, मज़हब, फिरका, सबके ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को, जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है, उसे मतदान का हक दिया जाए। यह उस समय हुआ, जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे, जहां मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पर दिया जाता था।

अध्यक्ष जी, आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 सालों में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ, वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया। वर्ष 1988-89 में मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों भारत के नौजवानों को मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्षों में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ।

अध्यक्ष जी, जब संविधान की संरचना हो रही थी, तो लोकतंत्र का जो यह सारा ताना-बाना है, इसको चलाने के लिए एक न्यूट्रल अंपायर भी चाहिए था। संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उस समय यह चर्चा चली की क्या चुनाव आयोग एक स्थाई संस्था होनी चाहिए या अस्थाई संस्था होनी चाहिए? जब 15 जून, 1949 को डॉ. बाबासाहब भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव आयोग को लेकर ड्राफ्ट आर्टिकल-289 प्रस्तुत किया, उस पर बोलते हुए श्री शिब्बन लाल सक्सेना, जो उस सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा, जिसे मैं क्वोट करना चाहता हूं :

> ?Our Constitution provides for the dissolution of the legislature when a No Confidence Motion is passed. So, it is quite possible that elections to the various legislatures in the province and the Centre will not be concurrent. Every time, some election or the other will take place somewhere. It may not be so in the very beginning or in the very five or ten years, but after ten or twelve years, at every moment, some election in some province will be going on.?

उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए डॉ. बाबासाहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थाई संस्था होगी।

अध्यक्ष जी, मैंने यह अंश इसलिए पढ़ा है, क्योंकि देश में ?वन नेशन, वन इलेक्शन? के ऊपर बहस चल रही है। लेकिन, अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको अगर अपने संज्ञान में लें, तो संविधान निर्माताओं ने यह देख लिया था कि भारत में 10-12 सालों के बाद अलग-अलग समय पर अलग-अलग राज्यों में चुनाव होंगे। इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ?एक देश, एक चुनाव? का कोई औचित्य बचता है या नहीं? इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर उस समय यह कहा था कि इस देश में अलग-अलग समय पर अलग-अलग चुनाव होते रहेंगे।

अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग को धारा 324 से लेकर 329 के तहत अख्तियार दिए गए। चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीदें थीं कि वह एक निष्पक्ष अंपायर होकर काम करेगा। लेकिन, मुझे बहुत खेद के साथ यह बात कहनी पड़ रही है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पर बैठे बहुत सारे माननीय सदस्य और इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है।

अध्यक्ष जी, अगर इस देश में सबसे पहला चुनाव सुधार होना चाहिए, तो वह चुनाव सुधार उस कानून में होना चाहिए, जो कानून वर्ष 2023 में बना था। वह कानून इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के चयन को लेकर बना था। उसकी जो धारा 7 है, उसकी सेलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, लोक सभा और एक कैबिनेट मंत्री, जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, इन तीन लोगों की समिति है। मेरा यह सुझाव है कि इसमें दो सदस्य और जोड़े जाने चाहिए। एक नेता विपक्ष, राज्य सभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश। दो लोग सरकार से रहेंगे, दो लोग विपक्ष से रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। अगर ऐसी समिति बनेगी तो ठीक से खेला होगा। चुनाव अयोग को लेकर लोगों के मन में भ्रम है। उसको शांत करने में ऐसी समिति बहुत अहम रोल प्ले करेगी।

अध्यक्ष जी, अब मैं संविधान की धारा 327 पर आता हूं। संविधान की धारा 327 ने संसद को ये अख्तियार दिए कि वह मतदाता सूची बनाने और क्षेत्रों का डीलिमिटेशन कैसे हो, उसके लिए कानून बना सकती है। वह कानून इस संसद ने बनाया है। उन कानूनों में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स हैं। आज मैं यह बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि देश भर में एसआईआर पर चर्चा है। कई देशों में एसआईआर हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसमें चुनाव आयोग यह कहता है कि उनको जो अधिकार है, वह सेक्शन 21 से मिलता है। मैं सेक्शन 21 पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

?The electoral roll for each constituency ? Mr. Speaker Sir, please mark the word ? each? ? shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this Act.?

इसके अलावा ?The said electoral roll ? (a) shall, unless otherwise directed by the Election Commission?? दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून इस सदन ने बनाया है, वह कहता है कि :-

?Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Election Commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the

electoral roll for any constituency ? not every constituency ? or part of a constituency in such manner as it may think fit.?

वह कानून जो इस सदन ने बनाया है, आगे कहता है:-

?Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the constituency ? a particular constituency ? as in force at the time of the issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.?

इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि न संविधान में, न कानून में स्पेशल इंटेंशिव रिवीज़न का कोई प्रावधान है।

यह सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में इलेक्टोरल रोल के साथ कोई गड़बड़ी है, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए for reasons to be recorded in writing and reasons to be made public, तभी आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते हैं। आप अगर एसआईआर करना चाहते हैं तो हर चुनाव क्षेत्र में अलग-अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को इन राइटिंग रिकॉर्ड करके, सार्वजनिक करके आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग और राइटिंग में वे रीजन्स कहां हैं? सरकार को चुनाव आयोग से उन कारणों को अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौनसे निर्वाचन क्षेत्र में कहां पर गड़बड़ है। चुनाव आयोग को क्या कंप्लेन मिली, उस कंप्लेन के आधार पर उन्होंने क्या इंक्वायरी की और क्या इंक्वायरी के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए? इसके जो कारण हैं वे सार्वजनिक होने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है या नहीं, तो अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। यह होनी चाहिए थी। आज मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेम्बली क्षेत्र, जहां भी एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या हैं, वे सदन के पटल पर रखने चाहिए। देश को यह जानने का हक है कि यह एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ईवीएम्स पर आता हूं। यह जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। लोकतंत्र एक भरोसे पर चलता है और वह भरोसा क्या है? जब वह 98 करोड़ लोग जाकर उस लाईन में खड़े होते हैं, पांच-पांच, सात-सात घंटे कभी धूप में खड़े होते हैं। अध्यक्ष जी, आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं मई-जून में कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है, उसको यह भरोसा होना चाहिए कि वह जो वोट डाल रहा है, वह सही जगह जा रही है कि नहीं। आज इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम मैनुपुलेट हो रही हैं, मैं यह कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनुपुलेट हो सकती है और जब लोकतंत्र में आवाम का भरोसा टूटता है, तो अराजकता फैलती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरेन रिजिजू जी यहां पर नहीं हैं। उस समय वे कानून मंत्री थे। मैंने दिनांक-25

मार्च, 2020 को इस सदन में यह सवाल पूछा था। अध्यक्ष जी, आप आसन पर थे, कि यह ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ईवीएम का जो सोर्स कोड है, क्या यह उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं या यह चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day, and I have not received any answer till now. मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वह उनके पास है या उन कंपनियों के पास है जो यह मशीनें बनाती हैं।

अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि लोगों में यह जो आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं कि या तो 100 प्रतिशत वीवीपैट की काउंटिंग हो या जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि हमको बैलेट पेपर पर वापस चले जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे, जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पर ये इजाद हुईं थीं वे सारे बैलेट पेपर पर वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वे बैलेट पेपर पर वापस चले गए?

उसका कारण यह था that after all, the EVM is a machine and any machine can be manipulated. मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी है, everything is kosher and everything is aboveboard, 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी में आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

देखिये, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो? अगर गिनती में तीन-चार दिन लग भी गए तो लोगों का भरोसा, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज-गूंज के कहते हैं कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। आज जो प्रश्न चिह्न ईवीएम ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है।

अध्यक्ष जी, अब मैं अगली बात पर आता हूं। सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया और चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। यह कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक महीने पहले, दो महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं? यह इसलिए चिंता का विषय है कि लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ होता है, वह तो होता है, भारत के राजस्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैंने संसद में एक सवाल पूछा था। 24 मार्च, 2025 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की जो कंबाइंड लायबिलिटीज हैं, उनकी जो देनदारी है, वह 2.67 लाख करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार की यह देनदारी 31 मार्च, 2026 को 196 लाख करोड़ रुपये होगी। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो है, वह वर्ष 2023-24 में 86.6 प्रतिशत है। 28 में से 18 राज्य ऐसे हैं, जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो 30 परसेंट से ज्यादा है। बिहार का 37 प्रतिशत है।

अध्यक्ष जी, मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 293 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो बॉरोइंग लिमिट्स हैं, वह दोनों की बॉरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें

एक आर्टिकल 293ए और जोड़ने की जरूरत है। उस आर्टिकल में यह होना चाहिए कि अगर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो 20 प्रतिशत से ज्यादा है, आइडियली तो वह 10 प्रतिशत होना चाहिए, तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार कोई कैश ट्रांफसर नहीं कर सकती है। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the State exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. यह एक बहुत अहम प्रस्ताव है, जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो कोई राज्य सरकार बदलेगी नहीं। चुनाव आया तो किसी ने 15 हजार रुपये, किसी ने 20 हजार रुपये, किसी ने 35 हजार रुपये लोगों के खातों में डाल दिए और आप दोबारा चुनकर आ गए। आपके सूबे का जो कर्जा है, वह और ऊपर चढ़ता जा रहा है। इस देश में कई सूबे तो ऐसे हैं, जो इंट्रेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। आप यह किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं? यह चुनाव जीतना, सरकार बनाना ? this is not an end in itself. हमसे पहले बहुत लोग आए और हमसे बाद में भी बहुत लोग आएंगे। अगर यह देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां यह कहेंगी कि हमारे जो पूर्वज थे, वे हमें एक धरोहर सौंप कर गए हैं। यह इंटर जनरेशनल इक्विटी नहीं सौंप कर गए हैं। मैं एसआईआर के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूं।

आप एसएआईआर कर रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि चुनाव आयोग के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है। कानून उनको एसआईआर करने की इजाज़त ही नहीं देता है। फिर भी यदि आप कर रहे हैं, तो आप राजनीतिक दलों को मशीन रिडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते हैं? उसमें क्या आपत्ति है? एक तरफ तो आप डिजिटल की बात करते हैं कि हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे। दूसरी तरफ, उसी डिजिटल पर आप मशीन रिडेबल लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह कैसी विडंबना है? यह कैसा खेला हो रहा है?

आखिर में अध्यक्ष जी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, आपने शुक्रवार को मुझे अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल रखने का मौका दिया। मेरी ट्रेन छूट रही थी, आपने बहुत कृपालुता की। उस समय आपने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड कर देना चाहिए? मैंने आपको कहा था कि मैं यह प्राइवेट मेंबर्स बिल वर्ष 2010 में लेकर आया था, 2021 में रखा था और 2025 में दोबारा लेकर आया हूं। देखिए, जब एंडी डिफेक्शन लॉ आया था, उसके पीछे नीयत बिल्कुल ठीक थी कि ?आया राम, गया राम? की राजनीति को रोकना चाहिए। पर हुआ क्या है? जो रिटेल प्रोसेस था, वह पहले होलसेल हुआ कि एक तिहाई डिफेक्शन, फिर 2003 में दो तिहाई डिफेक्शन, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी उसमें संशोधन लेकर आए, तब वर्ष 2014 के बाद तो बिल्कुल ही मेगा मार्ट एक्टिविटी बन गया है। उसकी सीधी-सीधी केजुअल्टी क्या हुई है? यह जो संसद में लोकतंत्र है, वह समाप्त होता जा रहा है। ये कॉन्स्टिटयून्सी, कॉन्शंस और कॉमन सेंस, ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, आपके पास रिसर्च का इतना ताना-बाना है, कभी आप एक रिसर्च करवाकर देखिए। वर्ष 1950 से लेकर 1985 तक इस सदन की डिबेट की क्वालिटी क्या थी और 1985 से लेकर 2025 तक उस चर्चा की क्वालिटी क्या रह गई है? फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

अध्यक्ष जी, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मेरी तीन मांगे हैं। चुनाव सुधार के ऊपर यह चर्चा है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के चयन करने का कानून बदलिए। उसमें राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए। साथ ही नामजद तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा, तभी तो खेल ठीक होगा। दूसरा, यह एसआईआर बंद कीजिए। There is no provision in law, which allows the SIR to go ahead. आप कहेंगे कि पहले जो सारी एसआईआर हुईं, क्या वे अवैध थीं? मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है। Multiple wrongs do not make a right. अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो अब हो रहा है, वह सही है। जिस तरह से तथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, यह किस तरह का एसआईआर हम इस देश में करवा रहे हैं? मेरा आपसे तीसरा और आखिरी अनुरोध यह है कि सरकारी पैसे से जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस चुनाव सुधार पर बोलने का मौका दिया।

<u>12.44 hrs</u> (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है, ताकि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन चाहे वह माननीय मनीष तिवारी जी हों या नेता प्रतिपक्ष हों, सभी आज भी एसआईआर की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तो पिछले तीन महीनों से केवल वोट चोरी, एसआईआर, जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसी तक अपने आपको सीमित रखने का काम करते हैं। जिस मुद्दे पर बिहार चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष यह समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देखकर मुझे शोले फिल्म का एक डॉयलॉग याद आता है।

असरानी ने कहा था कि हमें बड़े-बड़े सुधारने वाले सुधर गए, लेकिन हम नहीं सुधरे। ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये सारा दोष ईवीएम और एसआईआर को देंगे। ये अपने अंदर नहीं झाकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी मेहनत की बदौलत आज हमें बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एनडीए के 20 वर्षों के शासन का कोई मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। वे बिहार गए और केवल वोट चोरी और एसआईआर करते रह गए। बीस वर्षों के शासन के संबंध में बहुत सारी बातें हो सकती थीं, जिनका मुद्दा उठाया जा सकता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया। वे केवल एसआईआर-एसआईआर करते रह गए। पूरे बिहार की जनता कंफ्यूज्ड थी कि आखिर किसका वोट चोरी हुआ, क्योंकि बिहार की किसी जनता को पता ही नहीं था कि उसका वोट चोरी हो रहा है। सभी ने एसआईआर के फॉर्म्स भरे। हमारे 83

प्रतिशत नागरिकों ने स्वयं एसआईआर के फॉर्म्स भरे हैं और लोकतंत्र की जीत का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। बीएलओज 99.8 प्रतिशत घरों में गए और उनके घरों में बैठ कर, एक-एक घर का सर्वे करके उन्होंने फॉर्म्स भरवाए हैं। विभिन्न राजनैतिक दल, जिनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे, वैसे 1.5 लाख बीएलओज मदद कर रहे थे, एक-एक जगह पर एसआईआर का काम हो रहा था, लेकिन कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए इतने सारे कार्यकर्ता बीएलओज बना कर भेजे गए और वे कहते हैं कि वोट चोरी हो गया।

बीस दिनों तक बिहार पर्यटन का लुत्फ उठाया गया और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सीनसियरिटी है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अब अगर वे बिहार में पर्यटन करने जाएंगे, तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में आ जाएंगे। किसी काम को करने और कहीं पर घुमने जाने के लिए इससे ज्यादा कुछ उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिहार में इनकी इतनी ही हैसियत रह गई है।

अगर कांग्रेस को वोट चोरीके बारे में समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी वर्ष 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहर लाल नेहरू जी को प्रधान मंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी वर्ष 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा कर जनता के सारे अधिकारों को छीन लिया था। वोट चोरी वर्ष 1987 में जम्मू-कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारुख समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो विरोधी दल चुनाव लड़ रहे थे, उनको भगा दिया गया और कश्मीर ने वर्ष 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा, जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था।

सभापति महोदय, वोटी चोरी वर्ष 1991 में भी हुआ था। एक माननीय सांसद की दु:खद मृत्यु हुई, राजीव गांधी जी की दु:खद हत्या हुई। अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु होती है, तो केवल वहां का चुनाव कैंसिल होता है। हम लोगों ने पहली बार चुनाव आयोग को वोट चोरी करते देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया और 21 दिन अस्थियों को लेकर घुमाया गया तब चुनाव किया गया। मणिक्कम टैगोर जी वोट चोरी इसे कहते हैं।

बिहार में बूथ कैपचरिंग की शुरुआत किसने की? सबसे पहले बूथ कैपचरिंग की शुरुआत वर्ष 1957 में बिहार के बेगुसराय में कांग्रेस ने की। आज बात की जा रही है कि ईवीएम गलत है और बैलेट सही है तो वर्ष 1985 में बिहार के चुनाव के दौरान 63 हत्याएं हुई। वर्ष 1990 में चुनाव के दौरान 87 हत्याएं हुई। इस साल भी वहां चुनाव हुआ है तो हत्या और वायलेंस को जाने दीजिए, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। यह चुनाव की सबसे बड़ी सफलता है और मैं उसको धन्यवाद देता हूं। मनीष जी ने इसके लिए एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया है कि बिहार में इतना पीसफुल इलेक्शन पहली बार हुआ है। टी. एन. शेषन जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने वर्ष 1995 में पीसफुल चुनाव कराने का प्रयास किया था तो यही कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश ला कर और दो चुनाव आयुक्त लाकर टी. एन. शेषन जी का अधिकार कम करके वोट चोरी और बूथ कैपचरिंग की खुली छूट दी थी।

आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर द्वारा वोटर्स पुनर्रीक्षण हो रहा है तो इंडी गठबंधन को क्या दिक्कत है? उसको क्या दिक्कत है, मैं बताता हूं। जब बिहार में एसआईआर हुआ है, 35 लाख लोग ऐसे मिले, जिन्होंने

फार्म-6 नहीं भरा, हो सकता है वे लोग बिहार से बाहर गए हों, किन्तु यह भी हो सकता है कि वे लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या हों जिन्होंने डर के मारे फार्म-6 नहीं भरा। यही चीज कांग्रेस के साथी को बहुत पीड़ा देती है। अगर बिहार में फार्म-6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो बंगाल में कितने होंगे, इसी वोट पॉलीटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। इस देश में हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है। एसआईआर के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यां हैं उनको हम निश्चित तौर पर निकाल कर बाहर करेंगे। हमारे बिहार का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने केवल एक ही मुद्दा उठाया, वोट चोरी और एसआईआर। आज बंगाल से लेकर सभी जगह एसआईआर की ही चर्चा हो रही है, बंगाल के चुनाव में हम घुसपैठियों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ तृणमूल सरकार के कुशासन की भी चर्चा करेंगे। हम बंगाल में बहुसख्ंयक समाज पर होने वाले अत्याचार की भी चर्चा करेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वर्ष 2026 में वही बंगाल में होने जा रहा है।

अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा।

उसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार में हमारी सरकार हो गई और अब बंगाल की बारी है। यूपी में आप हो ही नहीं, यूपी में आपका पता भी नहीं चलेगा। भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 324 पर चर्चा करते हुए कहा था, ?The heart of democracy is a free and fair election, and free and fair election begins with a clean electoral roll ?. आज जब क्लीन इलेक्टोरोल रोल होगा तो क्या दिक्कत है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या दिक्कत है? जब बंगाल में बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार का अंत होगा तो इन्हें दिक्कत हो रही है। आज जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शरण देकर जबर्दस्ती इलेक्टोरोल में नाम देने वाले को हम समाप्त करने की बात करते हैं तब विपक्षी दलों को दिक्कत हो रही है।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की गुनाहों की, वोट चोरी की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं बोलते रह जाऊंगा, किन्तु वह खत्म नहीं होगी। लेकिन आज चुनाव सुधार की बात है। अभी मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, कैश ट्रांसफर पहले से क्यों हुआ? सबसे जरूरी सुधार की जरूरत है, वह है इस देश में फ्री फॉल बजटिंग बंद होनी चाहिए। बिहार सरकार का बजट कितना है, किसी भी राज्य सरकार का बजट होता है और हम वादा किए जा रहे हैं। आज मनीष तिवारी जी 10 हजार रुपये की बात कर रहे थे, लेकिन मनीष तिवारी जी ने यह भी बताया होता कि किस नियम के तहत माननीय नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी जी ने बिहार में कहा था कि हम हर घर को नौकरी देंगे। इसके पैसे कहां से आएंगे यह बताते तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती। वह बहुत प्रकांड विद्वान हैं। इन्होंने बिहार के चुनाव में वादा किया था कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। यह हर जगह बोर्ड लगा था। राहुल तेजस्वी आएंगे और हर घर में सरकारी नौकरी लाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके दावों को बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने 2 करोड़ 70 लाख पर भरोसा नहीं किया, परंतु मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। यह सबको बताना चाहिए कि 2 करोड़ 70 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख करोड़ रुपये केवल इसी के लिए जरूरत हैं। आप इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। अगर आप 2 करोड़ 70 लाख नौकरी दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बिहार की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारा परिवहन बंद हो जाएगा। अगर हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी तो किसी को भी काम करने की क्या जरूरत है? इस

तरह की बकवास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ही कर सकती है। हम लोग कोई लोक लुभावन वादा नहीं करते हैं, हम बिल्कुल जमीन पर काम करते हैं।

ये लोग एक तरह से आर्थिक आतंकवाद का काम करते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने वर्ष 2019 में न्याय की घोषणा की थी। हम पांच करोड़ लोगों को 72 हजार रुपये देंगे। इन्हें बताना चाहिए कि कहां से देंगे। इसका बजट कहां से आएगा? कुछ भी बोल देना है। इसका कोई मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं? यह लोकलुभावन नारे नहीं है, बल्कि यह क्रूरता है। यह एक तरह से युवाओं के साथ आर्थिक छल है। इसीलिए अगर बजटिंग हो तो धन का कैसे प्रावधान हो, इसकी भी एक स्वतंत्र एजेंसी से निगरानी होनी चाहिए ताकि कोई नेता और कोई पार्टी कुछ भी वादा नहीं कर सके। इसके विपरीत माननीय प्रधान मंत्री जी की गरीब कल्याण योजना है। शहरी योजना बिलकुल स्पष्ट होती है, सारे प्रावधान स्पष्ट होते हैं, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल योजना हो, ऐसी सभी योजनाओं के लिए बजट का प्रॉपर प्रावधान करके ही माननीय प्रधान मंत्री जी घोषणा करते हैं। यही कारण है कि इनके सभी वादों पर केवल और केवल मोदी की गारंटी भारी पड़ जाती है।

महोदय, मेरा एक सुझाव भी है। मेरा विपक्षी सदस्यों और अखिलेश जी से भी निवेदन है कि वे ध्यान से सुनें, क्योंकि हम सब मिलकर 129वें संशोधन, वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी देने की बात कर रहे हैं। यह कोई नया प्रयोग नहीं है। वर्ष 1967 से पहले हमेशा होता था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि यह समाप्त हो गया। लेकिन, यदि एक साथ चुनाव होता है तो इससे हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी। ? (व्यवधान) वोटर लिस्ट एक ही होगी। इससे सभी राज्य सरकारों को चार वर्ष का क्लीयर विंडो मिलेगा कि जो विकास करना है, कीजिए और पांचवा साल चुनाव के लिए होगा।

महोदय, हमारे विरोधी दलों को एक और भ्रांति है कि वन नेशन, वन इलेक्शन से भाजपा को फायदा होगा। मेरा मानना है कि अगर किसी पार्टी को सम्भावित नुकसान वन नेशन, वन इलेक्शन से हो सकता है तो वह हमारी पार्टी है। लेकिन हमारी पार्टी में यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, पार्टी उसके बाद और व्यक्ति सबसे अंत में आता है। इसलिए हम वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं। वर्ष 2024 में चुनाव हुआ और उसके तीन महीने बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होता है और आप बुरी तरह से हार जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही था कि जब हम लोगों को अलग से काम करने का मौका मिलता है, हमारा केन्द्रीय नेतृत्व 15-15 दिन बिहार में जाकर बैठता था। आपका नेतृत्व पर्यटन कर रहा था, विदेश दौरा कर रहा था। हमारे सारे कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी रहें, अगर महाराष्ट्र में चुनाव होगा और हम बिहार से फोन करेंगे कि यहां इलेक्शन हो रहा है तो यह भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वभाव है कि हम सब लग जाते हैं। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, हम सब मिलकर वहां भाजपा को जिताने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी क्या कार्यप्रणाली है, इसको समझना बहुत साधारण है। हमारे गृह मंत्री जी ने आज तक विदेश यात्रा ही नहीं की, क्योंकि विदेश जाने से भाजपा का वोट नहीं बढ़ता है। इसलिए वह यहीं रहते हैं, यहीं बैठते हैं और यहीं काम करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने 12 वर्षों में एक दिन भी विश्राम नहीं किया है। आपके नेता प्रतिपक्ष कभी बैंकाक घूमते हैं, कभी कोलंबिया घूमते हैं, कभी कंबोडिया घूमते हैं और आप सोचते हैं कि आप भाजपा से चुनाव जीत जाएंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। आप कभी हम से एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमारे

प्रधान मंत्री जी का बहुत क्लीयर मार्गदर्शन है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और इसीलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए सहर्ष तैयार है। आप सभी विरोधी दलों से भी अपील करते हैं, अन्यथा वर्ष 2027 में आप चुनाव में जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। आपके सारे विकट हम गिरा देंगे। हम आपको ही कह रहे हैं, क्योंकि आपको ही वर्ष 2027 में इलेक्शन में जाना है। अगर किसी दल को पांच-दस पर्सेंट एडवांटेज रहता है तो जब हमारा केन्द्रीय नेतृत्व उस राज्य में जाता है तो आपका वह एडवांटेज समाप्त हो जाता है और आप बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप ईवीएम को दोष देते हैं, एसआईआर को दोष देते हैं। ऐसा ही करते रहें, क्योंकि आप इसी कंफ्यूज़न में रहेंगे तो हमें भी चुनाव जीतने में बहुत सुविधा रहेगी। मेरे इन दोनों सुझावों के बारे में जरूर सोचा जाए कि इस पर आगे कैसे कार्रवाई करें? माननीय लॉ मिनिस्टर भी यहां मौजूद हैं।

सभापति महोदय, कल पूरे दिन वंदे मातरम् पर सदन में चर्चा हुई। आज वंदे मातरम् के तीन ही मूल संदेश हैं- राष्ट्र का सम्मान, संसद का सम्मान और जनादेश और संस्थानों का सम्मान।

-

<u>13.00 hrs</u>

अगर हम अपने जनादेश और संस्थानों का सम्मान नहीं करेंगे, तो यह संविधान की मूल भावना की बेइज्जती है, जिसे सभी को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य केवल वंदे मातरम् गाने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जीवन में उतारने में भी होना चाहिए। भारत हमारी माता है और इसकी गरिमा सबसे ऊपर है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका लोकतंत्र चुनावी रणनीति से ऊपर है, इसकी एकता वोट बैंक की राजनीति से ऊपर है।

इसी भावना के साथ मैं सदन के समक्ष कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुधार, जिम्मेदारी और राष्ट्र सम्मान के लिए अडिग है। हम मजबूत संस्थानों, मजबूत शासन और मजबूत भारत के पक्ष में खड़े हैं, इसीलिए राष्ट्र के सुधार में एक सकारात्मक विपक्ष बनकर अच्छे से देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।

भारत माता की जय।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता मनीश तिवारी जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से यह बात रखी, जिन मूल्यों को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन का गठन करने का काम किया कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, उस दिशा में उन्होंने जो बात रखी, मैं अपनी भावना और उनके विचारों से अपने विचारों को जोड़ता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने इस बात पर चर्चा करने और हम सब को अपनी बात रखने का मौका दिया।

मैं अभी जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जी की बात सुन रहा था, तो वे बिहार के इलेक्शन और भविष्य में आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर भी काफी चर्चा कर रहे थे।

महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी और जिस इलेक्शन कमीशन से हमें यह उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्यवाही होगी, वह हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मैं सबसे पहला उदाहरण यह देना चाहता हूं कि रामपुर लोक सभा क्षेत्र का बाइ-इलेक्शन हुआ, जब रामपुर लोक सभा क्षेत्र का बाइ-इलेक्शन हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि यहां से समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें यह आशंका थी कि हमें हर तरीके से दबाया जाएगा, चुनाव में हर तरीके से धांधली की जाएगी। जिस समय चुनाव शुरू हुआ, हमें वे चीजें देखने को मिलीं।

सभापति महोदय, वोटिंग के दिन हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पर लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले, रामपुर का बाइ-इलेक्शन हमने ऐसा देखा, जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकलें और वहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी लोक सभा का चुनाव जीती। मैं बाइ-इलेक्शन लोक सभा की बात कर रहा हूं। हमने एक-एक घटना की सूचना इलेक्शन कमीशन को दी है।

__13.03 hrs__ (Hon. Speaker *in the Chair*)

हमने एक-एक घटना के बारे में कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने कहां बैरिकेडिंग लगायी है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहा है, कमिश्नर क्या कर रहे हैं? उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब हम यह बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन ? (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) है, ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो नए-नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, ये न बोलें तो अच्छा ही है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा अखिलेश जी से आग्रह है।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं हैं। ये न पढ़े-लिखे हैं और न ही कुछ जानकारी रखते हैं।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ये अनपढ़ इसलिए हैं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो-जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, मैंने एक-एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक-एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक-एक पत्र इलेक्शन कमीशन को लिखा है। अगर उन्होंने उस पर एक भी कार्रवाई की हो, अगर ये जानते हों, तो मुझे बता दें।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था, जब हम लोग काँग्रेस पार्टी से लड़ते थे और एक समय आ गया है कि अब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वे जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था जब यहां लोक सभा में हमारे पाँच सांसद थे। इस बार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नम्बर पर किया और इस बार एक नम्बर पर समाजवादी पार्टी आई है।

जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की, जहां से आपने देश में कम्युनल माहौल बनाया था, अगर उस अयोध्या से कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत कर आए हैं। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहने की है, आखिरकार वह संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल यह है।

महोदय, मैं यहां से बाई-इलेक्शन का सवाल उठाता हूं। मैं तीन बाई-इलेक्शन्स का उदाहरण देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : यहां बाई-इलेक्शन पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा चुनाव सुधार पर हो रही है।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप चीज़ों को नहीं जानेंगे, अगर मैं इसका उदाहरण नहीं दूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो फिर मैं रिफॉर्म्स की क्या मांग करूंगा?? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बाई-इलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं तो क्या-क्या घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में बात तो करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं मिल्कीपुर के बाई-इलेक्शन की बात करना चाहता हूं, जो अयोध्या क्षेत्र में आता है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की कि यहां धांधली होने जा रही है, चुनावों में हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर किस अधिकारी को कहां पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, यह किया और हम लोगों ने ऐसे लोगों को रंगे-हाथ पकड़ा। एक व्यक्ति को पकड़ा, वे 6 वोट्स डाल कर आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा, जो दूसरी विधान सभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए, जो हजारों लोगों को लेकर उस विधान सभा में आए हुए थे। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म्स करना है तो रिफॉर्म्स तभी संभव है, जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं काँग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं। उन्होंने जो पहला सुझाव दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी यह मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अप्वायंटमेंट का जो तरीका है, वह तरीका बदला जाए। वह कम से कम ऐसा हो कि वह पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और यह दिखे कि कम से कम हमारी भी कुछ भागीदारी है, क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी, अगर उस व्यवस्था को किसी ने बदलने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव काँग्रेस पार्टी ने रखा है, उस सुझाव से हम सहमत हैं।

काँग्रेस पार्टी ने जो दूसरा सुझाव दिया है, थोड़े दिनों बाद काँग्रेस में सुधार आया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा और मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। वह इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। केवल भारत के लोकतंत्र में

ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोकतंत्र में यह हो रहा है। जो कुछ-कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत और जापान की तुलना कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर वे संपन्न देश, जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुणा आगे हैं, अगर वे ई.वी.एम. को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आखिरकार हम ई.वी.एम. को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और वहां बैलेट से वोट पड़ रहे हैं तो यहां पर भी बैलेट से वोट्स पड़ने चाहिए। मेरी जानकारी जहां तक है, वह जानकारी यह कहती है कि अगर जर्मनी में आप ई.वी.एम. से वोट डालेंगे, तो वह अन-कंस्टीट्युशनल माना जाएगा। यह सोचिए कि जर्मनी जैसा देश अपने यहां बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है तो फिर भारत जैसे देश में हम बैलेट पेपर से वोट डालने की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं?

रिफॉर्म्स की जो बात आई है तो सबसे पहला सवाल यही है कि रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अपने मूल रूप-स्वरूप में होती है, तो उसे ?फॉर्म? कहते हैं। जब वह मूल फॉर्म को खो बैठती है तो ?डिफॉर्म? हो जाती है और फिर उसी मूल फॉर्म में ले जाने का जो प्रयास होता है, वह रिफॉर्म कहलाता है।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह भी है कि रिफॉर्म की जरुरत क्यों पड़ी, हमारी चुनावी प्रक्रिया खराब क्यों हुई और उसे खराब किसने किया? किसी भी चीज के खराब होने के दो कारण होते हैं। एक यह कि उसे बाहरी लोगों ने खराब किया और दूसरा, वह कि उसके अंदर से ही किसी ने खराब किया या किसी ने अपने स्वार्थ के लिए करवाया।

अध्यक्ष महोदय, आज यह अजीब हालत है कि बाहर से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया अंदर से खराब हुई है। यह उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता था कि लोक सभा के बाई इलेक्शन में मैंने इसे देखा था। जिस तरह की शिकायतें की गई थीं, लेकिन एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं फर्रुखाबाद के लोक सभा चुनाव का एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हालांकि मैं और लोक सभा चुनाव के बारे में नहीं कहूंगा। वर्ष 2024 के फर्रुखाबाद लोक सभा चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा था। वहां के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाते रहे। वहां कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का एक रिजल्ट नहीं बदला गया, बल्कि कई जगह रिजल्ट बदले गए। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए, हम इलेक्शन कमीशन को बताते रह गए कि धांधली हो रही है, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। यह केवल एक लोक सभा में नहीं, बल्कि मैं फिर लौट कर आता हूं। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, वहां वोट चोरी नहीं हुई, बल्कि वोट ? * हुई है। मैं फिर कहता हूं कि जहां-जहां आप लोग बाई इलेक्शन जीते हैं, अभी वर्ष 2027 भी आने वाला है। आप वहां एक भी विधान सभा चुनाव जीत कर दिखा देना, मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां एक भी सीट जीतने वाली नहीं है।

दूसरा, समय-समय पर अकाउंट में जो पैसा आ जाता है, यह लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। आपने बिहार में 10 हजार रुपये बांट दिए। अभी हमने सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है। अब आप लोग 10 हजार रुपये के वादे से मुकर रहे हैं। मुझे याद है कि जिस समय मैं उत्तर प्रदेश में फ्री में मोबाइल देने जा रहा

था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि चुनाव को इंफ्लूएन्स करने के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किसी ने इसको रोक लगाने का काम किया था तो वह भारतीय जनता पार्टी थी। एक तरफ तो आप अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई जनता के लिए पॉलिसी लेकर आता है तो उसको आप रोकना चाहते हैं। यह भेदभाव अगर किसी ने देखा है तो हम लोगों ने देखा है।

तीसरा, हम चाहते हैं कि चुनाव में मीडिया का जो रोल है, कुछ बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। हमारे जो गरीब मतदाता हैं, वे कभी-कभी हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग टीवी पर आते हैं, मगर जाते ही नहीं हैं। आखिर इसका कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय हम सभी पोलिटिकल पार्टीज को बराबर स्पेस नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह सुझाव भी है कि चाहे वे प्राइवेट हों या सरकारी हों, मीडिया में हम लोगों को भी बराबर का स्पेस मिलना चाहिए। अब जब नया जमाना आया है तो एक नई चीज भी आई है, वह सोशल मीडिया है। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए, उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जितने भी नकारात्मक कैंपेन हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, जिसके माध्यम से हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हों। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं, वे हजारों-करोड़ों रुपये इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। चुनाव जितना करीब आता है, उतना सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अगर कोई नेगेटिव कैंपेन कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉण्ड की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या बात करूं। अगर सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड किसी को मिले हैं, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। कांग्रेस भी हमारे मित्र ऐसे हैं, जो हमें नहीं बताते हैं कि कहाँ से मिलते हैं। ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास है, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे। ? (व्यवधान) वो आप बता देना।

अध्यक्ष महोदय, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला खेल है, ये दिखाई देने वाला खेल है। उसमें हम लोग कहाँ टिकेंगे, रीज़नल पार्टियाँ कहां टिकेंगी। इसलिए अगर यह तरीका हो कि चुनावों में खर्च कैसे कम हो, इस पर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि यह खर्चा कैसे कम किया जाए।

जहाँ तक एसआईआर की बात है, यूपी में जो एसआईआर चल रही है, उसमें अभी तक दस लोगों की जान जा चुकी है। जिन बीएलओज़ को गांव-गांव और गली-गली जाने का काम मिला है, उसमें लगभग दस लोगों की जान जा चुकी है। हमारे पास नौ लोगों की सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। बिजनौर में बीएलओ शोभारानी को 29 नवम्बर को हॉर्ट-अटैक आ गया। देवरिया के लेखपाल आशीष कुमार की 29 नवम्बर को ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी

लगा ली। मैं खुद इस परिवार से जाकर मिला था। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर काम का इतना बोझ था और अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वह क्या करते?

अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बीएलओज़ को ट्रेनिंग देंगे। मैं यह दावा कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओज़ को ट्रेनिंग मिली होगी और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो देनी चाहिए थी। जो बीएलओ ड्यूटी में लगाए गए हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने परिवार के बीएलओ सदस्य को मदद पहुँचाएं। कई बार महिलाएं अपना फॉर्म नहीं भर सकती हैं। उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि हम उनका फार्म कैसे भरवाएं। नौ लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से दो लाख रुपये की मदद की है। हमारी मांग है कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक करोड़ की मदद होनी चाहिए और उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, धांधली कैसे होती है, चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे माननीय सदस्य राजीव राय जी बैठे हुए हैं। वह किताब लाए हैं या नहीं लाए हैं। वहाँ पर चुनाव घोषित नहीं हुआ, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर वोट पहले ही काट दिए। ये लिस्ट है, इसमें अगर एक भी गलत हो, तो बता दीजिए। चुनाव हुआ नहीं और इलेक्शन कमीशन ने उसके पहले ही वोट काट दिए। कितने वोट काटे हैं, पंद्रह हजार वोट काटे हैं। वर्ष 2022 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर और सरकार के लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में हर विधान सभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर-करके वोट काटे थे। यह चिन्हित किया था कि समाजवादी पार्टी का वोट कौन है, इसे काटा जाए और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। जब इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की, तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे और यह कहा था कि ये जिंदा थे। इन्होंने वर्ष 2017 में वोट डाला था और वर्ष 2022 में उनका वोट कट गया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए यह सुधार की प्रक्रिया चुनाव आयोग से ही शुरू होनी चाहिए।

चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा - चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उप चुनाव में चुन-चुनकर अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, हमारे द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हजारों एफिडेविट्स प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद हैं, वॉशिंग मशीन फॉर्मूले पर, जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है।

सत्ताधारियों के पैसे बाँटने पर और फिर पकड़े जाने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चुन-चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होनी चाहिए। नकली वोटर्स से वोट डलवाने पर, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना चलाकर घूस देने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब 'वन नेशन वन इलेक्शन' की बात होती है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वे एक वोटर लिस्ट भी करवा देंगे। उन्होंने यह कहा कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' तो होगा ही

होगा, उसके साथ वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने, चूँकि अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं जैसे एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये यूपी में आधार को ही नहीं मान रहे हैं। आधार जैसा कार्ड, जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आईज़ हैं, आपकी पूरी डिटेल है, उसके बावजूद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यह एसआईआर नहीं है। आप अन्दर ही अन्दर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेन्टर बना रहे हैं। एसआईआर में जिसका नाम नहीं है, उसके लिए डिटेंशन सेन्टर की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि जो काम ये एनआरसी में खुलकर नहीं कर सकते थे, वह काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी-कभी कहते हैं कि देश में घुसपैठिए हैं और उनके लिए डिटेंशन सेन्टर्स बन रहे हैं।

दरअसल, सबसे बड़े सुधार की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। चुनावी धांधली होने पर तय समय सीमा में कार्रवाई हो। विपक्षी अनदेखी न की जाए। विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात न हो। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम न करे। चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर न रह जाए। चुनाव आयोग ईमान की लगाम कभी न छोड़े। चुनाव आयोग यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझे कि उसकी आज की गलती देश के भविष्य को सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की वजह से चुनाव आयोग की जो छवि खराब हुई है, वह अब और नहीं होगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स तब तक निरर्थक हैं, जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के गठन में पहले जो व्यवस्था थी, वह पुन: लागू हो। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन में सुधार संभव है। इलेक्शन कमीशन जितना मजबूत होगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हम संविधान से जितना खिलवाड़ करेंगे, उतना ही समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी।

आज कल्याण बनर्जी सूट बूट में हैं और टाई भी लगा रखी है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you, hon. Speaker, Sir.

माननीय अध्यक्ष : आज तो आप सूट और टाई के हिसाब से ही बोलेंगे न?

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am obliged that you are holding the Chair.

Sir, after the commencement of the Special Intensive Revision (SIR), huge work pressures, inhuman work pressures, were faced by the BLOs. As a result, thereof, in West Bengal, 20 persons have committed suicide and suicide notes are there; five persons became ill; 19 persons have expired; and three persons attempted to commit suicide. Who will be responsible for this? Is it the Election Commission? And it has been pointed out that because of the pressure, they are committing suicide.

Sir, this is not a lone picture of West Bengal. Let me tell you about Uttar Pradesh. अखिलेश जी ने इसके बारे में अभी-अभी बोला है। There were 10 persons. It is a BJP-ruled State.

In Madhya Pradesh, there were 9 persons - BJP ruled State; In Gujarat there were 6 persons - BJP ruled State; Rajasthan जो कि आपका और बीजेपी का स्टेट है there were 3 persons, क्या कभी उन लोगों के पास आपके कोई एमपी या चीफ मिनिस्टर गए हैं? क्यों सुसाइड किया? हम लोग गए थे। In Kerala which is ruled by CPM, there were 1 person; In Tamil Nadu ruled by DMK there were 2 persons. The three are non-BJP ruled States, and five are BJP ruled States.

Let me talk about some constitutional provisions and the law. Sir, Article 324 of the Constitution of India has given the Election Commission the power of superintendence, direction and control of elections, including the preparation of the electoral roll.

Article 327 of the Constitution of India empowers Parliament to enact laws for the purpose of elections - elections to the House of the People, subject to the provisions made by Parliament from time to time by law, with respect to all matters relating to or connected with elections to either House of Parliament or to the Legislative Assemblies.

Therefore, by virtue of this power under Article 327, this Parliament has enacted the Representation of the People Acts, 1950 and 1951. The Act of 1950 is the subject matter today because it deals with the electoral roll.

The Election Commission keeps saying, ?I have the power of superintendence; I can do anything.? But, with respect, I submit that the power of superintendence cannot override the power enacted by Parliament under any Act, under Article 327.

How does this power operate? How will the electoral roll be prepared? That has been provided by this Parliament under the Representation of the People Act, 1950 and the rules framed thereunder ? the Registration of Electors Rules, 1960. Section 21 and Section 22 of the Act deal with the preparation and revision of electoral rolls.

Section 21(3) states that notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Election Commission may, at any time and for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or any part thereof, in such manner as it deems fit. If the word used is *?*Constituency*?*, we cannot read it as ?Constituencies*?*. We cannot interpret this provision to mean that, by invoking the power under Section 21(3), the Election Commission can order a revision for the entire country. This SIR cannot be done.

There already exists an electoral roll, and as long as this electoral roll exists, any election must be conducted on the basis of the existing electoral roll.

13.29 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

Sir, these are the Rules - the Representation of the People (Registration of Electors) Rules, 1960. From Rule 5 to Rule 22, they deal with the registration of electors - how it is done, and how the electoral roll is prepared.

Sir, here, more important is the Rule 24. Rule 24 speaks about this. If any constituency is delimited anew in accordance with law and it is necessary urgently to prepare the roll for such constituency, the Election Commission may direct that it shall be prepared by putting together the rolls of such of the existing constituencies or parts thereof and by making appropriate alterations. Therefore, the moment delimitation has taken place, electoral roll has come into force under the operation of these rules and only that roll will remain. How does the 2002 electoral roll exist? Delimitation was effected in 2009. Electoral roll was prepared in 2009. All of us, many of us, have been elected and come to this House on the basis of that electoral roll. If this electoral roll comes, 2002 electoral roll has gone, it does not exist at all. The whole SIR is contrary to Rule 24 and also contrary to the constitutional provisions and the Act and that is absolutely unconstitutional. You cannot do it. It is not the whims and choices of the Election Commission or its caprice. Election Commission has to go by each and every word of the Act and the Rules. It cannot do the delimitation in this fashion.

Sir, have you seen the enumeration list? In the enumeration list, it has the names of the relatives. Relatives are not defined under the Act. Relatives have not been defined under the rules. My brother is also my relative. My wife is also my relative. My uncle is also my relative. My father-in-law is also my relative. But the Form F has been made in such a way that unless the parents names are not there, they would not be treated as relatives. The app will not entertain. It will reject.

Sir, the question is whether an app will decide who will be my relative. My brother is not my relative, my wife is not my relative, how can it be? If my wife?s name is there in 2002 list, if my name is not there in 2002 list, and let us assume that my parents have died, then, I will not be included. What is the ambition? What is the object? The object is the inclusion, and here, that object is being defeated. SIR is only to delete the electors. It is only to delete the electors. How will new voters come? What is the Election Commission saying? No, allow us to do this SIR. Thereafter, we will take up the exercise of the enrolment of the new electors. Is it not contrary to the Act and Rules? Is it not contrary to the Constitution? Why can an elector whose name was there in 2024 be said, he is not for the time being an elector since his name is not there in 2002? You are taking away the right. Election Commission will take away my right to remain as an elector. Even for one day, the constitutional right cannot be taken away if right under the Constitution is there.

Sir, one thing is there which is called voters? right. Only in that case, you have a right to election. आप जब वोटर ही नहीं रख रहे हैं तो इलेक्शन क्यों रख रहे हैं? वोटर को डिलीट कर देंगे तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? यह पहले भी था और अब भी है, elector will decide about the Government as to who will be my Government. अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं Government through the Election Commission मुझे वोट देने वाला मेरा वोटर कौन-कौन होगा, वह डिसाइड करते हैं।

Why is it so?

HON. CHAIRPERSON: The Election Commission is a Constitutional body.

SHRI KALYAN BANERJEE: Yes, Sir, Election Commission is a Constitutional body. Sir, so many persons have said this. Nobody raised any objection but you are raising an objection. सर, मैं बोल रहा हूं, इसलिए ऑब्जेक्शन मत कीजिए। आप सुनते रहिए। ? (व्यवधान) इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल सकते हैं।

Sir, the relatives will be deprived of it. I am telling you an incident. One lady from my constituency came to me and said: ?Sir, we have a great difficulty.? I said: ?What has happened?? She said: ?The names of my father-in-law and mother-in-law were there in the electoral roll of 1995. They were working in the Railway Department at Kharagpur. In 2001, at the end, they were transferred. In 2002, when the S.I.R. was brought in, as they were transferred, their names were not included. Thereafter, their names have again been included. Now, they are not enrolling my mother-in-law as the name of my father-in-law is not there.? What an unfortunate thing is going on in the country. An employee has been transferred in 2002. Now, his name is not there, and there is no rule to enrol him. I asked her: ?In case your father-in-law has expired, do you have the name of your uncle or not? If it is there, put that name. If the Election Commission does not do it, I will see to it upto the Supreme Court. I will let them know the power of Supreme Court.? Nobody is above the law. No one is above the law, and the final wording should be said by the Supreme Court of India. Aadhaar Card was not mentioned in the first enumeration list. In case of Bihar, Supreme Court has included the Aadhaar Card in the last list of documents, which has resolved so many problems.

Sir, as far as the deletion part is concerned, I would like to know whether the objective of this entire exercise is to delete the names of the voters or not. This is a very crucial question. That cannot be the purpose. But, what is the Election Commission saying? They are saying that three lakh voters, five lakh voters or seven lakh voters have been deleted, and the BJP people are dancing in West Bengal. एक करोड़ चला जाएगा, एक करोड़ चला जाएगा। सर, यह कैसे हो सकता है? What is the Election Commission doing? They are busy in finding out whether an elector is a citizen of India or not. Under the provisions of the Representation of the People Act, Repression People's Act, ?an ordinarily resident? can be enrolled, not necessarily the ?citizen of India?. Who will decide this? Will the Election Commission decide who is the citizen? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Then, follow it.

श्री कल्याण बनर्जी : सर, मुझे बोलने दीजिए। आपने तो फॉलो कर लिया, देश का आदमी फॉलो नहीं कर सकता है। देश का आदमी भी सुन रहा है। आप सिर्फ अकेले नहीं सुन रहे हैं। हमें बोलने दीजिए।

Who will decide about the citizenship? It should be decided as per the Citizenship Act, as per the authority. It should not be decided by the Election Commission of India. Even if any foreigner is there, who can arrest him? Is this the Election commission? Certainly, not. There is a law relating to

that, and it will be decided according to that. To whom is this power given? This power has been given to the police. Therefore, the Election Commission is not the authority to decide who is a citizen and who is not a citizen. बिहार में तो आप लोगों ने बहुत कुछ किया। आपने कहा कि हम सब घुसपैठियों को निकाल देंगे। मोदी जी, जाकर स्पीच दे रहे थे कि हम लोगों ने घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर किया है।

एक भी घुसपैठिया बिहार के इलेक्शन में नहीं मिला। जब बिहार का एसआईआर हुआ, वहां पर एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। अरे, घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where are the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, where are they? The BSF could not detect them. The CISF could not detect them. ... * . That is not the fault of anyone else.

सुनिए सर, आप इतनी बातें बोल रहे हैं। अभी मिजोरम में क्या हुआ। The power has been given to the authorities in Mizoram ? (*Interruptions*) गृह मंत्रालय ने मिजोरम को परमिट कर दिया है, जो बाहर से आते हैं, उनकी एंट्री करो। Why? What is the reason? Is the State of Mizoram a favourite child of Shri Narendra Modi ji and Shri Amit Shah ji? If someone speaks Bengali in Delhi, would you say that he or she should be arrested. You have seen the order of the Supreme Court. पहले उनको ले आइए उसके बाद उन पर विचार होगा। सोनाली बीबी को ले आना पड़ा, उसके बाद विचार होगा। देश से सभी बंगाली लोग को रोहिंग्या बोलकर निकाल देंगे और रोहिंग्या कहां आ रहे हैं, रोहिंग्या मिजोरम में आ रहे हैं under the directions issued by the Home Ministry. I understand the problem. The BJP is basically Bengali ...*. That is the reason Vidyasagar?s statue was broken. That is the reason Raja Ram Mohan Roy has been seriously criticised. ... * They hate Bengalis. This is your work that you have done.

Sir, I will be very quick and cover three or four points more.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 20 minutes.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, give me five minutes more.

It is stated that the process has caused panic, but do not cut it from Shatabdi. There has been a suicide attempt due to SIR panic. A mother attempted suicide along with the child under the documentation fear. The Matua community went on a hunger strike. Sir, do you know what is happening? One of the Ministers of State belonging to the BJP, sitting in West Bengal, is giving citizenship certificate to Matua community. Can you imagine? But, the Central Government is not arresting that Minister. This certificate will be given under the Citizenship Act, not under any other law.

Sir, in my constituency, labour from Matua community cast vote for me. When SIR was going on in one of the areas in my constituency, Domjur, Jagadishpur, a large number of people from Matua community came to me and said that their names would not be there. I asked them not to worry, I am here and Mamata Banerjee is here. We will see them in the political fight and in the Supreme Court also.

Sir, BLOs are linked with the SIR. Wi-fi connectivity is not available in the remote villages and you are saying that they have to work there. Even in the Panchayat Office, the Election Commission is not allowing the BLOs to function from where the wi-fi connectivity is available. Sir, BSF exercises quasi-judicial authority deciding who will be the citizen of this country. The residents from the border districts experience constant fear of non-citizenship due to lack of proper adjudication procedure. I have spoken about the BLOs only. I have not spoken about the voters. When the SIR started, illegal pushback practice has commenced. All of a sudden, they have risen to push back the foreigners.

Sir, I thank you. At least, you have tolerated me this time. ... * I am grateful to you.

***m08THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam, Long live Tamil. Elections should be held in a fair and neutral way for electing the Members like us to the Parliament as well as the Members of the State Assemblies. This work has been assigned to the Election Commission. Since the day BJP came to power the belief and trust on this Election Commission has come down in the eyes of the common man. Not only people, Politicians like us have also lost trust in Election Commission. There is complete trust deficit. I can cite this with several examples. During the year 2014, BJP came to power. That time BJP had a secret alliance with AIADMK. During 2014 elections, a woman leader distributed money with an ambition of becoming Deputy Prime Minister and won the elections by securing votes. When we opposed at that time, do you know what the Election Commission was doing? When we went and lodged a complaint saying that they were distributing money to woo the voters. The Election Commission did nothing. But it ordered Cr.PC 144 and ensured that AIADMK could distribute money hassle-free to the voters. In that way, the Election Commission indirectly supported AIADMK. As a result, during the 2014 elections, we could not get elected to this august House. I have already pinpointed this mistake of the Election Commission. Not only that Sir.

I want to ask whether Election Commission is truly impartial. How is it impartial? 2019-Elections were held in different phases. During the last phase of that Lok Sabha Election, for the last two days election campaigning was restricted to ensure peace and tranquility everywhere. What happened in 2019? Election Commission gave special permission to our Hon Prime Minister. Where? He was allowed to go to Kedarnath temple. Prime Minister will do meditation only during election and he will not do mediation otherwise. After that Prime Minister thanked Election Commission as during those two days, all the TV channels showed PM?s face time and again continuously non-stop giving widespread coverage to him. After stopping all others from election campaigning, who is engaged in indirect campaign? It is the Election Commission. Similarly, during the 2024 elections, after finishing Kedarnath temple visit last time, Prime Minister came to our side. He went to Vivekananda Rock at Kanniyakumari and sat on meditation. Is it fair? Whether the Election Commission is neutral and fair while doing its duty? Election Commission will say that they want to stop distribution of money to voters whenever elections are held. But they never had seized any money of the candidates of BJP or the candidates belonging to the alliance parties of BJP. They only target the parties in the Opposition and their candidates. I want to request the Election Commission to really undertake necessary genuine measures and if it does so we can also support them in such things. We will stand with you wholeheartedly if you do good work. We want real and true voters. We do not want bogus voters who find a place in two lists. You can delete those deceased voters for the list of Voters. Those who have been displaced should be included in the list of voters where they normally reside after displacement. There is no second thought on this issue. But what have a different kind of fear. Hon. Finance Minister recently came to Chennai, and said that there are 7000 fake votes in a particular constituency. I want to ask why are showing so much concern. It looks like as if a wolf was crying after seeing a goat drenched in rains. What does it mean? You are working in tandem with the Election Commission. It is our requirement. That?s why I am asking you. Without doing any revision, this Election Commission was sleeping all the time like Kumbhakarna all these years. If there are fake or bogus voters in the list, you should have done revision of voters list well before elections. It should have been done well ahead of elections. But why are you carrying out this Special Intensive Revision, S.I.R. work just 3 months to go for Assembly Elections in Tamil Nadu. You should have started this revision work before 6 months. We are afraid of this fact. What kind of fear it is? On 8 November 2016, a person appeared on TV at 8 pm and said in a haste manner that from then onwards Rupee Notes having denomination of Rs 500

and Rs 1000 would become invalid. This was demonetization. He also said that the money which you had in bank accounts does not belong to you. Similarly, on 4 November 2025, they have started a programme named S.I.R and said to the people of Tamil Nadu and some other States that only when they register once again they can be eligible voters. They say that your voting right has been snatched away overnight. Won?t you be afraid of this? Who is behind all these actions? Such thoughts can come to only one person in this country. This kind of thought can appear only in the minds of Hon Prime Minister of India Narendra Modi. He can only bring overnight changes on everything around you. How many lives are lost due to his actions? If you see during last 29 days of this S.I.R., as many as 47 people have lost their lives. Particularly Officials died when they were engaged in Special Intensive Revision work. Is it good? Is it proper? Whatever the decisions you take, only the poor get affected and loose their lives. I want to ask you. If the Election Commission wants to conduct elections in a free and fair manner, it should go for a pilot project. This should be carried out in at least 4 Constituencies of a particular State. If you achieve success there, you can take this to other States of this country. You carried out S.I.R. in Bihar. What happened there? How many lakh voters have you found to be fake or bogus voters when you conducted S.I.R in Bihar? Have you set it right there in Bihar? You claim to say and do several things. But everything is impossible for you. What have you done? Now the Election Commission says that it is engaged in finding a particular person or a voter is an Indian or not. Is it your work? Is it the work of Election Commission? Sir I don?t understand one thing. If I am a voter and I have my voting right, what should the Election Commission do? I want to say that it is the primary duty of the Election Commission to say to any eligible voter that he/she has a vote and it is the right to exercise his/her adult suffrage. But the Election Commission has failed in its duty by putting the blame on the people, the voters. I want to ask you one thing, if you want get married, you may not need a bride. But you will definitely require Aadhar card.

Similarly if you want to get divorce, then again you may need an Aadhar card. If you give birth to a boy/girl then again you may need an Aadhar card. If you want to drive a car and for getting driving license, you may certainly need an Aadhar card. If you want to study in a college, you will definitely need an Aadhar card. If you want to pursue studies in a College, if you want to open a Bank Account, if you want to go for a Government job, you may need an Aadhar card. Even if one dies, Aadhar card is needed either to bury or cremate his body. Somehow this Government has attached Aadhar as mandatory in several programmes and measures. But they have bluntly refused

to accept Aadhar card in the case of Voters and Voter list. Opposition parties went and approached hon. Supreme Court and only on the directions of the hon. Supreme Court, Aadhar card was once again accepted as an approved document. Why will not the Election Commission accept Aadhar which has been accepted in several places? I request you to link Aadhar with Voter Identity cards. If it is linked, you may not need to go for caste-based Census. Because every data is available in Aadhar card. Whichever State they are, their details are completely provided in Aadhar card. But why BJP is afraid of that? There is fear.

Every time you engage in such an activity, you intention, your objective, and your effort is to come to power by hook or crook or by ill means. If elections are due in a particular State, Home Minister Amit Shah pays a visit to that State 6 months prior to elections. He will come to threaten; and which will be followed by actions of teams from ED, CBI and Income Tax department. Till that time none will come from neither ED nor CBI. They have a team which has work in the election-bound States. There are separate teams comprising ED and Income Tax used only to threaten. Whether the Election Commission would be silent on these lines? We want a fair and just elections. We want equality of everything to be implemented. Is it not the duty of the Election commission to stop such backdoor activities? But they are continuously engaged in activities hurting the general public. I am saying this. You take Tamil Nadu for example.

Our Tamil Nadu is a peaceful State. They are trying to do several things. The way they did in Ayodhya, they wanted to try in Tirupparankunram also. But you cannot reap success as long as our hon. Chief Minister and the leader of Dravidian Model of Government Shri M.K. Stalin is there in power. Sir we have a big fear in our minds. Some say that the Election Commission has swung into action for taking away the voting right from the eligible Voters in three phases. If you are given birth before July 1987, you can have only two documents. If you were born between July 1987 and 2004, you are expected to have 3 documents. And thirdly if you were born after 2004, you need to provide 13 documents mandatorily. Whether your father and mother have voted? Or else whether they are alive? Ate you Indians? That?s alright. But to our surprise, the Election Commission has included the 13th document. S.I.R. has been completed in Bihar. What is the 13th document? If you have fulfilled the requirements of Special Intensive Revision in Bihar, you can vote in any State of this country. How fair is this? Not even one month has passed after holding Elections in Bihar. In April 2026, Elections are due in Tamil Nadu. The person who has voted in Bihar after inclusion in S.I.R,

he becomes eligible to vote in Tamil Nadu election as well. What is the reason? See the pathetic situation for Tamil Nadu which embraces everyone who come for a livelihood. There are more than 1 Crore people belonging to Bihar working in Tamil Nadu is a respectable manner. Because there is no job opportunity in the BJP ruled States of the country. If they want their life to get improved and to have their livelihood searching for job opportunities, they have to depend on the Dravidian Model of Government in Tamil Nadu. If one Crore Bihari people come to Tamil Nadu, will you not be afraid? What is the role of Election Commission? Are you fair in your actions?

People who are indirectly working for BJP have already voted for BJP in the just concluded Bihar elections. If you permit them to vote in Tamil Nadu also, it means that they have wrong intentions. It won?t happen. Whatever way you use to come to power, be it backdoor entry, people from Tamil Nadu, particularly Tamil speaking people will not agree to it. I want to ask you. The world countries were praising India for sending a rocket under Chandrayan-3 Mission to Moon. How did you send? Nations try to develop technology of slingshots. You used the technology which was not used even by Developed countries. You used such a technology to garner appreciation from all. And you got appreciation form the world. Because the Scientists who work in ISRO came from the land of rationalization, Tamil Nadu.

Sir, I want to ask that there is fear in our mind every time we happen to see EVM. Who is its owner? Nobody knows. What is inside EVM? Wherever you take this EVM, any vote registered will automatically go to BJP. How did you win the elections? This time, you could not succeed. That?s why we won in 2024. I want to say you one thing. There is no EVM in America. There is no EVM in Japan, there is no EVM is Germany. Have you had this EVM in the developed countries, nowhere? But why are you keeping this EVM on your heads? You are afraid of ballot papers and booth. If that is so, the doubts we have seems to be genuine. Whether we come to know or not, you are doing something wrong. That?s why I am asking this. Please follow the developed countries of this universe. I am saying this time and again. You should help those who got voting right in India to vote as per their choice. We are all ready to support you in this regard. We want a fair and just Election Commission. RSS men are everywhere and in each and every Department of the Government. If RSS men are there, will there be anything that can happen in fairness. Is there any Department that is functioning in a neutral way? Our only question is that Election Commission talks about revision of Voter list. I want to ask that when will Election Commission be reformed and revised? Election

Commission should function in an unfair manner. How can we bring reforms in Election Commission? There is no need of this revision of Voter list in haste. Please stop S.I.R. There is no need of S.I.R., the Special Intensive Revision. Let Elections be held and after the elections you can go for revision of Voter list by removing all irregularities. You can take 6 months for making revision of Voter list later in a better way. Sir, I am about to complete. Don?t make me to end my speech in a hurry. I have time to speak. Please don?t rush me up. My question is that, you are betraying the Hindi speaking people. You cannot betray the Tamil speaking people of Tamil Nadu as long as there is Dravidian Model of Governance in Tamil Nadu. I once again repeat saying you cannot betray the Dravidian nation and Dravidian rule. Thank you for this opportunity.

14.00 hrs

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on election reforms. For the last two hours, I have been listening almost entirely to what most of the opposition leaders have to say. Of course, they have expressed their grievances. They have every right to express their grievances. But I also wish wholeheartedly that they would express the achievements that we, as a country, could do in the last 75 years as well with regard to the electoral process.

Sir, as Supriya Ji has mentioned, I should tell, because I am representing Telugu Desam Party and it is an experiment in this country, it is a beautiful experiment that happened. In 1982, in the month of March, Telugu Desam Party was formed. Unlike now, unlike today, where you have newspapers, social media and television channels, back in 1982, they were not there. The elections took place in January, 1983. So, there was only 9 months? time that Telugu Desam Party had.

N. T. Rama Rao garu went ahead and announced his party. The most interesting thing was that because it was a new party, it did not have the symbol also. So, Telugu Desam Party in its first election went into the electoral process without having an official symbol. Sir, the interesting fact is that out of 293 constituencies in United Andhra Pradesh, Telugu Desam contested in 287 constituencies. Out of these, in 14 constituencies, they did not have a proper symbol also. Telugu Desam Party was victorious in 203 constituencies. Even in the Parliament election also, out of 42, Telugu Desam could win 30 seats.

14.04 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

In 1983, when the party did not have an official symbol, when the party did not have enough time to campaign, still the voters have come forward and voted in favour of Telugu Desam Party and brought it into the power. Why I am telling you this is that this shows the intelligence and wisdom of the Indian electorate. I wish the opposition leaders, who have spoken on this, would have expressed this idea also in this House because lot of youngsters are watching it. They would also appreciate it. Not only this, there are other things that we could achieve in the last 75 years. They compared Germany, they compared USA and all those things, all those countries. I wish when they are comparing with all these countries, they also should have compared in the way that India has given universal adult franchise which the other countries could not do on the first day itself.

For the USA, it took almost more than 176 years after independence. After 176 years of independence, it could give it. For United Kingdom, it took 96 years; for Canada, it took 93 years after independence; and for France, it took 152 years after independence. But India could do it on the first day itself, and our electorate came forward, our citizens came forward and voted. A lot of people had said at that time ? like yesterday, I think Hooda ji was quoting Winston Churchill also ? that ?this experiment is going to fail because it is too alien to India?, but election after election we have seen the success of it. ? (*Interruptions*) I wish because this is a success, you should have at least expressed it. Instead of trying to just express your grievances, even the credit also you can take sometimes. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Not only this, giving the right to vote is one thing, but you have also to make sure that most of the people can turn up and vote. During 1951-52, in the first election, there were 44.87 per cent who have turned up to vote, and in the recent election in 2024, 65.8 per cent have come out and voted. If you take out the urban constituencies and consider only rural constituencies like mine, it would go up to more than 75 per cent. The most interesting thing is, in the last two elections in 2019 and 2024, the women out-voted men. This is the success that I think we should express. But somehow, they missed it. Not only this, there is a maturity that has been shown in the voting patterns also. They have been talking about various other things, but I want to put this on record.

In the State elections that have happened after the independence, 385 times the elections happened in various States for the Assemblies. And in the first 35 years, from 1951-1986, 56 times the Government has changed in the States. And in the last 35 years, from 1987-2002, 133 times the Government has changed in the States. So, it shows the maturity; it shows how much educated our voters are about the society. I hope they will appreciate this fact. Sometimes you need to take the credit, but somehow they keep missing taking the credit. And instead of doing that, all I am hearing for the last two hours is vote *chori*, EVM source code, and paper ballot. No one asked about vote *chori* when the Congress won in Telangana. No one asked about EVM source code or paper ballot when the Congress won in Karnataka. They keep asking these questions only when they lose Haryana by a close margin or they lose Bihar by a huge margin. These are the questions that arise only when the results do not go their way. I wish they go through the report. ? (*Interruptions*)

Yes, thanks for taking up Tamil Nadu, because this is coming from the newspaper that is published in Tamil Nadu only ? *The Hindu*. Shrimati Kanimozhi, a senior Member, is sitting here. She is the Chairman of the workers? union of this newspaper. It is a very credible newspaper, *The Hindu*, and it has published this report. Of course, if you have gone through the articles that they have published, even before the Bihar election also, if you have gone through it? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जब आपकी बारी आए, तब आप बोलिएगा। अभी माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

माननीय सदस्य, प्लीज़ आप बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: This is the report that has come out in *The Hindu* newspaper, and it is a very credible newspaper, before the Bihar election happened. They also publish *Frontline* as a magazine. There are a lot of articles that have come in this *Frontline* and also in *The Hindu*, on both sides. They were critical of SIR, they were in support of SIR, but after the election was over, they came out with this report. What they were saying in this report was, ?they have analysed two things?. One, what was the election result in 2024 Lok Sabha election in Bihar, and what was the result in the constituencies in the Assembly elections of 2025?

Secondly, they analysed what happened in the constituencies, where there were a lot of deletion of votes and what happened in the constituencies, where there was less deletion of votes. Both of these have been verified by them and the report says stunningly that constituencies with large number of deletions did not show higher gains for NDA or any other party. So, I hope you will not fall in this trap that has been laid by the Congress. Areas with minimum deletions also did not show any predictable voting behaviour. The scatter plot showed no pattern, no tilt, meaning the SIR did not favour any one side or disadvantaged the another side. This is what the report says.

So, for the last two hours, whatever they are trying to make from the opposition side, I hope they will get hold of this report and try to read this report so that in the next election which they are going through, I hope, they will not fall in the trap of the Congress.

Madam, I am a new Member in this House and it is my second time that I come here. There are people who have been here for almost ten times or more. They have contested elections for more than 10, 11 or 12 times. In the two elections that I have contested in 2019; there was a voter turnout percentage of almost 84 per cent in my constituency and in 2024, there is a voter turnout percentage of almost 86 per cent in my constituency. It shows that the voters have confidence in the Election Commission to come forward and exercise their vote. Obviously, after going through these two elections, I still accept that it is not that everything is perfect, so there is no need for reform and there is no need for many new suggestions. No, I am not saying that. Of course, there is a need for reform. Starting with that, we have gone to the Election Commission, they had invited us. We have given the report to them and I will also request the Opposition Parties to go and exercise that.

The first reform that we request the Election Commission, through the Law Ministry, is the adoption of a single unified electoral roll for State, national and local body elections. This is very much needed because most of the time the electoral rolls are different whenever there are local body elections, Assembly elections and Parliamentary elections. Also, there is a talk of using biometric in a voting ID, but the Supreme Court says, we cannot include them. Surprisingly, they are the ones who opposed it, when that was brought into this House. They said that most of the schemes that are delivered to the citizens are done through the Aadhaar card and since it is done through Aadhaar card, it helps the Ruling Party if you can combine both of them. So, from the Telugu Desam Party side, our request is that if the Aadhaar data cannot be brought to the voter ID,

then why can we not create the same iris or same thumb impressions on the voter ID so that it becomes unique?

Madam, third one is regarding conducting targeted re-enrolment campaigns for migrant workers, tribal groups and the elderly. The fourth one is capacity building for BLOs and EROs because this capacity building happens only six months before the election or eight months before the election, but this needs to happen continuously every year. So, I request the Election Commission to look into that and increase the transparency and participation by booth level agents. We, as a regional Party who is in power in Andhra Pradesh, have come forward and requested to implement SIR in Andhra Pradesh. That is the request we put across to the Election Commission. ? (*Interruptions*)

You are also in the Government in the State. Did you forget that you are not in the opposition? So, you must be doing something wrong. ? (*Interruptions*) You must be doing something wrong in Tamil Nadu. I think you forgot. You are already thinking that you lost the election. ? (*Interruptions*) Do not think that you have already lost the election. There is six months? time.

So, we want the BLOs to be involved because from all the parties, we want them to be involved in this whole process. We are not saying that one party brings BLOs and do it. We should bring all of them so that it becomes transparent.

The sixth one is to publish district-wise data on voter additions and deletions regularly so that all Parties can come together and see which ones have been deleted and which ones have been taken out.

The second reform that we request is with regard to the Model Code of Conduct. Although BNS Sections 169 and 177 now cover electoral offenses, they were earlier listed in IPC Sections 171A to 171I, but the problem with this is that the convictions remained extremely low. I tried to search for the last two days as to how many convictions have actually happened in 75 years. I could not find a single one. It is because there is a weak statutory backing and limited enforcement capacity. The existing mechanisms under the MCC rely heavily on district-level authorities leading to inconsistent action and poor deterrence.

So, we would request establishing an independent enforcement agency for money laundering to investigate, monitor, and prosecute electoral offences under the MCC period. This body should work alongside the Election Commission of India with clear statutory authority, specialized personnel, and nation-wide jurisdiction to ensure swift, uniform, and credible enforcement of electoral laws. Right now, what is happening is that if someone has to complain, they have to go to the State local authorities like local police, which will be reporting again. So, it is not working well and the convictions remained very low. I hope that this change can be made in the due process.

The third reform that we suggest is with regard to anti-defection law. Currently, the Speaker of the House decides the defection-related disqualification cases. The main problem is delay that is caused because of that. So, I would request the Law Ministry to look into it and amend the Tenth Schedule to mandate a statutory timeline for resolving the disqualification cases.

Recently, there was an election that happened in New York, and everyone celebrated and everyone shared on social media about the Mayor?s election and how it was won and everything. But when I read the report that was published by the C&AG about our Urban Local Governments, they published it by auditing 17 States in India, it says that only 40 per cent of the ULGs have elected Councils, and Mayors exercising control over barely 25 per cent of the constitutionally devolved functions while serving only for 12 to 30 months.

So, I think that we need to empower them more, and we need to make sure that they can have access because these days when you go to any city, the Mayor is there but he would not be able to exercise his power well. Similarly, for the Panchayat elections also, this needs to be enforced.

Last and final recommendation is with regard to fixing the tenure of the State Election Commissioner for five years. In the previous term in Andhra Pradesh between 2019 and 2024, when the previous State Election Commissioner wanted to conduct the Panchayat elections and Mayor elections in the State, the then Government arbitrarily cut short his five-year term to three-year term. So, the process could not go ahead. There was an arbitrary decision that was made, which caused the elections getting delayed, and the ones that were really surprised were the citizens of the State.

So, I would request to amend Article 243 of Part IX-A of the Indian Constitution so as to strengthen the functioning of the State Election Commission. I am not asking you to encroach upon

the federal structure of it, but define guidelines for it so that the State Election Commission can function independently in the States, and also strengthen the electoral process in the States.

With these suggestions, we are all here, maybe, for a few years as MPs. Maybe, some lucky ones will be here for decades, but the ones that will stay here are the institutions. We need to support the institutions and we need to strengthen them. This is what we should work here for and that is what we should be discussing about here. We should be working towards strengthening them instead of demeaning these institutions.

I hope that all Parties will come together, and come forward and put the proposals on how to strengthen the Election Commission as an institution rather than demean them.

With this, I thank you for giving me the opportunity. Thank you.

***m10पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह):** महोदया, हम लोग चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं । हालांकि हमारे देश की चुनाव प्रणाली पूरी दुनियां में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है । आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया कितनी ही अच्छी से अच्छी हो, उसमें कोई न कोई सुधार की गुंजाइश होती है और इसीलिए हम लोग इस चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं । हम सब लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से यह सुझाव आएगा कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है । यह चर्चा उस पर सीमित होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मनीश तिवारी जी का भाषण हम सुन रहे थे । मनीश तिवारी जी वकील भी हैं और वरिष्ठ वकील हैं । जब उन्होंने चर्चा प्रारम्भ की, तो मुझको लगा कि उनकी तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव आएगा । ऐसा कोई सुझाव देंगे जिससे चुनाव की प्रणाली में और क्या सुधार किया जा सकता है? लेकिन जब हमने उनका भाषण सुना, तो मुझको आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी जिन सवालों को उन्होंने उठाया, उन सवालों का इस सदन से कोई लेना-देना नहीं है । उन्होंने चुनाव आयोग पर चर्चा प्रारम्भ की ।

महोदया, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, उस पर प्रवचन दे रहे थे । अभी सदन में नहीं हैं, चले गए । हमको इस बात से आश्चर्य हुआ कि मनीश जी जैसा विद्वान और पढ़ा-लिखा आदमी, जिसको संविधान का पता है, वे भी चर्चा कर रहे हैं । उन्होंने चुनाव आयोग के सवाल पर चर्चा की, जिसकी यहां कोई गुंजाइश नहीं है । उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता है । चुनाव आयोग को हम लोग प्रभावित नहीं करते हैं । इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्था के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है । आप करते थे । ?(व्यवधान) वाह भई, वाह । आपको बता दें, आप जिसके साथ गलबहियां लगाए हुए हैं । इस देश में उदाहरण है गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटते ही राज्य सभा में पहुंच गए और

कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। क्या कोई उदाहरण है? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो? नहीं है। यह काम आप करते थे। उसके आगे भी क्या था सब बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, उनको भी राज्य सभा में लाए थे। कांग्रेस पार्टी ने लाया था। इसलिए वह छोड़ दीजिए।

यह काम मुख्य तौर पर आपका नहीं है।? (व्यवधान) आप बेकार चर्चा कर रहे हैं। आप उनके साथ ज्यादा सट कर मत बैठिये, नहीं तो बिहार में जो हालत हुई है, वही यहां भी होगी। इसलिए आप उधर सट कर मत बैठिये। आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिये। आप डिस्टेंस बनाकर रखिये।? (व्यवधान)

महोदया, मनीश तिवारी जी चुनाव आयोग के कार्यकलाप के बारे में कह रहे थे। यह हमारा काम नहीं है। संसद में चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वे बोल रहे हैं। वे विद्वान हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अब विद्वान को कौन रोकेगा? वे विद्वान हैं और वे जो भी बोलेंगे, उसे विद्वत्ता में माना जाएगा। अब आप एक बात बताइये। उन्होंने एसआईआर की चर्चा की। हमें सदन में एसआईआर पर चर्चा करने का हक नहीं है। यह सरकार का फैसला नहीं है। एसआईआर कराने का मोदी जी की सरकार का फैसला नहीं है। यह चुनाव आयोग का फैसला है। संविधान ने चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वह अपने कार्यकलाप को चलाए और इसलिए वह एसआईआर करवा रहे हैं। एक नागरिक की हैसियत से, चुनाव आयोग ने जो किया है, हम उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं एक मतदाता की हैसियत से कहना चाहता हूं। अभी हमारे राज्य बिहार में एसआईआर हुआ है। एक नागरिक की हैसियत से हमें जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग किसी भी दृष्टिकोण से कर रहा है तो वह गलत नहीं है। वह शत-प्रतिशत सही है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? वर्ष 2003 में एसआईआर हुआ था। वर्ष 2003 के बाद हम एसआईआर करवा रहे हैं। वर्ष 2003 के बाद जो-जो लोग मतदाता सूची में आए हैं, उनको 11 विकल्पों में से कोई एक, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और चुनाव आयोग हमें कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए तो हमें क्या दिक्कत होगी? हमें क्यों परेशानी होगी? हमारे यहां एसआईआर हुआ तो मैंने भी फॉर्म जमा किया और हमने सारे प्रमाण पत्रों के साथ जमा किया। अब इनके लिए दिक्कत है। जो इस देश का नागरिक नहीं है, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में दो जिले ऐसे हैं, जिन जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने तीन महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वे लोग कौन थे? अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग क्या गलत कर रहा है। हम एक नागरिक की हैसियत से इस बात को कह सकते हैं। आप 11 विकल्पों में से कोई एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है। फिर आप एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर के मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है। फिर आप यहां क्यों बहस कर रहे हैं? मनीश तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारे तर्क रखते, लेकिन आपने नहीं किया। आप यहां पर एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। आप इलैट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठा रहे हैं। मनीश तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधान मंत्री रहे। वे किस चुनाव प्रणाली से यहां पर जीत कर आए थे और 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार चला रहे थे?

इसी ईवीएम प्रणाली से वे जीत कर आए थे। अगर आपने 10 साल तक सरकार चला ली, अगर आपको 10 साल तक देश की जनता ने सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। आप ईवीएम के बजाय बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। जो बैलेट पेपर था, वह बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया। निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में यह एक सही निर्णय था।

आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं, तो ईवीएम सही है। आप हिमाचल में जीत जाते हैं, तो ईवीएम सही है। आप कर्नाटक जीत जाते हैं, तो ईवीएम सही है। आप तेलंगाना जीत जाते हैं, तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं, ईवीएम गलत हो गई। जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं, ईवीएम गलत हो गई। आप बिहार हारते हैं, ईवीएम गलत हो गई। आप यह कौन-सा मापदण्ड चलाते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र इस देश के लोग पहचानते हैं। यही कारण है कि आपके इस दोहरे चरित्र पर देश के लोग कभी भरोसा नहीं करते। अभी एसआईआर पर मनीश तिवारी जी बोल रहे थे। मनीश तिवारी जी तो विद्वान वकील हैं। उन्होंने संविधान की धारा 326 पढ़ी होगी। कल्याण बनर्जी साहब चले गए, जो अभी संविधान की धारा 327 पढ़ रहे थे। उन्होंने धारा 326 पढ़ी ही नहीं है। संविधान की धारा 326 में लिखा हुआ है कि इस देश का जो नागरिक होगा, वही इस देश का मतदाता होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि आप इस देश के नागरिक हैं, तो प्रमाणित करिए, तो क्या गलत हो गया। आप संविधान के प्रावधानों के विपरीत चर्चा कर रहे हैं। आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। आप येन-केन-प्रकारेण जितने हथकंडे हो सकते हैं, सब हथकंडे अपनाकर किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वह जान रही है कि आपमें कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तब आप क्या करिएगा? इसलिए संविधान की धाराओं के खिलाफ वे कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है। हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने नेता हैं, सभी का भाषण हमने सुना। सभी का भाषण चुनाव सुधार करने के बजाय चुनाव की जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, उसको कैसे तहस-नहस कर दिया जाए, उसको कैसे प्रभावित करने का रास्ता खोल लिया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे हैं। मनीश तिवारी जी कह रहे थे कि हम वोट देते हैं, पर पता नहीं चलता है। अरे भाई! क्या आपने वोट नहीं दिया है? हम लोग भी वोट देकर आ रहे हैं। जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, तो वीवीपैट दबता है। वीवीपैट का जो सिग्नल है, वह बताता है कि आपने किसको वोट दिया। उसके बाद आप बूथ से बाहर निकलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कौन-सा कुतर्क कर रहे हैं? हम सब लोग अभी वोट देकर आए हैं। इसलिए आपकी पूरी मंशा है कि इस वर्तमान चुनाव प्रणाली को कैसे तहस-नहस किया जाए, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया जाए? वर्तमान चुनाव प्रणाली को जितना ज्यादा प्रदूषित कर सकते हैं, उसको प्रदूषित करने का लगातार आपका प्रयास है। उसको प्रदूषित करने के उद्देश्य से ही आप एसआईआर और ईवीएम की बात करते हैं। चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा है, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, तो कोई आकर हमको प्रमाणित करके बता दे। वहां आप कभी जाते ही नहीं हैं। आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए, तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं, कच्ची गली से निकल लेते हैं। इस कच्ची गली से निकलने के बजाय आप पक्की गली पकड़िए। पक्की गली पकड़िएगा, तभी जनता का कुछ भरोसा आप पर होगा। वैसे मेरा

एक सुझाव है। अभी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हम मुफ्त टिप्स देने के लिए तैयार हैं। आप प्रधान मंत्री जी से मुफ्त टिप्स लीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधान मंत्री जी का यह मानना है कि आज तो विपक्ष कुछ है ही नहीं। जब विपक्ष मजबूत रहता है, तो लोकतंत्र मजबूत रहता है।

प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि आप उनसे कुछ टिप्स लीजिए। आप उनके पास अकेले में जाइए। प्रधान मंत्री जी किसी को नहीं बताएंगे। वे आपको चुपके से टिप्स दे देंगे और आप टिप्स लेकर आ जाइए एवं उस पर काम करिए। अभी बिहार में चुनाव हुआ है। वे वहां बड़ा चिल्ल-पों मचा रहे थे।

विरोधी दल के माननीय नेता एसआईआर पर पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे थे। वे भारी पद यात्रा कर रहे थे। जब ये दरभंगा में गए तो इनकी रैली में इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। उनके स्वर्गीय माता जी को भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं। आपने एक बार भी नैतिकता के आधार पर उस घटना को कंडेम नहीं किया। आपने यह भी नहीं कहा कि हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं। ? (व्यवधान)

***m11श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) :** आप मिसलीड कर रहे हैं।

***m12श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :** कौन मिसलीड कर रहा है, कोई मिसलीड नहीं कर रहा है। यह सत्य है। ? (व्यवधान) हमने नहीं किया है। ? (व्यवधान) आप दिखाइए। किसी ने यह नहीं किया है। ? (व्यवधान) तारिक साहब आपकी भी जमीन इस चुनाव में खिसक गई है। आप चिंता नहीं करिए। किसी ने उसे कंडेम नहीं किया है। किसी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की है। वह कांग्रेस पार्टी का नेता है। वह विधान सभा के चुनाव में टिकटार्थी था। उसको टिकट मिल भी गया लेकिन बाद में इन लोगों ने कहा कि बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उसका टिकट बदल दो। अंतिम समय में इन लोगों ने उसका टिकट बदल दिया। यह इनका चरित्र है। जिसको वहां बदला गया वह भी चुनाव हार गया।

महोदया, इनका जो कारनामा है, गोगोई जी इनका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 सीट्स से घट कर 19 सीट्स पर आ गए और इस बार 19 सीट्स से छः सीट्स पर पहुंच गए हैं। अगर यही हाल रहा तो आप जीरो, लड्डू पर पहुंच जाइएगा। आप अपने-आप में सुधार करिए। आप सकारात्मक रोल में आइए। इनके एक सहयोगी थे। उन्होंने शपथ ग्रहण की तिथि घोषित कर दी थी कि फलानी तारीख को हम शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन जा रहे हैं। उन्होंने अपने को स्वघोषित मुख्यमंत्री बना दिए। उनका यह हश्र हुआ कि वे 79 सीट्स से घट कर 25 सीट्स पर आ गए। यह हाल है कि इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है। इस देश की जनता का आप पर विश्वास नहीं है। आप बात करते हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना - चुनाव सुधार पर चर्चा और उसके बहाने चुनाव आयोग और एसआईआर पर चर्चा। विरोधी दल के नेता ने एसआईआर के विरोध में भारी पद यात्रा की और जहां-जहां पद यात्रा की गई, उन जिलों में एक भी सीट नहीं मिली। यह इनका कारनामा है।

सभापति महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चुनाव को कंसट्रक्टिव वे में ले चलें, उसको सकारात्मक बनाइए। प्रधान मंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे और इसलिए प्रधान मंत्री

जी ने विरोधी दल के नेता को ऑफर किया है। पहले वे संविधान की किताब लेकर घूमते थे। वे संविधान की किताब लेकर आते थे और दिखाते थे। वे रोज सदन में संविधान की किताब दिखाते थे। वे जब रैली में जाते थे तो वे संविधान पढ़ते थे। वे संविधान दिखाते थे कि देखिए यह संविधान है। आपने यह देख लिया कि यह संविधान है। आज कल वे किताब लेकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे टोटल बात संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। वे संविधान की धारा 326 के विरुद्ध बोल रहे हैं। वे आर्टिकल 326 के खिलाफ बोल रहे हैं। वे संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। वे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वैसे हमें आपके संविधान की धज्जियां उड़ाने में आश्चर्य नहीं है। हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं।

हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लाकर आपने पूरे संविधान की धज्जियाँ उड़ा कर उसको कूड़ेदान में डालने का काम किया। यह वही कांग्रेस पार्टी है। फिर से संविधान की धज्जियाँ कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है। स्वर्गीय करूणानिधि साहब भी जेल चले गए थे, उनको भी उठाकर जेल में बंद कर दिया था। हम लोग उस समय जेल में थे, उनके प्रति काफी सम्मान रहा है। उनके प्रति काफी रिसपेक्ट था। लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है, उनकी पार्टी भी उनके साथ लगी हुई है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इनका साथ छोड़िए। जितने दिन इनके साथ रहिएगा, सबका भट्ठा बैठेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। माननीय अभय जी हंस रहे हैं। आप 79 से अब 25 पर आ गए हैं। अब क्या कीजिएगा अभय जी? जनता का निर्णय स्वीकार कीजिए, गले लगाइए। हम बढ़ते चले गए, घटने का काम नहीं हुआ, चिंता मत कीजिए।

महोदया, हमारी जो चुनाव प्रणाली है, हमारी चुनाव प्रक्रिया विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष की तरफ से जो चर्चा लाई गयी गया है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, चुनाव सुधार के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है, जिसको इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m13SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL):** Thank you hon. Chairperson, Madam. We are speaking on ?Election Reforms?. We are discussing Election Reforms. When an eminent Speaker like Shri Rajiv Ranjan Singh ji, was speaking, I was wondering whether he was speaking on election reforms or he is just creasing the Election Commission, CEC and his Election Commissioners together.

Madam, election is the base, and therefore, it lies at the very heart of democracy. It is through elections that people in a democracy participate in public affairs and express their will. It is again through election that power changes hands in a peaceful and orderly manner. In a democracy, the authority of the Government gets legitimacy. Elections, thus, not only sustain democracy but enliven it as well. Holding free and fair elections is, therefore, a crucial and indispensable element of our democracy.

The Constitution entrusts the responsibility of superintendents for direct control and preparation of electoral rolls for the conduct of all elections to the Parliament, State Legislatures and

elections to the office of President and Vice-President. This has been entrusted by the Constitution under Article 324.

One of the central features of the electoral system, as it has been stated by many speakers is universal adult franchise. This is enunciated in Article 326. While the Constitution under Article 326 is one of the cardinal features of the electoral system, the Representation of People?s Act, 1950 enunciates the same through Section 23, which effectuates it. ?There shall be an electoral roll for every territorial constituency for election to either House of the Parliament or to the State Legislature and no person shall be excluded from such roll on grounds of religion, race, caste, sex or any of them.? But is it truly and effectively followed the way it has been enunciated and enshrined in the Constitution? This is a million dollar question which comes in the minds of the people if we go through the voter list of any State, at any point of time, any elections, general elections or be it the local elections.

I am talking about the voter list which was there for the ensuing elections in my State of Maharashtra. ये जो चुनाव अभी होने जा रहे हैं, उन चुनावों के दरम्यान जो वोटर लिस्ट बनायी गयी थी, जो बन रही है, whatever deficiencies were there in the voters? list, were brought to the notice of the Chief Election Officer of the State of Maharashtra who represents the Election Commission of India. The State Election Commissioner -- who is there with the entire machinery -- operates the things because he is the one who conducts and supervises the elections in the State of Maharashtra.

इतनी खामियां थीं कि डुप्लीकेट वोटर्स के नाम थे। डेड वोटर्स के नाम थे, जो सूची में बार-बार आए। उनको बताया भी गया, उनके संज्ञान में भी लाया भी गया कि इसको सुधारो। इसके लिए एक प्रणाली भी उन्होंने बनायी। लेकिन, यह सब बार-बार बताने के बाद भी हमारे युवा नेता श्री आदित्य ठाकरे जी ने स्वयं पब्लिक अवेयरनेस के लिए काफी काम किए। वे अपनी वर्ली कॉन्स्टीट्यूएंसी में अपने वोटर्स के सामने यह सब बातें लेकर आए और इन बातों को हमने एक अच्छे डेलिगेशन के माध्यम से रखा। स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी थे, जिनकी जिम्मेदारी इलेक्टोरल रोल बनाने की रहती है। Passing the buck on one another was happening and blame game was openly seen and it was never adjusted. Things are very much there in the public domain. People are resisting. A big public rally was led by Uddhav ji and Raj Thackeray ji and all other allied Parties were there with us. महाविकास अघाड़ी के सभी नेता थे। शरद पवार जी स्वयं थे। लाखों की तादाद में लोग आए थे। वे लोग सिर्फ पोलिटिकल पार्टी के नहीं थे। यह सब खामियां बतायी गयीं और इसमें सुधार करने की मांग की गयी। लेकिन उस सुधार के लिए इनके पास कोई मशीनरी नहीं थी। आज बहुत सारे वक्ताओं ने यहां कहा कि बीएलओ की प्लाइट क्या है? बीएलओ किस तरह से सुसाइड कर रहे हैं? इसी के साथ ईआरओज़ और एईआरओज़, जो इनकी एक मशीनरी है, इनके पास भी बहुत

सारा इग्नोरेंस है। Though they are literate, but they are ignorant as far as the Election Commission?s work is concerned. इसी बात का पता न होने के कारण इसका सारा खामियाजा वोटर्स को भुगतना पड़ता है। वोटर्स के नाम अगर डुप्लिकेट या ओमिट रहेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब है? यह बातें हमने निवार्चन आयोग के चीफ इलेक्शनर कमिश्नर के सामने रखीं। ओपोजिशन पार्टीज़ का पूरा डेलिगेशन उनके पास गया था। उन्होंने ऑटोक्रेट की तरह हमारे साथ बर्ताव किया। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिशन के बारे में यहां बात नहीं करनी चाहिए, being a constitutional body. Yes, we do understand it and we respect the constitutional body. But the person who is in charge or who is sitting there and holding this kind of a respectable and coveted position, he should be answerable to the people. He is answerable to the political parties because we are the largest stakeholders. He is answerable and accountable to the people of India.

यह जो एसआईआर की बात हो रही है। बिहार में या जिस भी स्टेट में एसआईआर हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आधार कार्ड को आपको मानना होगा। When other eleven proofs were there, why was Aadhaar card added to it? This itself shows, and you have to accept, that you are not fully fledged. आप पूरी तरह से विद्वान और पंडित नहीं हैं। You have to go by what is there in the Constitution, and, then, according to the Supreme Court -- whatever judgment was given by the Supreme Court -- it was added.

यह सब बातें जिस तरह से चल रही हैं, इन सबका परिणाम क्या होता है? अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहे हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वह स्वयं सिद्ध बहुत बड़ा अधिकारी होता है और जब साधारण लोग किसी बात से वंचित होते हैं। Those who are deprived of their statutory right to vote, उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। I mean you have a legal recourse only after the elections. पोस्ट इलेक्शन के बाद आज तक जितनी भी इलेक्शन पिटिशन हुए हैं, जो भी बातें कोर्ट में होती हैं, all are futile exercises. Nothing comes out of it. And this has been experienced time and again.

इलेक्टोरल रिफार्म्स जो करने हैं, अभी नौ स्टेट और तीन यूनियन टेरिटरीज़ में हो रहा है। एन्यूमरेशन फार्म के बारे में कल्याण बनर्जी जी ने जो बताया है, यह सही है। इसके ऊपर गौर करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। The Election Commission should pay heed to it. It should pay proper attention through its machinery and that machinery should be made available because the Election Commission does not have funds unfortunately. It cannot draw funds independently from the Consolidated Fund of India. It has to depend on the Government of India. So, with a begging bowl, they stand in front of the Government and the Government would play the way it wants.

It has been seen. I am not alleging anything, nor am I holding him responsible for everything that is happening. The deficiencies that are emerging, but again, the finger ultimately points towards him only. The Election Commission should be completely full-fledged; the full machinery should be in place. Where do they have the manpower? They have to borrow manpower.

अभी हमारे मुंबई में जो बीएलओज़ बनाए गए हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, that they have to take people from conservative departments, conservative employees, those who are poor and illiterate. They are being inducted in this exercise, and they say that they are not aware of this machinery. हम लोग यह काम नहीं कर सकते हैं। यह हमारा काम भी नहीं है और हम इसे करना जानते भी नहीं हैं। इसको लेकर, इस मशीनरी को लेकर यदि आप आगे जाएंगे और वोटर लिस्ट बनाएंगे, तो वह वोटर लिस्ट कैसे बनेगी? यह वोटर लिस्ट यदि ब्लेमिशेज़ है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स का क्या मतलब हुआ? इन मुख्य मुद्दों को यदि आप पीछे छोड़ेंगे, तो what is the use? How does our democracy survive, when we take pride in saying that we are the ?mother of democracy?, that we are the largest democracy in the world, but where do we stand, and how do we move forward? If we are to proceed, electoral reforms are necessary. मैं बहुत कम समय में यह करूंगा। इलेक्शन के फाइनेंस के बारे में एक रिफॉर्म जरूरी है

If you go by the Law Commission?s 255th Report of A.P. Shah, a lot of reforms have been suggested. Are they being implemented? Are they being considered? Are they being thought over?

इस पर जो सुझाव आए हैं, उन पर सरकार की तरफ से कोई विचार-विमर्श हो रहा है या इलेक्शन कमीशन इसको महामहिम प्रेसिडेंट जी के पास भेजेगी? वर्ष 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, इसका सबसे फायदा किसे हुआ?

The Hon. Supreme Court of India has brought certain issues to notice. It came to the public domain that the maximum benefit was derived by the Ruling Party. After having reaped all these benefits, now they are looking for other avenues. This has affected many States, as other speakers mentioned

Shri Manish Tewari said that this money, the wealth acquired through electoral bonds, is now being used in every State wherever elections are being held. इसी पैसे को लेकर यदि आप ऐसा करेंगे, तो दूसरी पार्टियों के पास कोई चांस ही नहीं रहेगा। इलेक्शन फंडिंग यदि बाकी पार्टियों के पास नहीं रहेगा, तो हम किस तरह से लड़ेंगे?

मैडम, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ की तो धज्जियां उड़ाई गई हैं। In Maharashtra, we are the ones who have witnessed it, and the entire country has witnessed it. It is toothless. ? (व्यवधान) मैं केवल दो-तीन मुद्दे और रखूंगा, बाकी ज्यादा बातें मुझे नहीं कहनी हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार का जो काम हुआ,

This has happened because of that toothless law ? the Anti-Defection Law, which was not applied in letter and spirit.

When the hon. Supreme Court of India gave directions to the Speaker of Maharashtra, who was empowered as a Tribunal to decide the very question of how defection had taken place, the indecisive order of the Speaker came out. That has gone into history, and that is the ?black day? that Maharashtra faced.

The entire country is saying it; the entire country has witnessed it. Ordinary citizens, ordinary people of India, are genuinely wondering whether we are truly practicing democracy in a country like India. सच में हम लोकतंत्र को मानते हैं या लोकतंत्र के मार्ग पर चलते हैं? ? (व्यवधान) I am speaking the truth. I am speaking from experience. You are not experienced.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया अपनी बात कम्प्लीट करें ।

SHRI ANIL YESHWANT DESAI : Madam, I need your indulgence.

One more point is the strengthening of the office of the Election Commission. The Election Commission of India is poorly equipped with whatever resources are at its disposal.

They have no manpower. They have to borrow manpower from everywhere and from every corner. Now, see the local body elections. I have given you the example. They do not have EROs. They answer people in this way. EROs have a lot of responsibilities lying on their shoulders and they do not respond to the people. Form-6, Form-7, Form-8, everything is there. Theoretically and ideally, everything is there. We can show it to the world. But practically, nothing is experienced. What is happening? Is this universal adult franchise being practised that way? Those who have completed 18 years are considered as qualified. Qualifying dates have been given by the Election Commission. ? (*Interruptions*) The Election Commission has come out with qualifying dates as 1st of January, 1st of April, 1st of July and then 1st of October. On these dates, those who are completing 18 years, they are given chance as first time voters. Is it taken up that way? Do their names appear in the voter list? This is the maximum percentage we see. People, those youngsters, who are deprived of their first time chance, what will they think and how will they carry the responsibility on their shoulders to build a strong India? This is the question that arises in the minds of the youths of our country.

माननीय सभापति : धन्यवाद माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, श्रीमती सुप्रिया सुले जी।

SHRI ANIL YESHWANT DESAI: Now, I come to the issue of paid news and political advertisements. मैडम, मैं दो बातें कर रहा हूं, जो रिफॉर्म्स की हैं। ? (व्यवधान) मैडम, ये रिफॉर्म्स की बातें हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य बैठिए। आप कम्प्लीट कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री अनिल यशवंत देसाई : मैडम, मैं जो कह रहा हूं, ये रिफॉर्म्स की बातें है और ये मेरा हक है।? (व्यवधान) मैं ऐसी कोई फिजूल की बातें नहीं कर रहा हूं।? (व्यवधान) Now, I come to paid news and political advertisements. There is a provision that six months before the General Elections, six months before the elections, the Government should not spend on political advertisement. But political advertisements are blatantly seen everywhere. Rampant advertisement cost is there. Huge cost is incurred on this.

And on the other side, we see that freebies are given. Once upon a time, our hon. Prime Minister was very much vocal against these kinds of freebies which were going around in the country and the States. But the same Prime Minister under whom the entire machinery of the Ruling Government works, the entire freebies are given now by them. ये लाड़ली बहना, ये सब कर रहे हैं।

Today, the States are borrowing to see that these things are provided for. See, where the taxman?s money goes and how will we see India?s bright future? These are the things which are there in the minds of not only politicians, but these are the questions which are raised by the common man. That need to be addressed.

वीवीपीएटी, बैलेट पेपर से हमने ईवीएम पर शिफ्ट किया है। ईवीएम में भी बार-बार बहुत सारी खामियां बतायी गयी हैं कि हमने शिफ्ट तो कर दिया है, the voter who votes, he needs to know where his vote goes. If it is not, if any inkling of doubt remains in the mind of the voter, that is not a democracy we are practising. We need to go back to the paper ballot. Why do you not do it even if it takes eight to ten days? A country like US takes 8-10 days to declare the results. I mean, where is India? Why should we suffer on that count? We are ready for that. India is a sub-continent. India is a very big country, emerging country, विकसित भारत देखना है। आत्मनिर्भर भारत देखना है। आत्मनिर्भर भारत की यह सबसे बड़ी जरूरत है कि स्पष्टता होनी चाहिए कि मेरा मत कहां गया है। मैडम, एक लास्ट प्वाइंट बोल रहा हूं। सीईसी के रोल के बारे में सभी ने बताया कि he is not accountable. He says that he is not answerable to ordinary people but he is accountable to the

people of India collectively. He is accountable and is answerable to political parties to which he does not show any respect. The time when we met a delegation, we were just shown that the autocrat was speaking one way and was not listening even to people.

There is a judgement of a former Justice of Supreme Court. He has clearly said that he should have power and he should stand. He should not bow down to the Ruling Government and that kind of Election Commissioner we need. There should be a procedure and by which people will witness and people will say, ?Yes, we have a right Election Commissioner.?

Thank you.

जय भीम, जय महाराष्ट्र।

-

15.00 hrs

***m14SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** Madam, thank you. I speak here today on behalf of NCP(SP) on electoral reforms. I would like to quote Shri G.V. Mavalankarji:

> ?For real democracy, one has to look not merely in the provisions of the Constitution, or the rules and regulations made for the conduct of business in the Legislatures, but one has to foster a real democratic spirit in those who form the Legislature. If this fundamental is borne in mind, it will be clear that though questions would be decided by majorities, parliamentary government will not be possible if it is reduced to a mere counting of heads or hands. If we are to go merely by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt.?

This is what Mr. Mavalankarji had said in this Parliament. Madam, why are we debating this? इस चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, भले ये मानें या न मानें, कृष्णा जी को यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह वास्तविकता है। उन्होंने सारी मैग्जीन्स और पेपर्स भी पढ़ा है, उन्होंने आज काफी बातें क्वोट की हैं, मैं कहना चाहती हूं कि सबके मन में एक बात है कि इलेक्शन कमीशन ?फेयर? नहीं है, ऐसी एक सोच आज समाज में है। इसका कारण क्या है? इसके बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहती हूं। ECI has allowed its political neutrality to come under serious question. This is my first point. Second, the Model Code of Conduct is enforced unevenly and inconsistently. The Commission has failed to curb hate speeches. I will explain each point later. The appointment process has been totally and politically tilted. The Election Commission

has not kept pace with digital manipulation, deepfakes and targeted propaganda. मैं भी उसकी विक्टिम हूं, मैं उसके बारे में बताऊंगी । Political parties routinely bypass expenditure limits and ECI looks away, unfortunately. Electoral rolls? errors continue disproportionately, affecting urban poor, migrants and marginalized groups. VVPAT verification remains too small and opaque. Transfer orders of officers during elections appear politically motivated. And above all, the Election Commission has not defended its own institution?s dignity with firmness even once, which is so unfortunate. Will the Commission protect democracy in this country or will democracy has to protect itself, is the question I want to ask the Election Commission, unfortunately. I do appreciate Rajiv Ranjanji's point that Election Commission should have been an independent authority, and not an arm of the Government. But today, unfortunately, every attack, for every criticism that comes, the impression their behaviours create is that they are a part of the Government, which is a very unfortunate thing. It is not healthy for any democracy in the world. It is really a shame.

I will give you a small example. मैडम, इन सबका उदाहरण मैं आपको एक ही इलेक्शन में दूंगी । इलेक्शन्स फेयर तरीके से होने चाहिए, यह सबकी बात है । What has B.R. Ambedkarji said? Babasaheb has said:

> ?I didn't give a weapon to my people. I gave right for vote instead of it. Now, it is in their hands to live like legend by fighting or to become slaves by selling it.?

यह बी.आर. अम्बेडकर जी का क्वोट है । तब उन्होंने कहा था । उनको पता भी नहीं था कि देश ऐसे आगे बढ़ेगा ।

मैडम, हमारे यहां पंचायतों के इलेक्शन्स हुए । यहां म्हस्के जी भी बैठे हैं । आप वेरिफाई कर सकते हैं । मैं केवल आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं वास्तविकता कह रही हूं । मैं सारी चीजों को ऑथेन्टिकेट कर सकती हूं । मैंने अपने साथ सारे कागज़ लाए हैं । वहां क्या हुआ?

पंचायत इलेक्शन्स से इतनी बड़ी सरकार आयी । मैं उसके बारे में नहीं कह रही हूं । इनका यह कहना है कि मैं भी उसी मशीन से चुन कर आई हूं । इसलिए मैं वीवीपैट इत्यादि किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर उस मशीन में गलती है कि मुझसे शुरू कीजिए, क्योंकि मैं चार बार चुन कर उसी मशीन के कारण आई हूं । So, I am not speaking against the machine. I am making a very limited point, and with great expectations from the Bharatiya Janata Party, which has got such a big mandate in Maharashtra. जिसको इतना बड़ा मैनडेट महाराष्ट्र में मिला । यह कैसे मिला, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि इसी इलेक्शन में 288 में 200 एम.एल.एज़. आए । उनके पास सुप्रीम पॉवर है । उनको वहां कौन कुछ पूछ रहा है? सब तो इन्हीं की सत्ता है । वहां तो एल.ओ.पी. भी नहीं है । उनको इतना भरोसा महाराष्ट्र की जनता ने दिया या नहीं दिया, वह आज की चर्चा की बात नहीं है, लेकिन मानिए कि इलेक्शन पूरा फेयर हुआ, 200 मेम्बर्स आ गए । उसके बाद जो पंचायत का इलेक्शन हुआ,

महाराष्ट्र के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले फॉर्म में गड़बड़ी पायी गयी, उसके बाद विथड्रॉअल में गड़बड़ी हुई, उसके बाद आरक्षण में गड़बड़ी हुई।

उसके बाद वहां कैश मैंने नहीं पकड़ा। यहां जो बैठी हुई हैं, उनका जो मित्र पक्ष है, उनके ही एक एम.एल.ए. ने बी.जे.पी. के एक एम.एल.ए. पर आरोप लगाया। शिव सेना, जिसके म्हस्के जी एक पार्ट हैं, उनके एक एम.एल.ए. भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर गए और उन्होंने वहां हार्ड कैश पकड़ाया, जिसे हर चैनल ने दिखाया। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं। मैं इसे पूरा ऑथेन्टिकेट कर सकती हूं।

वह हार्ड कैश था। यह एक एग्जाम्प्ल नहीं था, बल्कि मैं ऐसे 10 एग्जाम्प्ल्स बता सकती हूं। वहां पैसा भी बांटा गया और उसके बाद भाषण किया गया।

मैडम, हमारे महाराष्ट्र में तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। वहां इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह कहां है? हम वहां जाते हैं, लेकिन उनसे मिल नहीं पाते हैं। उन्होंने मौन व्रत रखा है। वे एक चीज नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक कभी भी वाएलेन्स नहीं हुआ, लेकिन वहां बंदूकें भी दिखाई गईं। किसने किसको बंदूक दिखाया, यह मुझे नहीं पता है। यह तो हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। वहां गाडि़यां तोड़ी गईं, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई, यह कौन-सा राज्य है, क्या यही ट्रांसपैरेंट इलेक्शन है? उसके बाद ईवीएम के लॉक भी तोड़े गए। ये सारी चीजें टीवी पर दिखाई गईं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं। यहां म्हस्के जी और श्रीकांत शिंदे जी भी बैठे हैं। ये लोग उसी सरकार के पार्ट हैं।

मैडम, मैं फिर से बोल रही हूं कि फॉर्म में गलती, विड्रॉल में करप्शन, आरक्षण में गड़बड़ी और कैश भी बांटा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूं कि आप देश को एक दिशा दे रहे हैं, लेकिन आपकी ही सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही कर रही है।

मैडम, आपको याद होगा कि इसी हाउस में हमने नोटबंदी कानून पास की। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल दिया जाएगा और उसके बाद पूरा देश कैशलेस इंडिया हो जाएगा। मुझे अभी तक इसे बारे में कुछ पता नहीं है। शिवकुमार उदासि जी हमारे दोस्त है। अभी वह इस हाउस में नहीं है। तब उन्होंने सवाल करके मुझे चैलेंज किया था। नोटबंदी में कितने पैसा गिनते हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि इस देश में कितना कैश आया है। हम किसी के पास कैश नहीं है। सिर्फ बीजेपी के पास कैश मिला है। यह कोई छोटी राशि नहीं, बैग में कैश नहीं, बल्कि सूटकेस में कैश मिला है। इसके विडियोज भी आए हैं। इसकी इंक्वायरी कब की जाएगी? मैं इस सरकार से मांग करती हूं कि इसमें ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो। इस बात की जांच हो कि यह कैश कहां से आती है। अगर सरकार यह कैश छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो महाराष्ट्र में इतना सारा कैश कैसे पकड़ा जाता है? यह खोटी नोट है या नेपाल से आई है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। This is both a national and an international issue. This is a big racket that is going on. इसका आरोप सिर्फ मैं ही नहीं लगा रही हूं, बल्कि ये लोग भी यहां बैठे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए। वे आपके मित्र पक्ष हैं। उन्होंने ही पकड़ा है। शायद अभी राणे साहब नहीं है। राणे साहब का बेटा

निलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे हैं। आज वह भले ही शिव सेना में हो, लेकिन मैं ऑन रेकॉर्ड कह रही हूं। उन्होंने जो कुछ किया, उसका मैं स्वागत करती हूं। अगर देशभक्ति का कोई उदाहरण है तो यही है। वे भी सत्ता पक्ष में हैं। देश के लिए कैश पकड़ा गया। वहां वे टीवी को लेकर गए और पूरे देश को दिखाया कि देखो, बीजेपी क्या कर रही है। यह मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि वे कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ कोट कर रही हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूं, बल्कि कोट कर रही हूं। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूं। *I don?t have enough money to purchase votes.*

इस बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन होना चाहिए। इस विषय पर मैं बोलना चाहती हूं। मैं कृष्णा जी का आभारी हूं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। आज उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया कि 70 सालों में सभी का कंट्रीब्यूशन है। मैं भी कहती हूं कि 10 सालों में इस सरकार ने कुछ न कुछ अच्छा किया है। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आपने इन दस सालों में क्या किया है। हम सिर्फ गलतियां निकालने के लिए यहां नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में हम सभी सोचेंगे। देश के हित के लिए और अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ अच्छा करेंगे। इसी काम के लिए हम यहां चुन कर आते हैं। हम सिर्फ एक-दूसरे पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आते हैं। हम आलोचना करने के लिए नहीं आते हैं। हम पारदर्शिता से काम करें। जो भी इलेक्शन कमीश्नर हो, वह जस्ट फेयर हो। इतनी ही हमारी मांग है।

मैडम, हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं कि हम परिवारवादी हैं। मुझे अभिमान है कि मैं परिवारवादी हूं। जिस मां-बाप ने मुझे पैदा किया, उसके लिए मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझती हूं। इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। हम सभी यहां लोगों के माध्यम से चुन कर आते हैं। हम कॉपी करके पास नहीं होते हैं। मैं चार बार से लोक सभा में हूं। यहां बहुत सारे परिवारवादी हैं। इस तरफ से भी ज्यादा परिवारवादी उस साइड हैं। इसके लिए मैं बोलने वाली नहीं हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेघवाल जी, इस बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैटर सीरियस है। आपका कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन उस राज्य में आपकी सरकार है।

Madam, these are two or three very important points. I am not criticising anyone. I am giving very honest feedback. आप सोचिए कि वहां लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, उसमें आप सभी चाहते हैं कि वहां ट्रांसपैरेंट और फेयर इलेक्शन हो। मैं आपके सामने 20 नाम नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ तीन नाम पढ़ूंगी, बाकी की अगर आप परमिशन दे तो मैं टेबल करूंगी। हमारे यहां इलेक्शन हुआ ही नहीं और यहां चुन कर कौन आए हैं? Madam, this is very interesting. यहां जो चुन कर आए हैं, वे सारे परिवारवादी हैं। आप सोचिए कि मोदी जी कितना पॉपुलर है, वह पूरी दुनिया में विश्व गुरू है। उनके खिलाफ भले ही कोई हारे, लेकिन वह लड़ता है।

एक सशक्त लोकतंत्र में, आप कितने भी अच्छे हो, एक विरोधक होना चाहिए। हम सबको बाबा साहेब ने यही तो सिखाया है। हमारे संविधान में भी यही कहा गया है, मोदी जी भी यही कहते हैं। अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि मोदी जी की इच्छा है कि विपक्ष होना चाहिए, इसलिए एक विरोधक होना चाहिए।

मैडम, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। आपने घंटी बजाई है, इसलिए मैं पूरे नाम नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ तीन-चार नाम ही पढ़ूंगी। जामनेर नाम की एक जगह है, जहाँ से साधना महाजन एमएलए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि

एक औरत अपोज बन रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनका एंगल ऐसा है कि वह परिवारवाद का प्रोडक्ट हैं। MLA Sadhana Mahajan, Cabinet Minister is Shri Girish Mahajan?s wife. MLA Bhusaval Rajni Savkare, Cabinet Minister is Shri Sanjay Savkare?s wife. MLA Aparna Fundkar, Minister is Shri Akash Fundkar?s bhabhi, MLA from Dondaicha constituency is the mother of Minister, Shri Jayakumar Rawal. MLA from Yavatmal constituency is Priyadarshini Uike who is the daughter of Minister, Shri Uike. वो छोड़ दीजिए। अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे। MLA Chalisgaon, Pratibha Chavan, is wife of Shri Mangesh Chavan.

ये सारे हैं, वहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं है। अनअपोज्ड चुने गए और यह बात मैं ऑन रिकार्ड बोल रही हूँ कि वहाँ वॉयलेंस भी हुआ है। वे सारे बीजेपी के लोग हैं। आप सोचिए कि किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया गया है। इनमें सारे मंत्रियों की बीबी, बहन, भाभी और माँ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेघवाल जी, एक लोकतंत्र में इतने अनअपोज्ड, मैं समझ सकती हूँ कि एक अनअपोज्ड, दो अनअपोज्ड, लेकिन 25 अनअपोज्ड कैसे हो सकते हैं? यह कैसे हो सकता है? मेघवाल जी हमें न्याय दीजिए। मैं बड़ी अपेक्षा से आपके सामने यह भाषण दे रही हूँ। ? (व्यवधान)

अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए। उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी, तो हमारे साथ भी उनमें से दस सदस्य हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप कन्क्लूड करिए।

श्रीमती सुप्रिया सुले : वही आपके साथ हैं। उनकी कुंडली मैं उनसे ज्यादा जानती हूँ। हमारे यहाँ शिरूर नाम की एक विधान सभा है। शिरूर में 1,000 वोट्स हैं, किंतु न घर है, न कुछ है, किसी ने आरटीआई लगाई कि ये 1,000 वोट कहाँ से आए? हवा से आए। उसे चैलेंज किया है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है।

मैडम, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि What did they do about reservation? इनको आरक्षण बहुत अच्छा लगता है। हम सब उनके साथ हैं। मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम में से आप महाराष्ट्र से किसी भी जाति के लिए आरक्षण लागू कीजिए, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुआ। This is a reform that you must bring.

मेघवाल जी, मैं आपसे मांग करती हूँ कि रिफॉर्म्स या सुधार कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर करें। महाराष्ट्र में पंचायत का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन पर ऑब्जेक्शन हुआ और आप सोचिए कि आधा इलेक्शन कैंसिल हो गया। इतना ही नहीं वहाँ 240 म्युनिसिपल्स काउंसिल्स हैं, उसमें से 57 bodies have exceeded the reservation limit. इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? बेचारे सारे लोग, आपके लोग और हमारे लोगों ने भी फार्म भरा। अभी क्या करें? घर में 20 दिन से बैठे हुए हैं। खर्चा बढ़ ही रहा है। आप सोचिए 57 bodies have exceeded more than 60 per cent reservation.

एक छोटा मुद्दा और है, मुझे एंटी डिफेक्शन पर बोलना है। आप सोचिए कि कैसे करेंगे? मैंने भी एंटी डिफेक्शन को भोगा है। आपने देखा होगा कि अभी शिवसेना पार्टी के एक माननीय सांसद बोल रहे थे। कोई बात नहीं, पार्टी टूटती है, दो तिहाई सदस्य चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सोच सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी को कुछ विकास करना है, किसी का ईडी का कुछ मैटर है, मैं इन बातों को समझ सकती हूँ। आप मुझे बताइए कि एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है?

महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसीडेंट बदला और there is no use of any constitution. पार्टी की संविधान क्या कहता है, यह पार्टी डिसाइड करती है। भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी में अच्छी है। Party is larger than elected members. सही है कि नहीं। वैसे ही हमारे यहाँ है। Without asking anybody, the Speaker is allowed to remove a national President who started the Party. It is not just in NCP, it has happened to us, it has happened to Shiv Sena. दोनों पार्टी तोड़ डालीं, उसके बाद क्या हुआ? हमारे साथ किया, ठीक है, मगर किसी और के साथ ऐसा मत करिए। आप इतना बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने उससे ज्यादा कुछ किया है। How is this democratic? अगर आपकी पार्टी को तोड़ा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नई पार्टी बनाइए। अभी कृष्णा जी कह रहे थे कि उन्हें दो महीने पहले पार्टी का सिम्बल मिला है। कृष्णा जी मुझे तो सिम्बल मिलता ही नहीं। आप सोचिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा, अगर मैं कोर्ट नहीं जाती, तो यहाँ सांसद भी नहीं बनती। यह एक सशक्त लोकतंत्र का कौन सा न्याय है?

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री अरूण भारती जी।

? (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : मैडम, हम भी सरकार में बहुत सालों तक रहे हैं। हमें जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और हार का दुख भी नहीं होना चाहिए। अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना है तो वह नियम-कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। यह देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से ही चलेगा।

जय हिन्द।

***m15श्री अरुण भारती (जमुई) :** आदरणीय सभापति महोदया, आपने मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषयों पर अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राम विलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की तरफ से पक्ष रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

सभापति महोदया, मैं बिहार की उस पावन भूमि से आता हूँ, जिसने विश्व को पहला गणराज्य दिया। जहां पर गणप्रमुख सामूहिक रूप से राजा और अधिकारियों का चयन करते थे। उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिहार की जागरूक जनता ने, लगभग सात करोड़ मतदाताओं ने बिहार विधान सभा के लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मुख्य मंत्री व अपनी सरकार को चुना। बिहार की जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश का सम्मान करते हुए

हमारी एनडीए की सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया जाए। एक विकसित बिहार बनाने के निर्माण हेतु हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट और संकल्प के साथ काम करेगा।

सभापति महोदया, इतिहास गवाह है कि बिहार का प्राचीन वैशाली गणराज्य किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अंदर की फूट और उस वक्त के नेताओं, गणप्रमुखों की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही टूटा था और चुनाव के समय बिहार में महागठबंधन में भी वही अतिमहत्वाकांक्षा दिखी, जब वहां पर सीएम के उम्मीदवार खुद ही कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को बिहार में मुख्य मंत्री पद की शपथ लूंगा।

सभापति महोदया, यह कमाल की बात है कि संविधान के रचयिता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी कलम से संविधान निकला, चुनाव का नियम-कानून निकला, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अधिकार निकला, उन्हीं बाबा साहेब का 1952 और 1954 में चुनाव नहीं निकला, क्योंकि संविधान बनाने वाले को कांग्रेस के द्वारा सदन से बाहर रखने का षड़यंत्र किया गया। शारीरिक रूप से और तस्वीरों के माध्यम से आपने बाबा साहेब का अपमान किया था। आपको बाबा साहेब का ही श्राप लगा है। आप इसी कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद बिहार में भी सिंगल डिजिट में आ गए हैं। एक समय की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज बिहार में सिंगल डिजिट की पार्टी बनकर रह गई है।

सभापति महोदया, चुनाव सुधार पर चर्चा करते हुए मैं भारतीय लोकतंत्र की एक काली सच्चाई के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह सच्चाई बूथ कैप्चरिंग की है। स्वतंत्र भारत के दूसरे चुनाव, 1957 में ही कांग्रेस के द्वारा एक संगठित रूप से बूथ कैप्चरिंग करके इस कुप्रथा की शुरूआत की गई थी। सन् 1960 से लेकर 1990 तक कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग को बिहार में एक व्यवस्था बना दी थी। उस समय वोटर की पहचान से ज्यादा अपराधी की पहचान मायने रखती थी। सन् 1989 में चुनाव आयोग ने एक बड़ा सुधार करते हुए बूथ कैप्चरिंग को आधिकारिक परिभाषा दी और सन् 1991 में इसे संगीन अपराध में शामिल किया। सन् 1975 में जब इलाहबाद हाईकोट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराते हुए, उनके चुनाव को अमान्य किया था और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, तब कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाकर सीधे लोकतंत्र की ही चोरी कर ली थी।

सभापति महोदया, मैं सन् 1990 के उस जंगल राज के दौर का गवाह हूँ, जब बिहार में बैलेट से नहीं, बल्कि बुलेट से नतीजे तय किए जाते थे। आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि उस समय मतदाता की आवाज बंदूक की आवाज से दबा दी जाती थी। उस समय कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग को व्यवस्था बनाया था और राजद के जंगलराज में मतदान को एक जबरन व्यवस्था बना दिया गया था। मतदान केन्द्र लोकतंत्र के मंच नहीं, बल्कि अपराधियों के नियंत्रण कक्ष में बदल दिए जाते थे। वे या तो बूथ लूट लेते थे या बैलेट पेपर लूट लेते थे या फिर पूरा का पूरा बक्सा ही बदल दिया जाता था। उस समय चुनाव आचार संहिता नहीं, बल्कि चुनाव भ्रष्टाचार संहिता ?मॉडल कोड ऑफ करप्शन? बन गया था। इन्हीं सब चीजों को करने के लिए एक बड़ा चुनावी सुधार वर्ष 2004 में ईवीएम के माध्यम से भारत में चुनाव का आधार बना। मुझे आपको यह बताते हुए आश्चर्य भी होगा कि उसके बाद ईवीएम कांग्रेस की हर हार का जिम्मेदार भी बन गया। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ईवीएम पर आरोप लगाते-लगाते 95 चुनाव हार चुके हैं। हिन्दी फिल्मों में एक डायलॉग है कि "फटा पोस्टर, निकला हीरो" पोस्टर बार-

बार फट रहा है, मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। यह सही भी है कि हार ही निकलेगी, क्योंकि जब राजनीति को वर्क फ्रॉम होम की तरह चलायेंगे, तो हार ही निकलेगी। लोगों का दिल जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अब तो बिहार में कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि "फटा पोस्टर, निकला जीरो"।

सभापति महोदया, माफ कीजिएगा कांग्रेस ईवीएम पर 94 बार हार का आरोप लगा चुकी है। अब तक इनके दोषी होने का जो सबसे बड़ा आधार निकला है, वह है एसआईआर। विपक्ष जिस एसआईआर को आज षडयंत्र बता रहा है, वह वास्तव में मतदाता सूची की शुचिता का संवैधानिक कार्यक्रम है। विपक्ष की असली समस्या एसआईआर से नहीं है। समस्या यह है कि एसआईआर से पहली बार वोट बैंक की राजनीति के नकली खम्भे उखड़ गए हैं और लोकतंत्र में वही वोट रह गये हैं, जो कि वैध हैं।

सभापति महोदया, जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। यह लगभग तीन महीने की एक विस्तृत प्रक्रिया थी। समस्या मशीन में नहीं है, प्रक्रिया में नहीं है, मानसिकता में है। पूरे देश ने देखा था, जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना नकली ईपीआईसी नम्बर दिखाया था और तब चुनाव आयोग ने सही वोटर कार्ड लाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में दो-दो आईडी कार्ड रखते हैं। जब वीआईपी नेताओं के साथ ऐसी गड़बड़ी मिल सकती है, तो यह एसआईआर जरूरी हो जाती है। जब वोटर लिस्ट शुद्ध होती है, तब राजनीति कि असली ताकत उजागर होती है।

सभापति महोदया, बिहार विधान सभा चुनाव से पहले बिहार में एक पार्टी बिलकुल ही अपना आचरण और व्यवहार एक नव-सामंतवादी पार्टी की तरह कर रही थी। एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी और खुलेआम संकेत दिये जा रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में जनता की नहीं एक विशेष सामाजिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित होगा। आपने गाने भी सुने होंगे-

?तेजस्वी सरकार बनतो, ता .... रंगदार बनतो।?

एसआईआर से पहले बिहार में गरीब, पिछड़े, वंचितों और दलितों पर इन नव-सामंतवादियों का इतना दवाब था कि उन्हें साफ-साफ कहा जाता था कि अगर तुम वोट करोगे, तो तुम्हारे वोट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा फर्जी वोट इतना है कि तुम्हारे वोट का फायदा नहीं होगा। उन्हें कई जगह वूथ पर नहीं पहुंचने दिया जाता था। उन्हें भी यह लगता था कि हमारा जो वोट है, वह महत्वहीन है, लेकिन एसआईआर के बाद उनको भी लगा कि हमारे वोट का मतलब है। यह आपने बिहार में एनडीए को 202 सीटों के माध्यम से देखा होगा। इसका नकारात्मक प्रभाव भी हमें बिहार में देखने को मिला, जब गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक दलित व्यक्ति, जिन्होंने एनडीए को वोट किया था, उनके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई। वहां मैं भी गया था। मुजफ्फरपुर के सखौरा-पटसारा गांव में शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गयी थी, क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट किया था।

सभापति महोदया, इस देश को और इस सदन को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो बड़ा सुधार यही है कि वोट देने का अधिकार केवल और केवल वैध और प्रात्र भारतीय नागरिकों को होना चाहिए। यदि मतदाता सूची में अवैध नाम रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया विकृत होगी, तो लोकतंत्र की असली ताकत और सही मतदाता कमजोर पड़ेगा। चुनाव सुधार, विशेषकर एसआईआर जैसी पहल भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य है। मैं इस चुनावी सुधार और एसआईआर की प्रक्रिया का हमारी पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूं। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

***m16डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) :** सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

महोदया, आज हम इलेक्टोरल रिफार्म्स पर बात कर रहे हैं और मैं अपनी पार्टी, शिव सेना, की ओर से इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

महोदया, आज 9 दिसम्बर के दिन ही, 79 साल पहले, भारत की संविधान सभा पहली बार बैठी थी। उस दिन उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि एक ऐसा भारत बनाया जाए, जहां जनता ही जनार्दन हो। वर्ष 1946 में चर्चा इस बात पर की थी कि वोट का अधिकार किसे मिले और आज वर्ष 2025 में चर्चा इस बात पर है कि उस वोट का सम्मान कैसे सुरक्षित रहे? इसी वोट के सम्मान के लिए एसआईआर और इलेक्टोरल रिफार्म सबसे जरूरी है। आज जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

महोदया, आज इलेक्टोरल रिफार्म्स पर जो चर्चा हो रही है, वह केवल बदलाव की नहीं है। यह चर्चा इस देश के 75 साल के इतिहास की है। कैसे इस देश का लोकतंत्र हर चुनाव के साथ मजबूत होता गया। आज 9 दिसम्बर है और आज ही के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आज 79 वर्षों के बाद, आज, उसी दिन और उसी सदन में इलेक्शन रिफार्म्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज अगर दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी मानता है तो उसका एकमात्र कारण हमारे चुनाव हैं। यह वह शक्ति है जो हर पांच साल में, हर आम नागरिक को, यह अधिकार देती है कि वह देश की बागडोर किसे सौंपना चाहते हैं।

महोदया, मैं हमारे संविधान निर्माताओं की उस सोच को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने आजादी की पहली सुबह से हम सबको बराबर का अधिकार दिया। अमेरिका जैसे विकसित देश को महिलाओं को वोट देने के अधिकार में 144 साल लग गए। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही यह तय किया था कि चाहे वह उद्योगपति हो या खेत में पसीना बहाने वाला किसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा। यह समानता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

आज जब हम इलेक्टोरल रिफार्म्स पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ हम कुछ सांसदों को चुनाव जीतने या हारने के बारे में यहां पर चर्चा नहीं करनी है। हम पूरी प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा इस देश के 140

करोड़ लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। यह सुधार इसलिए जरूरी है ताकि कतार में खडे आखिरी व्यक्ति का इस व्यवस्था पर भरोसा और दृढ़ हो सके। यह चर्चा उन 140 करोड़ उम्मीदों के बारे में है जो हर पांच साल बाद इस भरोसे के साथ घर से निकलते हैं कि उनका एक वोट इस देश की तकदीर बदल देगा। हम बेलेट पेपर से ईवीएम तक आए। हमने हिंसा के उस दौर को भी पीछे छोड़कर आज उस दौर में कदम रखा है, जहां कश्मीर की घाटियों से लेकर गढ़चिरौली के जंगलों तक रिकॉर्ड टर्नआउट वोटिंग होता है। जब एक 90 साल का बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाला 18 साल का युवा एक साथ कतार में खड़े होते हैं। एक उद्योगपति भी उसी कतार में खड़ा होता है, एक खेती करने वाला किसान भी उसी कतार में खड़ा होता है और एक गरीब व्यक्ति भी उसी कतार में खड़ा होता है। यही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है।

महोदया, मैं सभी विपक्ष के साथियों को सुन रहा था कि लोकतंत्र कैसे बचाया जाए। इसका पाठ सुबह से यहां चल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश के 75 सालों के संसदीय इतिहास में आज तक केवल एक प्रधान मंत्री को हाई कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसिस का दोषी मानकर सज़ा दी गयी थी। उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। वर्ष 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उनका चुनाव रद्द कर दिया तो उस फैसले का सम्मान करने की बजाय इस देश पर इमरजेंसी का काला धब्बा लगाने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ही बदल डाला और कानून ले आए कि प्रधान मंत्री के चुनाव को कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए संविधान का गला घोंटा, आज वे संविधान की प्रति हाथ में लेकर नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं।

इतिहास गवाह है कि वर्ष 1952 में जब पंडित नेहरू का तथाकथित स्वर्णिम युग था, उस समय जनादेश को बदलने के लिए बैलेट बॉक्सेज के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला गया था। जो वोट उनके खिलाफ थे, उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया था। इन्होंने भारत के पहले चुनाव में ही जनता के भरोसे को एसिड डालकर जला दिया था।

महोदया, अभी यहां पर कुछ वक्ता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसद में पहुंचने से रोकने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया था। वर्ष 1952 में पंडित नेहरू ने खुद उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। जब लगा कि बाबा साहब जीत रहे हैं तो 74,333 वोटों को अवैध घोषित करवाने का काम भी इन्होंने किया। आज यहां पर ये लोग ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। लगभग 74,000 वोट रिजेक्ट हुए और बाबा साहेब को 14,000 वोटों से इन्होंने हरवा दिया। आज ये यहां पर बाबा साहब का उदाहरण दे रहे हैं। जिस महापुरुष ने देश के हर गरीब और दलित को वोट का अधिकार दिया, उनको इन लोगों ने संसद में घुसने से रोकने का काम किया। आज ये वोट चोरी के बारे में चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस समय वोट चोरी करने का काम कांग्रेस के माध्यम से यहां पर हुआ था।

अब हम जरा इनके आधुनिक युग पर आते हैं। वर्ष 1989 का चुनाव था और सीट थी अमेठी, जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। वहां खुलेआम बूथ लूटे गए और लाठियां चलाई गईं। पाप का घड़ा इतना भर गया कि चुनाव का सबूत दिखाने के बाद 97 पोलिंग स्टेशनों पर री-पोलिंग का आदेश देना पड़ा। जिस देश के प्रधानमंत्री की खुद की सीट पर निष्पक्ष चुनाव न हो सके, वह आज लोकतंत्र का पाठ यहां पर सभी को पढ़ा रहा है।

महोदया, यहां पर मैं टी.एन.शेषन जी का उदाहरण देना चाहूंगा। टी.एन.शेषन जी, जो एक निष्पक्ष अधिकारी थे, रातों रात कानून बदलकर उनके पर काटने का काम भी इन्होंने किया। आज मैं यहां यूबीटी वालों को सुन रहा था। मैं कल भी इनको सुन रहा था। वे बाला साहब ठाकरे जी के बारे में बात करना भूल गए, लेकिन मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि जिस इलेक्शन कमिश्नर, एम.एस.गिल ने हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया था, आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है। मैं बाला साहब ठाकरे जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 1990 में जब बांग्लादेशियों की संख्या मुम्बई में और पूरे भारत में बढ़ रही थी, उस समय उन बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात बाला साहब ठाकरे जी ने ही की थी। आज एसआईआर क्यों हो रहा है? आज एसआईआर इसलिए हो रहा है कि आज जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश में घुसे हैं, जो रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में हैं, जो रोहिंग्या मुम्बई में हैं, मुम्बई में तो इनकी संख्या लाखों की तादाद में बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ? ?If they do not have legal status to stay in India and an intruder comes, do we give them a red carpet welcome? What is the problem in sending them back?? यह खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन, इनको दिक्कत इनकी वोट बैंक से है। अगर इनको बाहर निकाल दिया गया तो इनको वोट कौन देगा? यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए, एसआईआर का विरोध करने का काम यहां पर ये लोग कर रहे हैं। अगर आज मिजोरम में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेज हैं तो 50 प्रतिशत आपराधिक मामले बाहरी लोगों से जुड़े हुए हैं। आज मुम्बई में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इनको फिर से बांग्लादेश में भेजने का काम करना चाहिए। यहां पर कुछ लोग अन-अपोज्ड इलेक्शन के बारे में कह रहे थे।

यह जो नगर पंचायत के इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुए हैं, उन इलेक्शंस में कहीं-कहीं पर अन-अपोज्ड इलेक्शंस हुए हैं। अन-अपोज्ड इलेक्शंस क्यों हुए, क्योंकि इनके लोग खुद फॉर्म भरने नहीं गए, इसलिए अन-अपोज्ड इलेक्शंस वहां पर नगर पंचायत में हुए। अरविंद सावंत जी, * Please tell me Sawant ji who went to campaign for municipal elections across the Maharashtra for Mahavikas Aaghadi.*

आज एक नगर पंचायत कार्यकर्ता का इलेक्शन था। जब लोक सभा चुनाव में इनको अच्छे वोट मिले, तब इन्हें ईवीएम से शिकायत नहीं थी। जब महाराष्ट्र में पूरी मेजोरिटी के साथ सत्ता में फिर से महायुति की सरकार आई, तब इन्हें ईवीएम दिखने लगा। लोक सभा चुनाव के बाद इन्हें लगने लगा था कि अब महाराष्ट्र में हमारी सरकार आ जाएगी। कौन मुख्य मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, यह सब इन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनको इनकी सही जगह दिखाने का काम किया है। उस इलेक्शन के बाद वहां पर अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए। *Please listen to me Arvind Sawant ji.*

नगर पंचायत का चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव था। इस कार्यकर्ता के चुनाव में यूबीटी का कोई भी नेता एक भी नगर पंचायत के, नगर अध्यक्ष के चुनाव की चुनावी रैली में नहीं गया और उसके इलेक्शंस में नहीं गया और यह कह रहे हैं कि वे प्रचार के लिए गए थे। ये सभी लोग घर से बाहर निकले नहीं हैं और आज अन-अपोज्ड इलेक्शन की बात कर रहे हैं। नगर पंचायत के चुनाव में सिर्फ सत्तापक्ष के लोग ही इलेक्शन में दिख रहे थे, वही रैली कर रहे थे और यह अन-अपोज्ड इलेक्शन

के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। मेरा यहां पर यह कहना है कि लोक सभा चुनाव के बाद इन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि महाराष्ट्र में अब विपक्ष की सरकार आएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनको इनकी सही जगह दिखाई, फिर इनके एलओपी और हमारे महाराष्ट्र के कुछ युवा नेताओं ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोगों के सामने दिखाई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने से कुछ भी नहीं होता है। आप अगर उतनी ही रिसर्च खुद की हार में करते कि हम क्यों हारे, इसके बारे में रिसर्च करते, तो आपको जवाब मिल जाता, लेकिन यहां पर जवाब देने का काम जनता ने किया था। मुझे यहां पर किसी पर ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इनके नेताओं को और इनको खुद को भी समझना होगा कि जब स्थानीय चुनाव हों या कोई और चुनाव हों, तो वहां पर कार्यकर्ताओं के पीछे नेताओं को खड़े रहने का काम करना चाहिए, तभी जाकर चुनाव जीतेंगे। जब चुनाव होते हैं, तब इनके नेता बाहर चले जाते हैं, यह चुनाव कैसे जीतेंगे और चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाने का काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर दोष लगाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां पर कुछ सुझाव रखना चाहूंगा कि ऐज टू कॉन्टेक्स्ट, आज जिन युवाओं को 18 साल में वोट देने का अधिकार है, उसी युवा को आने वाले समय में चाहे लोक सभा का चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो, उनके लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी 18 या 21 साल करना अनिवार्य है, क्योंकि जो वोट देकर इतना बड़ा लोकतंत्र चुनने का काम करता है, वहां पर उसका भी अधिकार है कि आने वाले समय में उसको भी इसका अवसर मिलना चाहिए। हम लोग ?वन नेशन, वन इलेक्शन? पर बात कर रहे हैं कि हर पांच साल में इतने इलेक्शंस हो जाते हैं। लोक सभा का चुनाव हुआ, फिर विधान सभा का चुनाव हुआ, फिर नगर पंचायत, फिर महानगरपालिका, फिर जिला परिषद ऐसे ही हमेशा पूरे पांच साल इलेक्शंस ही चलते रहते हैं। सरकार ?वन नेशन, वन इलेक्शन? पर काम कर रही है। मैं सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि वह जल्द से जल्द यह रिफॉर्म लेकर आए, जिससे एक ही बार में सभी इलेक्शंस यहां पर हों। मैं इसी के साथ कॉमन इलेक्टोरल रोल के बारे में बोलना चाहता हूं। हर इलेक्शन के लिए अलग इलेक्टोरल रोल होता है। लोक सभा के लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल, विधान सभा के लिए अलग इलेक्टोरल रोल, नगर पंचायत के लिए अलग इलेक्टोरल रोल, म्युनिसिपल कार्पोरेशन के लिए अलग इलेक्टोरल रोल, तो मुझे लगता है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल सभी इलेक्शंस के लिए होना बहुत जरूरी है। अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहे हैं, उसके अंदर कई टेक्निकल डिफिकल्टीज आई हैं। जब इलेक्टोरल रोल को सेपरेट किया जाता है, तभी दिक्कतें आती हैं। अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इसलिए हमें पता चल जाता है, पहले हमें फिजिकली ढूँढ़ना पड़ता था, लेकिन इस पर भी आने वाले समय में धीरे-धीरे हम लोग बदलाव कर सकते हैं, इस सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे एक ही इलेक्टोरल रोल सभी इलेक्शंस के लिए हो। उसी के साथ रिमोट वोटिंग का अधिकार भी हो, जिससे जो प्रवासी मजदूर हैं, जिन प्रवासी मजदूरों को वोट देने में दिक्कत होती है।

उनके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था भी यहां पर करनी जरूरी है।

आपने मुझे इलेक्टोरल रिफार्म्स पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आज एक बड़ा रिफार्म भारत देखने जा रहा है। आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र इससे और अधिक मजबूत होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m17श्री अमरा राम (सीकर) :** माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से, जो चर्चा एसआईआर और चुनाव सुधार पर चल रही है, उस पर भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। हर साल जनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होती थी। जिसकी मृत्यु हो गई, उसका नाम हटा देते थे और जो 18 साल के हो गए, उनका नाम जोड़ देते थे, तो फिर एसआईआर की जरूरत कहां पड़ गई? एसआईआर का नोटिफिकेशन निकाला गया। 75 साल की आजादी में जिसने 60 बार वोट दे दिया, आज चुनाव आयोग उससे भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। पूरे देश के 95 करोड़ लोगों से फॉर्म नंबर 6 भराया जा रहा है। फॉर्म नंबर 6 पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए है। जो साम्प्रदायिकता के आधार पर दो से सत्ता तक पहुंचे हैं, उसी साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों का माइंड मेक अप करने के लिए और पूरे देश के करोड़ों लोगों को परेशान करने के लिए ये इसे कर रहे हैं। जिसकी उम्र 95 साल है, उसके लिए फोटो खिंचवाना जरूरी हो गया, 6 नंबर फॉर्म भरना जरूरी हो गया। इसमें वे लोग एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, जो कमाने-खाने के लिए पलायन करते हैं।

एसआईआर का सबसे पहले प्रयोग बिहार में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ट्रैज़री बेंच से कह रहे थे कि 35 लाख लोगों ने 6 नंबर फॉर्म नहीं भरा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनमें से कितने घुसपैठिए हैं? यह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार है। उन्होंने उन्हें क्यों निकाला? हमारे प्रधान मंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि देश में जो घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको बाहर करने के लिए एसआईआर है। सरकार, गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी बताएं कि इन 35 लाख में से कितने लाख घुसपैठिए हैं, जो आज तक 11 साल से इस देश में रह रहे थे? उनको निकालने की जिम्मेदारी इस सरकार पर थी, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं पाई है। आप यह भी बताएं कि 35 लाख लोग, जिन्होंने 6 नंबर फॉर्म नहीं भरा है, उनमें ऐसे कितने लोग हैं? अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए बिहार के लोग बाहर काम करने गए। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, जहां बिहार के लोग अपने परिवार सहित या परिवार को पालने के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इसके लिए सरकार तैयार नहीं होगी।

यह पहली बार है, जब एसआईआर के लिए बीएलओ बनाए गए। अभी 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है। उनकी क्या हालत है? दर्जनों बीएलओ ने प्रताड़ना के कारण अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी। क्या वे भी घुसपैठिए थे? कोई अमीर आदमी, कोई पढ़ा-लिखा आदमी विदेश में भी है, तो वह अपना फॉर्म ऑनलाइन भर देगा। गरीब आदमी आजादी के 75-76 साल बाद भी अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने मूल स्थान से बाहर पलायन करता है। वह पढ़ा-लिखा नही है। वह ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता है, इसलिए उसका वोट वोटर लिस्ट से आउट हो जाएगा। जहां तक इसमें सुधार की बात है, तो इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि इस चुनाव को कारपोरेटीकरण करने का काम अगर किसी ने किया है, तो इसी एनडीए सरकार ने किया है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इलैक्टोरलल बांड लेकर आई। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, जिसने कहा कि आज तक किसी भी कारपोरेट के पैसे से चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़ा। देश के सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस इलैक्टोरल बांड को गैरकानूनी घोषित किया। क्या वह पैसा लौटाएंगे? इस तरह से गैरकानूनी काम किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की सलैक्शन में जो लोग थे, माननीय प्रधान मंत्री, एलओपी और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम

कोर्ट की सलाह पर होती थी, इसे हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है और इसकी जगह कैबिनेट के एक मंत्री को लगाया। इस तरह से तीन में से दो तो सत्ता पक्ष के होंगे और एक एलओपी होगा। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को स्वतंत्र होने से रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने इलैक्टोरल बांड समाप्त कर दिया तो फरवरी में कैबिनेट ने टाटा कंपनी को सेमी कंडक्टर के दो कारखानों के लिए 203 करोड़ रुपये सब्सिडी देने का काम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले टाटा कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 758 करोड़ रुपये चंदा दिया। इलैक्टोरल बांड से 80-85 प्रतिशत इनके सत्ता पक्ष में आने का काम हुआ। सुधार तभी हो सकता है, जब निष्पक्ष चुनाव हों, कारपोरेट पैसों पर पाबंदी लगे। राजस्थान में कहावत है - ?जिसकी खाए बाजरी, उसकी बजाओ हाजरी? । अगर कारपोरेट के पैसे से कोई पार्टी चुनाव लड़कर आएगी तो निश्चित रूप से जीतने के बाद उसी के लिए कानून बनाएगी, उसी की सेवा करने का काम करेगी इसलिए मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव हो।

महोदया, टेक्नोलॉजी में जो देश हमसे आगे हैं, वापस बैलेट पेपर पर आ गए हैं। ईवीएम मशीन आज पूरे देश में है। यही भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले कहती थी कि ईवीएम खराब है, जब ये खुद जीत गए तो ?मीठा-मीठा हाउ अप, खारा खाया थू? । मेरा कहना है कि लोगों का जनतंत्र में विश्वास होना चाहिए। हमारा देश सबसे बड़ी आबादी वाला जनतंत्र है । मैं एसआईआर का पार्टी की ओर से विरोध करता हूँ । धन्यवाद।

***m18श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) :** माननीय सभापति महोदया जी, मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि बिहार, जो डेमोक्रेसी ऑफ मदर है, वही बिहार सबसे गहरे चुनाव संकट से गुजर रहा है। जिस धरती ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भागीदारी की चेतना को जन्म दिया, वही बिहार आज चुनावी धांधली, मतदाता दमन और सरकारी मशीनरी के खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग का सबसे बड़ा शिकार बना।

महोदया, अभी माननीय मंत्री लल्लन बाबू परिवारवाद की बात कह रहे थे जबकि चर्चा चुनावी सुधार पर है। अगर परिवारवाद देखना है तो पहले अपने घटक दल के जितने भी लोग हैं, वे बिहार में झांक लें, बिहार और एनडीए गठबंधन। ये जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उसी एनडीए गठबंधन में मैंने देखा कि एक पति अपनी पत्नी को सिम्बल दे रहा है।

एक समधी अपनी समधिन को सिम्बल दे रहा है, एक ससुर अपनी पुतोह को सिम्बल दे रहा है, एक मामा अपने भगना को सिम्बल दे रहा है। उन लोगों ने परिवारवाद को यहीं पर नहीं रोका, बल्कि जब इस सरकार का गठन हो रहा था, जब शपथ-ग्रहण हो रहा था, तो जो किसी सदन के मेम्बर भी नहीं हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उनको मंत्री बनाया गया। आप परिवारवाद की बात बोलते हैं। हमारे अरुण भाई जंगलराज की बात बता रहे थे। ?बिहार-लेनिन? अमर शहीद जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था- ?सौ में नब्बे शोषित है, दस का शासन नब्बे पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन-धरती और राज-पाट पर नब्बे भाग हमारा है।?

इसी विचारधारा को लेकर परम आदरणीय समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी जब वर्ष 1990 में सत्ता में आये, तो जो भेद-भाव, ऊँच-नीच और छुआछूत का वातावरण था, गरीब-गुरबों का जो दमन होता था, उसके विरुद्ध उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन किया, उन्होंने बिहार में इसके लिए लड़ाई लड़ी। अगर उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाज के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़ते, तो आज हमें इस तरह का सुन्दर बिहार देखने को नहीं मिलता साथियों, देखने को नहीं मिलता, आप जिसे आज जंगलराज कहते हैं। आप वर्ष 2005 से सत्ता में हैं। आप 20 वर्षों से सत्ता में हैं। 20 साल से सत्ता में रहते हुए भी, आज भी आप जंगलराज-जंगलराज कहते हैं।

माननीय महोदया, मैं चुनाव सुधार के विषय पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अभी बिहार में चुनाव हुआ। वीवीपैट की अनियमितताओं ने लोकतंत्र का भरोसा तोड़ा है। बिहार विधान सभा चुनाव, 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद समस्तीपुर के सरायरंजन विधान सभा क्षेत्र में केएसआर कॉलेज के पास सड़क के किनारे बड़ी संख्या में वीपीपैट के स्लिप्स फेंके हुए पाए गए। यह दृश्य वायरल विडियो के माध्यम से पूरे देश ने देखा। बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि यह मॉक पोल के स्लिप्स थे। यदि ये स्लिप्स इतने ही व्यर्थ थे, तो संबंधित अधिकारियों को क्यों निलंबित किया गया, उन पर क्यों एफआईआर किया गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी, तो यह लापरवाही किसकी थी? यह सामग्री सड़क पर कैसे पहुंची? यह घटना साफ करती है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियाँ हो रही थीं और इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

महोदया, मैं एक-दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। आचार संहिता 6 अक्तूबर को लागू हुआ। उसके बाद सरकार ने चुनाव के बीच में 10 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में भेजी, जो कुल राशि लगभग 40 हजार करोड़ रुपए थी। 17 अक्तूबर, 2 नवम्बर और 7 नवम्बर, 2025 को यह तीन किश्तों में भेजी गयी। यह सीधे-सीधे आचार संहिता की धारा-7 का उल्लंघन है, जो आर्थिक लाभ बांटने पर रोक लगाती है। क्या यह खुलेआम वोट खरीदने का एक सरकारी इंतजाम नहीं था? क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया या यह दिखाने की अनुमति नहीं थी?

इसी तरह से, जीविका दीदी, आँगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व दबाव डाला गया। 19 अक्तूबर से 16 नवम्बर तक कई जिलों में सरकारी अधिकारियों ने कहा कि फण्ड तभी मिलेगा, जब किसी एक दल के साथ आप उनका समर्थन करेंगे।

महोदया, मैं एक मिनट का और समय लूँगा। इन सबके बीच चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी चिंता का विषय रही। वीवीपैट की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक 10 हजार रुपए के ट्रांसफर पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। हम यह जरूर कहेंगे कि यह जनादेश नहीं था, बल्कि यह जनादेश का प्रबंधन था। कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी दलों के साथियों ने जो माँग की है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ईवीएम को खत्म करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए कि आप में कितनी ताकत है।

आप बिहार का चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। यदि आपमें दम है, तो आप पश्चिम बंगाल में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव संपन्न करवाइए। उसके बाद आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी।

महोदया, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार की मिट्टी ने हमेशा अत्याचार को रोकने का काम किया है। जब बिहार में बैलेट पेपर्स की गिनती हुई थी, तब हमने 143 सीट्स जीती थीं। बैलेट पेपर पर कौन वोट देता है, जो पढ़े-लिखे व नौकरी पेशा लोग हैं। जब बैलेट पेपर्स के माध्यम से चुनाव हुए थे, तब महागठबंधन ने 143 सीट्स जीती थीं। ये तकनीकी और प्रबंधन की वजह से कहते हैं कि हम बिहार चुनाव में बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं और हमने 202 सीट्स जीती हैं।

महोदया, मैं एक मांग करना चाहता हूं। हम लोग बिहार में लोकतंत्र को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। बिहार की असली आवाज बनकर हम लोग निश्चित तौर से सत्ता में वापस आएंगे। आने वाला समय निश्चित तौर से आपको भी देखेगा और हमें भी देखेगा। इन्हीं चंद शब्दों को बोलकर, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

लोकतंत्र जिंदाबाद, जय अंबेडकर।

***m19श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) :** सभापति महोदया, आपने मुझे चुनाव सुधार जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

कांग्रेसी पार्टी के माननीय सदस्य श्री मनीश तिवारी जी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस विषय पर प्रकाश डालने का काम किया है। मेरा भी यह मानना है कि हमारे देश के लोगों को बड़े संघर्षों के बाद लोकतंत्र मिला है। हमारे देश में पहले राजाओं का राज था। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी उन्हीं राजाओं के द्वारा शासन करने का काम किया था। आजादी के बाद जब इस देश को नया संविधान बनाने का अवसर मिला था, तब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया था कि अब इस देश में लोकतंत्र होगा, यानी जनता के लिए शासन होगा, इसलिए संविधान बनाया गया था।

उस समय ऐसा प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया था। कुछ समय बाद 21 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष किया गया था। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को कहा था कि ?यदि लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य वैध मार्ग से प्राप्त करने होंगे।? उन्होंने यह बात भी कही थी कि ?संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे न हों, तो उससे जनहित न होगा और यदि अमल करने वाले अच्छे हों, तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है।?

आज भारतीय जनता पार्टी उन लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। चुनाव आयोग को हमारे संविधान ने चुनाव संचालन का पूरा अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष होगा, तब ही निष्पक्ष चुनाव होगा।

इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि जब तक नई विधि नहीं बनती है, तब तक एक नेता विरोधी दल, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसके सदस्य होंगे, जिनके द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। आनन-फानन

में विधि बनाकर न्यायालय के न्यायाधीश की जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री को रखकर, इन्होंने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि चुनाव आयोग कठपुतली बनकर रहे और आज हमें उसका जीता-जागता उदाहरण देखने को मिला है।

माननीय सभापति महोदया, मैंने स्वयं बाई इलेक्शन देखा है। इन लोगों ने इस लोकतंत्र की खूबसूरती के स्थान पर नफरत फैलाने का काम किया था। उससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने यह फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहिए। अयोध्या मंडल में लोक सभा की पांच सीट्स हैं। उन पांचों सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को परास्त करके एक नया संदेश देने का काम किया और कहा था कि अब इस देश में सांप्रदायिकता नहीं स्वीकार की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वहां पर उपचुनाव हुआ था। उससे पहले मैं वहां की विधान सभा का सदस्य था। मैं 1980 से लगातार सक्रिय राजनीति में हूं।

16.00 hrs

इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी और जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, इन 45 वर्षों में मैंने वह किसी भी सरकार में नहीं देखा है। मेरी पत्नी कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर डीएम और एसपी आदि सारे लोगों के द्वारा मिलकर गांव-गांव में दो-दो सिपाही नियुक्त किए गए, जो मतदाता सूची को छांटने का काम कर रहे थे और हमारे मतदाताओं को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। इसके साथ ही वहां के प्रधान और बीडीसी सदस्य, वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर शिक्षामित्र तक जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उनको प्रभावित करने का काम किया गया और धमकी देने का काम किया गया।

डीएम स्वयं 25 से 30 गाड़ियां लेकर बूथ जांच के नाम पर बूथ जाता था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वह बूथ जांच के नाम पर जिस तरह से वहां सभी को धमकी देने का काम करता था, हमने वह भी देखा है। इस तरह से बार-बार शिकायत करने पर भी हमारे जो बूथ के एजेन्ट्स थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी कि इस बाई इलेक्शन से सत्ता परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए बूथ पर न दिखाई पड़ना। पुलिस वाले धमकी देने का काम कर रहे थे। 28-28 गांवों से उन्हें मोटरसाइकिल पर लाकर थाने में बंद करने का काम किया जा रहा था। हमने इस तरह से वोट की लूट को देखा है।

एक टाउन एरिया इल्तिफ़ातगंज है, वहां पर 24 बैरिकेडिंग्स लगाकर हमारे मतदाताओं को न निकलने देने का काम किया गया। इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। यह सत्ता और धन्ना सेठों की मिलीभगत का चुनाव है। एक-एक लोक सभा क्षेत्र में चुनाव पर 100 से 150 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसे जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा।? (व्यवधान)

सभापति महोदया, मेरा एक सुझाव यह है कि स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और विधानसभाओं की कॉमन मतदाता सूची बनाई जाए। उसमें किसी मतदाता का नाम शामिल होने के बाद केवल उसकी मृत्यु पर या उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर कि वह किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में ही उसका नाम हटाने का काम किया जाए। सरकार के

द्वारा कोई नई घोषणा चुनाव के एक वर्ष पूर्व या उसके बीच में न की जाए और किसी भी तरह से डायरेक्ट फंड न दिया जाए। कम से कम एक वर्ष पहले से ही यह करने का काम किया जाए। माननीय तिवारी जी ने जैसा प्रस्ताव किया, उस आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। चुनाव के खर्च की प्रतिपूर्ति स्टेट फंड से की जाए।

सभापति महोदया, मैंने वर्ष 1991 में जब पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, तो मेरे परिवार के लोग मेरे पास आए और अपने घर से 500 रुपए का चंदा दिया। आम जनता के सहयोग से मैंने उस 500 रुपए के बल पर चुनाव लड़ने का काम किया। आज हमें जिस तरह से पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, उस स्थिति में इसकी फंडिग स्टेट फंड से की जाए या फिर चुनाव में मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स से मुक्ति कराने का काम किया जाए। जैसे ही किसी की उम्र 18 साल होती है, उसे मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की जो नियमावली बनी हुई है, उसमें यह बात कही गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में भी यह कहा गया है कि हमें इस आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता या हमारा नाम मतदाता सूची में शामिल करने से नहीं रोका जा सकता कि हमने उसके लिए आवेदन नहीं किया है। यदि हम 18 साल के हो गए हैं, तो हमारा नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

<u>16.04 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हाल ही में रामपुर में एक महिला पर एफआईआर हुई है। वह एफआईआर इसलिए हुई, क्योंकि उसके बेटे विदेश में थे और उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भर दिया। इसकी जो नियमावली है, उसके परंतुक 20(क) में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी रहता है और उसने वहां की नागरिकता स्वीकार नहीं की है, तो विदेश में नौकरी करने के आधार पर उसका नाम यहां की मतदाता सूची से नहीं काटा जा सकता है।

जहां से उसका पासपोर्ट बना हुआ है, वहां की मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से उसका नाम रहेगा। इस तरह से केवल अधिकारियों के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं।

इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं, तो अनिवार्य कदम उठाने होंगे। इसके साथ-साथ हमें जानकारी मिली कि ये जो मैपिंग कर रहे हैं, वर्ष 2003 से जो मैपिंग कर रहे हैं, उसमें एक एप का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी सुनने में आया है कि मैपिंग करने के लिए उस संस्था का चयन किया गया है, जिसने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने का काम किया है। ? (व्यवधान) इसलिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वह उसी तरह का है या नहीं है? इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसी चर्चा सुनने में आई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। मैं ऐसे परिवार से आया हूं, जिसमें मेरे मां-बाप, दोनों पढ़े-लिखे नहीं थे। हम शुद्ध किसानी करने लोग हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था रहती, जिस तरह से आज पैसे का चलन हो गया, तो हम विधान सभा या लोक सभा में न आ पाते। आज अगर हम यहां आने का

काम कर पा रहे हैं, तो वह इस कारण है कि उस समय हमारा लोकतंत्र मजबूत था। ? (व्यवधान) आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसी बार तो जीतकर आए हैं?

? (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा : इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इस दिशा में सुधार करने का काम किया जाए और मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें निश्चित रूप से माना जाए। ? (व्यवधान)

***m20SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET):** Thank you, Sir.

Sir, the elections are the cornerstone of our democracy. The integrity, with which the elections are being held, is paramount. Sir, the elections should be held in the true spirit of the democracy. The election process should be such that both the winners and losers should have complete trust in how the process has been done. There have been a lot of doubts and issues. Like every other party, we represented to the Election Commission of India.

Sir, there are some issues which we have raised. I will just mention two or three issues which we have raised. In Andhra Pradesh, 3 crore and 38 lakh votes were polled. The polling started at morning 7 o?clock till 6 o?clock in the evening. But after 6 o?clock, surprisingly 15 per cent of votes were recorded. Out of that 3 crore and 38 lakhs, 51 lakh votes were recorded. Never has it happened in the history of Andhra Pradesh, not even in 2019 and in 2014. So, we are unable to understand how this sudden surge in voting happened after 6 o'clock.

Sir, a similar complaint was there even in Odisha. We would like to know how such things are happening suddenly.? (*Interruptions*) I would like to talk about one other instance.? (*Interruptions*) Whenever we have given complaints, nothing has been done. I would just like to give an example. In Polling Station Nos. 4 and 9 in Vizianagaram, our former MP has given a complaint. He found that during the day of the counting, the battery charge of the EVM was 99 per cent. But, on the day of the polling, the battery charge was 60 per cent. How did the charge go up? We raised a complaint, but we have not been given any response. We asked for the CCTV footage of the strong room, but the same was not provided. We asked for the VVPATs, but they said that it had been burnt and destroyed. There was no response at all. When we asked for verifying these particular

EVMs, they said that these particular EVMs would not be given for verification. Another set of EVMs were provided for verification.

Sir, such is the bad response we got from the officers. There was no point in raising the complaint also. The mock polling was conducted on some other EVMs, not on the EVMs which we complained about.

Sir, I would like to raise one more peculiar issue. For example, in the Hindupur Assembly, there was one particular Polling Station No.28, where we had elections on the same day for the Parliament and for the Assembly. Our party got 472 votes for Parliament in that particular booth. There, we had been winning for the past 30 years, right from the local body elections to everything.

In the Assembly elections, we had got one vote. We had five agents in the booth and their family members themselves constituted 30 votes. We are unable to understand how 472 voters polled on the same day, at same time for both, the Parliament and the Assembly, and we got only one vote in the Assembly.

Sir, throughout the world, everybody is coming back to the paper ballot system. Even the US President himself said that we are coming back to the paper ballot from EVMs. Almost 92 per cent of all the US elections are happening on paper ballot. Even Elon Musk, who himself is technical expert, said that EVMs can easily be hacked. There are many countries which have come back from EVMs to paper ballot. The Netherlands is one such example. In 2006-2007, they came back to paper ballot. There was a live demonstration on TV how they hacked the EVMs. In 2009, Germany also came back to paper ballot. Ireland, Paraguay, Finland, and our neighbour Bangladesh also have come back to paper ballot. We would also like to draw your attention throughout Europe. If you take the UK, Turkey, Sweden, or all the well-developed nations and which have very good technical capabilities, they are still using paper ballots. They are doing this to dispel any doubts.

Sir, our party has won with EVMs in 2019 and we lost with EVMs in 2024. We have won with EVMs in three elections. But still, I have some doubts and I want to dispel these doubts. The Government should act and take everybody?s suggestion. ? (*Interruptions*) We should come back to paper ballots. That is our request.

We would like to make some suggestions. One is that we want the paper ballot system to be back. The second suggestion is that we are okay with SIR, we are okay with any process, as long as all sections of society are comfortable with it. Thirdly, all parties should have access to webcasting. There should be webcasting in all the polling booths and it should be accessible to any booth. The CCTV footage of any booth should be available to any party. The election should be held in a transparent process.

Thank you very much.

***m21SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI) :** Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on this really important matter. Speaker Sir, have you ever wondered why Mahatma Gandhi laid such emphasis on Khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of Khadi? Why is it that he wore only Khadi? It is because Khadi is not just a cloth. Khadi is the expression of the people of India. It is the imagination, it is the sentiment, it is the productive force of the people. ? (*Interruptions*) आज खादी पहना हूं। It is the expression of the people of India.

Speaker Sir, whichever State you go to, you will find different fabrics. There is Himachali cap, Assamese *gamcha*, Banarasi saree, Kanchipuram saree, Naga jacket. You will find that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the *gamcha,* they are not just giving you a piece of cloth.

They are giving you an expression. They are giving you a piece of their history, their tradition, their future, and their imagination. It is the same when the Nagas wear their jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric.

Hon. Speaker, Sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and if you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram saree might have a golden thread but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the saree, or any other fabric, is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you and the threads cannot keep you warm, but when they come together, as a fabric, they can keep you warm; they can protect you; and they can express what you have in the heart.

Hon. Speaker, Sir, in the same way, our nation is also a fabric. It is a fabric made up of 1.4 billion people and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this House, where I am standing today, the Lok Sabha; the Rajya Sabha; the Vidhan Sabhas across the country; and the Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, and Chandrayaan. We have a list of things we say. But not one of those would exist without the vote.

Hon. Speaker, Sir, the idea that every thread and every person in the Union of India is equal, disturbs my friends in the ... *. They are happy to see the fabric but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country -- regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, and regardless of what language they speak -- should be equal. It is because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy and they believe that they should be on the top of that hierarchy.

Hon. Speaker, Sir, on the 30th of January, 1948, three bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the Father of our Nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. It is an uncomfortable truth but that is not where the project ended. As I have said, everything has emerged from the vote.

After Mahatma Gandhiji?s assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India?s institutional framework. ? (*Interruptions*)

***m22जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) :** अध्यक्ष जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।? (व्यवधान) आज मैंने खादी के कपड़े नहीं पहने हैं।? (व्यवधान)

***m23माननीय अध्यक्ष :** आप प्लीज बैठिये। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आप बोलें, लेकिन हाथ मत जोड़ें।

? (व्यवधान)

***m24SHRI RAHUL GANDHI:** Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends do not like the connections I am making; they are disturbed by them. It is very obvious.

After the Father of the Nation was assassinated, his vision of an equal India, an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. So, the process started, and the ... *

attempted to capture one institution after another. I would give some examples so that it is crystal clear that this is the case.

Everybody knows how Vice-Chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to anyone staying in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications; it does not matter whether the professor has scientific temperament, the only thing that matters is the professor belongs ? (*Interruptions*)

***m25श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) :** सर, कल प्रधान मंत्री जी बोलें, हमने उनको सुना ।? (व्यवधान)

***m26माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिये । चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है ।

? (व्यवधान)

***m27श्री राहुल गांधी :**सर, मैं उसी पर बोल रहा हूं ।? (व्यवधान)

***m28माननीय अध्यक्ष :** आप किसी भी संगठन का नाम न लें, जो इस हाउस से संबंधित नहीं है ।

? (व्यवधान)

***m29SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):** How can you interrupt, when the Leader of the Opposition is speaking?

***m30माननीय अध्यक्ष :** एलओपी की मतलब यह नहीं है कि आप जनरल बात बोलेंगे । आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जनरल बात बोलें ।

? (व्यवधान)

***m31संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) :** सर, हम लोग सुनना चाहते हैं ।? (व्यवधान) स्पीकर सर, हम लोग शांति से सुनेंगे । हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं । ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : फिर ऐसे ही होगा ।? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : आप सुनिये । मैं क्या कहना चाहता हूं? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप धमकी देंगे?

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : हम लोग सुनने के लिए ही बैठे हैं। अभी तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक भी शब्द चुनाव सुधार पर आया ही नहीं है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप धमकी देंगे**?** संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : मैं स्पीकर साहब की परमिशन से ही बोल रहा हूं ।? (व्यवधान) हम सुनने के लिए ही बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष, चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे**,** हम उसे सुनने के लिए ही तो बैठे हैं ।? (व्यवधान) लेकिन चुनाव सुधार पर नहीं बोलते हुए, जिस संगठन का इस सदन से कोई वास्ता नहीं है, उसकी कहानी बताना तथा किसी और के बारे में बोलना, यह कोई उचित नहीं है ।? (व्यवधान) समय बहुमूल्य है और समय की मर्यादा भी है ।? (व्यवधान) यहां पर सब लोग सुनने के लिए ही बैठे हैं और यह समय बहुत कीमती है ।? (व्यवधान) इसलिए आप हरेक पल कोई अच्छा ज्ञान दें, कोई सुझाव दें, हम लोग सुनने के लिए ही बैठे हैं ।? (व्यवधान) मेरा नेता प्रतिपक्ष से एक सीमित अनुरोध है कि आप विषय पर ही रहिये ।? (व्यवधान) हम सब लोग यहां बैठे हैं और गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं ।? (व्यवधान) अगर आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है, उससे क्या मतलब रह जाएगा ।? (व्यवधान) अगर आप चुनाव सुधार के विषय पर नहीं बोलेंगे तो फिर नेता प्रतिपक्ष सबका इतना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ? (व्यवधान)

***m32SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):** Mr. Kiren Rijiju, you are the Parliamentary Affairs Minister. You are disturbing LOP. How can it be? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

? (व्यवधान)

***m33श्री राहुल गांधी :** सर, मुझे बोलने दीजिए। ? (व्यवधान)

***m34श्री गौरव गोगोई :** सर, ऐसा नहीं होता है। ये लोग बहुत खराब हैं। ये लोग पूरी चर्चा का माहौल खराब कर रहे हैं। ? (व्यवधान) ये लोग अगर सुनें, तो कोई बात खराब नहीं होगी।

***m35माननीय अध्यक्ष :** एक मिनट बैठिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे बैठे-बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं। वे उस विषय पर बोल रहे हैं। आप सदन की गरिमा को बनाए रखें।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए। यह ठीक नहीं है।

? (व्यवधान)

***m36SHRI RAHUL GANDHI:** Speaker Sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR and I am framing my discussion about it. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject.

In order to capture the vote, you have captured institutions. I am saying that institutions of India are captured and I will come to the point which is the Election Commission is captured. So, the project of the ... *_ was to capture the institutional framework of the country and I said how the education system has been captured. Vice-Chancellor after Vice-Chancellor after Vice-Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper but on the fact that he belongs to a particular organisation.

The second capture which helps in destroying democracy is the capture of the intelligence agencies - we have the Home Minister sitting here - the capture of the CBI, of the ED and of Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favour their ideology and attack, the Opposition and anybody who choses to oppose the ... *_. That is the second institutional capture. There are many more. I can go on. And the third institutional capture ? (*Interruptions*)

The third capture is of the institution that directly controls the election system of our country ? the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India?s democracy.

The first question: why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commission? What motivation could there be to remove the CJI?

Do we not believe in the CJI? Of course, we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is a so-called ?democratic decision?. On the one side, Prime Minister Narendra

Modi and Mr. Amit Shah, and on the other side, the Leader of the Opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So, the first question is, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who is going to be the Election Commissioner.

The second question, and even more devastating question is that, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this Government changed the law. They changed the law to make sure that no Election Commissioner could be punished for any action he took when he was the Election Commissioner. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the Election Commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the Election Commissioner? Mr. Shah is looking into the ceiling, maybe he will answer this question when he speaks. ? (*Interruptions*)

Finally, why was the law with regard to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage after 45 days of the election? What is the need? The answer given is that it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election.

Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commissioner? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. Three-month, four-month, five-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted into the programme.

Second, we have a Brazilian woman who has appeared 22 times in the voters list of Haryana, and 22 times this lady appears.? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुक जाइए।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं इस तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। यह सदन है। आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा के हिसाब से बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सदन नहीं चलेगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, आपका यह तरीका गलत है।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं होगा।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तख्ती लहराइए।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता पहले आप अपने माननीय सदस्यों को समझाइए।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं चलेगा।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, यह ठीक नहीं है।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, यह बिल्कुल नहीं चलेगा।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता आप अपने माननीय सदस्यों को सदन की गरिमा के बारे में समझाइए।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतने सालों से सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। क्या यह तरीका उचित है? विरोध का तरीका होता है, लेकिन यह उचित तरीका नहीं है।

?(व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल : सर, उधर का तरीका क्या है? ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबका तरीका है। उधर से यह होगा तो मैं उधर भी बोलूंगा, इधर से यह होगा तो मैं इधर भी बोलूंगा। मैं इधर-उधर सब जगह से बोलूंगा।

?(व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker, Sir, I do not agree with the showing of photographs here but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy that you are not

allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times in the voters list in Haryana. Not only that, there is one woman whose name has appeared more than 200 times in one booth in Haryana. It is very clear, and I have proven without doubt that the election in Haryana was stolen.

The theft was ensured by the Election Commission of India. I have said it again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. There is a clear proof, which I have put in front of the country. But, the Election Commission has no answer to these questions. That is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle.

By the way, you are talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, there are 1.2 lakh duplicate photos in the voting list in Bihar? If you have cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicate photos in Bihar? We have not just proven this in Haryana. We have proven this in Karnataka. We have proven this in Maharashtra. I am absolutely certain this is how you are winning elections in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and across the country. Now, what I am putting on the Table is that it is very clear that you have captured the institution. I have shown the mechanism of that capture. I am also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I am not getting any answers.

So now, let us come to electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is that nobody wants to do it. The Government does not want to do it. What does electoral reform require? What have we been saying? Firstly, give machine-readable voter lists to all the political parties one month before the election. That is the first step. The second step is, take back the law that allows the destruction of CCTV footage. It is very simple, not difficult. While you are doing that, tell us what the architecture of the EVM is. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We are not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. Finally, please change the law that allows the Election Commissioner to get away with whatever he wants to do. That is all the electoral reforms you need.

I want to assure the Election Commissioner that he might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them. Do not worry. We are going to change the law. We are going to change it retroactively. We are going to come and find you. This is the situation that the country is faced with. Everybody says to us that India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today that we are not just the biggest democracy, we are the greatest democracy. I am not saying it just like that. I am saying it because America calls itself the oldest democracy. But, the democracy, that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages and the largest number of States, is this country. So, our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together and allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They are destroying it. You know they are destroying it, I know they are destroying it, and they know they are destroying it.

I would like to conclude by saying that the biggest ... * I act you can do is ?vote *chori?*. There is no bigger ...* act that you can do than ?vote *chori?*. It is because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India.

So, I would like to conclude by saying ?vote *chori?* is an ...* act and those across the aisle are doing an ...* act. Thank you.

***m37डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** अध्यक्ष जी, आए थे हरी भजन को, ओटन लगे कपास। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज मुझे राहुल गांधी के बयान से लड़खड़ती हुई नजरी आई। ये संविधान की बात करती हुई नज़र आई और मैं वर्ष 1976 की पूरी डिबेट लेकर आया कि यह संविधान कांग्रेस ने कैसे तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं है। संविधान कोई ऐसी किताब नहीं है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से फंस गई चिड़िया, यह संविधान की किताब राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल इसी प्रकार की कहावत है। आप यह समझें कि स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन्स को खत्म कर दिया, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प हो गया। राष्ट्रपति जो केबिनेट कहेगी, उस पर मुहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी तरह से वोट चोरी करके जब राय बरेली का चुनाव जीता और जब कोर्ट का फैसला हुआ तो ऐसी सिचुएशन इस पार्टी ने पैदा की कि आपको आश्चर्य होगा कि तीन जजों को बायपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो साढ़े आठ साल तक इसका मुख्य न्यायधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के

एडिटर रामनाथ गोयंगा से लेकर सारे लोग और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे। यूपीएससी जैसी संस्था और यह पूरे सदन को जानने वाली बात है कि यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस, आईपीएस और आल इंडिया के आफिसर्स को बनाती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटूक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। इन्होंने यूपीएससी की यह हालत कर दी। आज ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सू.कुमार सेन जब रिटायर होते हैं तो उन्हें सूडान का राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती हैं तो उन्हें हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। जब टीएन शेषन रिटायर होते हैं तो उन्हें अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केंडिडेट बना देते हैं और जब एमएस गिल रिटायर होते हैं तो वे केंद्र सरकार में दस साल तक मंत्री बनकर इस सदन में रहते हैं। आप किस चुनाव आयोग की बात करते हो? आप किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो और कौन-सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की आप बात कर रहे थे। अश्विनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी आफिसर था, वह सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है।

रंजीत सिन्हा, जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ में आई। उसमें लिखा था कि कांग्रेस के कितने नेता कब और कहां गए, उसे सीबीआई का डायरेक्टर बना देते हैं। आप कौन-सी बात कर रहे हैं? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल, एम.के. नारायण को ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिया, कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। आप किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं और मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे, लहू की जब तक बूंद है, तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विजन है।

महोदय, वोट चोरी और एसआईआर में यह पूरा डाक्यूमेंट राहुल गांधी के लिए ही लेकर आया हूं। वर्ष 1980 में ये क्या करना चाहते थे, यह पूरे देश को जानने वाला विषय है। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यह वर्ष 1980का जवाब पी. शिवशंकर कांग्रेस के मंत्री का है। इंद्रजीत गुप्ता ने प्रश्न पूछा और कांस्टीट्यूएंसी वाइज बिहार की ही बात है। अभी जायसवाल जी बोल रहे थे। बिहार के काफी सदस्य बोले कि एसआईआर के बाद काफी बहुमत से जीतकर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 324 सदस्यों की विधान सभा, पूरी लिस्ट है। मैंने यह लिस्ट नहीं दी है। पी. शिव शंकर ने यह लिस्ट इस फ्लोर पर दी है। 81 विधान सभा क्षेत्रों में दोबारा पोल करना पड़ा और यदि आप कहेंगे तो मैं नाम पढ़ दूंगा। विश्रामपुर में 50 जगह बैलेट बाक्स रास्ते में आते हुए छीन लिए गए। बूथ नम्बर 28 में सारे बैलेट बाक्स छीन लिए गए। रफीगंज, लोका, बबुआ, किनारा, कराकरी, मसरख, बख्तियारपुर, बाड़ आदि 81 जगहों पर चुनाव काउंटरमांड हुआ था। इसी बैलेट पेपर के कारण एससी, एसटी, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था। आज क्या वही स्थिति वापस लाना चाहते हैं।

महोदय, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, वाईएसआर ने ईवीएम की बात की है। मेरे पास पूरी हिस्ट्री है। ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी। पहली बार 1987 में ईवीएम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजीव गांधी लेकर आए थे। वर्ष 1991 में नरसिम्हा जी की सरकार ने तय किया कि ईवीएम आएगा और इसके बारे में यह सारी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 1961 की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट 1971 की सिलेक्ट कमेटी की भी है। यह बात पूरी संसद को जानने की जरूरत है। दोनों रिपोर्ट्स के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। वर्ष 1971 की जो रिपोर्ट बनी,उसमें एच.आर. गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे

और दोनों रिपोर्ट्स में यह कहा कि स्पेशल इनसेंटिव रिविजन एसआईआर की आवश्यकता है। वर्ष 1961 में भी यही कहा और 1971 में भी यही कहा। 1961 में यह बात भी कही कि चुनाव इलेक्ट्रोनिक मशीन से होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री मोहन लाल सुखाड़िया का भी चुनाव इसी वजह से अवैध हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए थे।

महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा चुनाव काउंटरमांड हो गया था। पटना का पूरा चुनाव आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधान मंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे। इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है। इसके अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी जी इस कमेटी के मैम्बर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज ही काउंटिंग करो।

दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल.के. आडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथवाइज़ ही काउंटिग करों, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घूमाते हो, तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है, तो क्या तर्क दिया गया, क्या आपको पता है? तर्क यह दिया गया कि बूथवाइज़ काउंटिंग करने लगेंगे, तो जितने भी गुण्डे-बदमाश और मवाली हैं, वे वोटरों को मारेंगे। इसीलिए यदि आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वह होती थी, जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रैगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती थी। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यदि इतिहास के पन्नों को तोड़ना, मरोड़ना कोई सीखे, तो उसको कांग्रेस से सीख जरूर लेनी चाहिए। ? (व्यवधान) यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है, तो उसे कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। उन्होंने क्या संशोधन किया? उन्होंने 21 साल उम्र को 18 साल कर दिया।

सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है, तो ये 1972 की ज्वाइंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसने यह रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट, मैं इसको प्लेस कर दूंगा, सर। ये हमने किया। चूंकि हमें शासन में आने का मौका नहीं मिला और हम 1977 से लेकर 1980 तक दो साल जब मौके में थे, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इम्प्लीमेंट कर पाए। उसके लिए आज आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया। हमने काम कर लिया। आज एसआईआर की जो बात हो रही है और बिहार और महाराष्ट्र की बात हो रही है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं बिहार और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया हूं, एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े, कहां घटे और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिलीं।

सर, बिहार की एक कांस्टीट्यूएंसी का नाम है, वाल्मीकि नगर, डॉ. संजय जायसवाल यहां बैठे हुए हैं, उनके पास की कांस्टीट्यूएंसी है। वहां 2,311 वोट का डाइल्यूशन हुआ, वहां से 1,675 वोटों से, वहां बोलेरो में बैठने जितनी छह सीटें कांग्रेस को मिली, उसमें से 1,675 वोट से कांग्रेस जीती।

दूसरा सीट चनपटिया है। वहां एसआईआर से वोट का डाइल्यूशन 1,033 हुआ। वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोटों से जीती। तीसरी सीट है, ढाका। वहां एसआईआर से 457 वोटों का डाइल्यूशन हुआ। वहां 178 वोटों से आरजेडी जीती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें 298 लोग ऐसे हैं, जो विदेश में, दुबई और कुवैत में बैठे हुए हैं और उन्होनें ने यहां वोट डाल दिया। चौथी सीट है, फारबिसगंज। वहां एसआईआर से 1,400 वोटों का डाइल्यूशन हुआ और 221 वोटों से कांग्रेस जीती। पांचवीं सीट है, बलरामपुर, जिसमें 1,468 वोट का डाइल्यूशन हुआ और हम जीते, एलजेपी से रामविलास 389 वोट से जीते। इसके बाद रामगढ़ सीट है। वहां 1,197 वोट का डाइल्यूशन हुआ, 30 वोटों से बहुजन समाज पार्टी जीती। इसके बाद सीट है, जहानाबाद, जहां एसआईआर से 1,832 वोटों का डाइल्यूशन हुआ। वहां 793 वोट से आरजेडी जीती।

सर, हम हारने वाले हैं, लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति देश की करते हैं। मेरे माता-पिता का नाम कटा। मेरे माता-पिता गांव में नहीं थे, मेरे माता-पिता मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वे दिल्ली में रहते हैं, वे किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे।

सर, एस.आई.आर. क्या है? 70 साल के एक आदमी तज़िमुल का मैं नाम बताता हूं, क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था। मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया। उसका नाम तज़िमुल था। 70 साल का वह आदमी आकर कहता है कि मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जब 18 साल में ही वोटिंग का अधिकार मिल जाता है तो आप 70 सालों तक क्या कर रहे थे? आप वर्ष 2020 में वोटर नहीं थे, वर्ष 2015 में वोटर नहीं थे, वर्ष 2010 में वोटर नहीं थे, वर्ष 2005 में वोटर नहीं थे। क्या आपको लगता है कि इस देश में बांग्लादेशी वोटर्स से बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा?? (व्यवधान)

मैं नाम बता रहा हूं।? (व्यवधान) वह आज़म नगर का तज़िमुल है।? (व्यवधान) मैं उसका नाम बता रहा हूं।? (व्यवधान)

पप्पू यादव, आप बैठिए।? (व्यवधान) मैं नाम बता रहा हूं।? (व्यवधान) वह आज़म नगर का तज़िमुल है, जो 70 साल में वोटर बनना चाहता था।? (व्यवधान)

स्पीकर सर, महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में मुंब्रा-कलवा एक सीट है। वहां 41,000 वोटर्स बढ़े। सुप्रिया सुले जी की पार्टी के जितेंद्र आव्हाड जी वहां से 96,000 वोट्स से जीते। भिवंडी पूर्व में 37,000 वोटर्स बढ़े। वहां 52,000 वोट्स से रईस क़सम शेख चुनाव जीते। खेड़ आलंदी में 23,000 वोटर्स बढ़े, वहां 51,000 वोट्स से बाबाजी रामचन्द्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है। मेरे पास 100 जगहों की लिस्ट है। यदि ये कहेंगे तो मैं उसको सदन के पटल पर रख दूंगा, मैं इतना समय नहीं लेना चाहता। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि अगर वोटर्स इन्क्रीज़ हुए तो उसका फायदा महायुति को हुआ। यदि

एस.आई.आर. में वोटर्स डिलीट हुए तो उसका फायदा आरजेडी, कांग्रेस को हुआ । क्या इसके बाद भी आपको एस.आई.आर. खराब लग रहा है?

सर, ये एस.आई.आर. का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं, जो कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा।

सर, मैं यह किताब ?Indian National Congress and the Muslims? लेकर आया हूं। वर्ष 1905 में बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ और वर्ष 1905-06 में मुस्लिम लीग बनी। वैसे तो सोनिया गाँधी जी सारी चिट्ठियां लेकर चली गयी हैं, लेकिन इस किताब के लेखक ने वर्ष 2010 में सोनिया गाँधी जी ने परमिशन लेकर जवाहर लाल नेहरू के फज़लुल रहमान के साथ और जवाहर लाल नेहरू के जिन्ना के साथ के कई लेटर्स को इसमें दिया।

16.58 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

सर, उस समय क्या-क्या कारण थे? भारत के विभाजन का कारण जब वर्ष 1928 में शुरू हुआ तो काँग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम-परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसका पूरा हिसाब-किताब इसमें है । इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एस.आई.आर. है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : पप्पू यादव जी, आप बैठे-बैठे मत बोलिए। जब आपका नम्बर आएगा, आप तब बोलिएगा।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, उस समय मुस्लिम लीग यह कह रही थी कि हमें लोक सभा और विधान सभी की अलग-अलग सीट्स दीजिए, नहीं तो हम भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में इसका फैसला नहीं हुआ। वर्ष 1937 का चुनाव आ गया और वर्ष 1937 के चुनाव में एक-दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है, यह मैं आपको बता दूं। मैं इस किताब को रख दूंगा कि यदि जिन्ना ने काँग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम, मेरे खिलाफ बयान क्यों दे रहे हो?? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Pappu Ji, nothing will go on record except what Nishikant Dubey Ji is saying. Nothing will go on record.

? (Interruptions) ? *

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, आप यह समझिए कि इसी तरह की सिचुएशन थी, जिसमें वर्ष 1906 से लेकर वर्ष 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा रची गयी। उसी तरह, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एस.आई.आर. के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी काँग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है।

सर, आप एस.आई.आर. के तह तक जाइए। अभी बंगाल का चुनाव होने वाला है। बंगाल के चुनाव से संबंधित कुछ चीजें मैं सदन के माध्यम से जनता की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं।

<u>17.00 hrs</u>

वर्ष 2011 में बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ 13 लाख थी। उसमें 6 करोड़ 44 लाख हिन्दू थे, लगभग 3 करोड़ 3 लाख मुस्लिम थे और लगभग साढ़े छह लाख क्रिश्चियन थे। अब आप समझें कि वहां कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे दार्जिलिंग, बांकुड़ा, पुरूलिया, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और 24 परगना हैं। वर्ष 1951 से मैं उनकी आबादी का तुलना करना चाहता हूं। अभी अंतिम जनगणना वर्ष 2011 की है। यह सबको जानने की आवश्यकता है कि एसआईआर की क्यों जरुरत पड़ी। मैं संथाल परगना से हूं। मैं वहां से एमपी हूं। हम शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी सहित सभी की बात करते हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य झारखंड से आते हैं, पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन अभी भी झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। अभी वर्ष 2026-27 में जो डिलिमिटेशन होगा, मैं सोचता हूं कि शायद वहां भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है कि वर्ष 1951 में हमारे यहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45 परसेंट था। जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई तो आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल 27-28 परसेंट है। जब वर्ष 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो लोक सभा की एक सीट और विधान सभा की तीन आदिवासी सीटें खत्म होने लगीं। सभी पोलिटिकल पार्टीज ने यह फैसला किया कि आदिवासियों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए। इस कारण हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ।

सर, आज जब जनगणना होगी तो हमारे यहां मुश्किल से 20 से 22 परसेंट आदिवासी होंगे। जिस मुसलमान की आबादी 9 परसेंट थी, आज उसकी आबादी वर्ष 2011 में 24 परसेंट है। पूरे देश भर में मुसलमान चार परसेंट बढ़े हैं। हमारे यहां रोजगार का कोई साधन नहीं है। लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। इसके बावजूद भी 15 परसेंट मुसलमान कौन हैं, वे सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके आधार पर कांग्रेस, जेएमएम और टीएमसी चुनाव जीतती हैं। इसी कारण वे एसआईआर का विरोध करते हैं। आप इसको देखिए।

सर, मैं चुनाव के बारे में आपको बताऊं कि 24 परगना में वर्ष 1941 में मुस्लिम वोट 32 परसेंट था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश बन गया, तब 24 परगना में मुस्लिम की आबादी केवल 23 परसेंट थी। आज वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से उनकी आबादी फिर से 33 परसेंट है। पूरे देश भर में मुसलमान इन दिनों में चार परसेंट बढ़े हैं। 24 परगना में मुसलमान 13-14 परसेंट कैसे बढ़े हैं, इसका जवाब कौन देगा?? (व्यवधान)

सर, मैं वर्ष 2011 की बात कर रहा हूं। I am not talking about 2025. उस वक्त हमारा होम मिनिस्टर नहीं था, बल्कि कांग्रेस का होम मिनिस्टर था। आपने उसको बचाया है। आपने, सीपीएम और कांग्रेस ने मिल कर मुसलमान को लाया है, इसलिए आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ? (व्यवधान) वर्ष 1941 में कोलकाता में मुसलमान की आबादी 24 परसेंट था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनकी आबादी केवल 12 परसेंट रह गई। काकोली जी, यह आपको भी देखने की बात है। पांच साल के बाद आपका बच्चा जीत कर नहीं आएगा, मुसलमान जीत कर आएगा, जो बांग्लादेशी होगा।? (व्यवधान)

***m38माननीय सभापति :** निशिकान्त जी, आप एक मिनट रूक जाइए। माननीय सदस्य हर मेम्बर को अपनी फिगर देंगे। अगर कोई चुनौती देता है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि वह ऑथेंटिकेट कर दें।

? (व्यवधान)

***m39डॉ. निशिकान्त दुबे :** सर, वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से उनकी आबादी 22 परसेंट थी। आज कोलकाता में 10 परसेंट मुसलमान बढ़े हैं। ? (व्यवधान)

सर, मालदा में मुस्लिम 28 परसेंट थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो वे 22 परसेंट पर आ गए। आज मालदा में 46 परसेंट मुसलमान हैं। मुर्शिदाबाद में 46 परसेंट मुसलमान हैं। ? (व्यवधान)

***m40माननीय सभापति :** लाल जी आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाएं। आप सुन लीजिए माननीय निशिकान्त दुबे जी आज चुनाव सुधार पर ही यह बात नहीं कह रहे हैं, ये इसके पहले भी डेमोग्राफी के बारे में कई बार सदन में सवाल उठा चुके हैं, मैंने इनको अलाऊ किया है।

? (व्यवधान)

***m41श्री गौरव गोगोई :** हम सभी जातियों की बात करते हैं और इनको सिर्फ एक कौम दिख रही है। ? (व्यवधान)

***m42माननीय सभापति :** आप जाति जनगणना की मांग करते हैं। गौरव गोगोई जी अगर आप एक तरफ जाति जनगणना की मांग करते हैं और वह जाति की जनसंख्या दे रहे हैं, तो वह जाति की जनसंख्या दे सकते हैं।

? (व्यवधान)

***m43डॉ. निशिकान्त दुबे :** सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर लालकृष्ण आडवाणी जी का 24 नवम्बर 1980 का प्रश्न है। ? (व्यवधान) अभी राहुल गांधी जी बड़ा लम्बा बोल कर गए कि प्रधान मंत्री जी मेम्बर हैं, अमित शाह जी मेम्बर हैं, मैं अकेला मैम्बर हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ? (व्यवधान) यह श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर 24 नवम्बर 1980 का क्वैश्चन है। इसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। यह रिकॉर्ड की चीज है। शिवशंकर जी यह जवाब देते हैं कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रॉसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1950 से लेकर 2014 तक लगभग 64 साल तक आपने जिसे चाहा, चुनाव आयोग का अधिकारी बना दिया। मदर टैरेसा पर जिसने किताब लिखी, जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इम्पैनल्ड नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी इम्पैनल्ड नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए इम्पैनल्ड नहीं हुआ, वह नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। जब वह केवल क्रिश्चिएनिटी को बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर चुनाव आयोग में कमिश्नर बना दिया ।

जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गईं और लगा कि ये डिबार हो जाएंगी, छह साल चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, जब उस एम. एस. गिल ने बचाया, तो उसके रिटायर होते ही आप उसे दस साल तक ढोते रहे। आपने उसे केन्द्र में मंत्री बनाए रखा। आज सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। हमने कम से कम एक कमेटी बना दी कि यदि आपको लगता है कि चुनाव आयोग की घोषणा के पहले बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के

पहले लिस्ट भेज देते हैं। आप उस कमेटी के सदस्य होते हैं। आप उसमें कम से कम नोट ऑफ डिसेंट लिख देते हैं। हम लोगों के नेता चाहे वो अटल जी हों, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे सुषमा जी हों, जब वे लीडर ऑफ दि पार्टी, मुख्यमंत्री थे, तो उनको अखबार से ही पता चलता था। In 1980, you said that you were going to implement electronic gadgets for the purpose of exercise of votes. हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।

वर्ष 1980 से आप जिन चीजों की पूरे देश को घुट्टी पिलाते रहे, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाते रहे, हमारे वोटर्स को तंग करके, बैलेट से लूट-लूट कर यहाँ आते रहे और बार-बार कहते रहे कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से चुनाव लड़ेंगे, आज आप मुझे उसी ईवीएम के खिलाफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्थिति यह है कि आपने तारकुंडे कमेटी बनाई। आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड तारकुंडे कमेटी और गोस्वामी कमेटी की दो रिपोर्ट लेकर आया। आपने कहा कि स्टेट की फंडिंग यदि नहीं हो पा रही है, तो एक ऐसा कॉर्पस लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड बनाना चाहिए, जिसके आधार पर चुनाव की ट्रांसपेरेंसी हो।

सर, मेरे पास यह रिपोर्ट है। आपको पता होगा कि दिनेश गोस्वामी साहब केन्द्र में मंत्री थे। मैंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पहली बार ऐसा हुआ था और उस समय के कानून मंत्री, एचआर गोखले उस जॉइंट कमेटी के मैम्बर थे। आपने उन सभी जगहों पर यह कमिट किया था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड बनाएंगे और आज यदि इलेक्टोरल बॉन्ड आया है और बीजेपी के पास आया है तो कांग्रेस के पास भी आया है। डीएमके के पास भी आया है। डीएमके को किंग मार्टिन, जो गेम के किंग हैं, उन्होंने ही पूरा पैसा दिया है। टीएमसी को पैसा दिया है। आप इन सारी चीजों के बाद मुझे अंगुली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं?

इस चुनावी प्रक्रिया में यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कंसिस्टेंट होकर अपने विचारों को स्पष्टता के साथ रखा है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। मैं ऑन रिकॉर्ड यह बात कह रहा हूँ कि इस देश में आज तक तीन ही प्राइवेट मैम्बर रेजोल्यूशन्स पास हुए हैं। वैसे सभी सरकारी रेजोल्यूशन और सरकारी बिल पास होते हैं, लेकिन तीन प्राइवेट मैम्बर रेजोल्यूशन भी पास हुए हैं। एक रेजोल्यूशन लाल कृष्ण आडवानी जी का पास हुआ था, जिन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर रेजोल्यूशन पास किया था और आज जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे वीवीपैट दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है, आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, चुनाव में कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो उसके जेल जाने की बात करते हैं, अनुच्छेद 171 को मजबूत करने की बात करते हैं, वे सारे के सारे कानून इस पार्लियामेंट से लाल कृष्ण आडवानी जी के द्वारा पास किए हुए हैं।

मैं इसीलिए ये बातें कहता हूँ, क्योंकि दूसरा खुशनसीब सांसद मैं हूँ, जिसने अनुच्छेद 370 और 35ए के खिलाफ इसी पार्लियामेंट से आप ही लोगों से रेजोल्यूशन पास कराया था। मैं आडवानी जी की तरह पुराना सांसद नहीं हूँ। मोदी जी की कृपा के कारण वह पास हो पाया और माननीय अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करके कम से कम वहां पर भारत का कानून लागू कर दिया। क्या आपको पता है कि जब आपने स्वर्ण सिंह कमेटी में संविधान संशोधन किया तो राज्य सभा की तरह लोक सभा का भी कार्यकाल छह साल कर दिया। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक विधान सभा, जो पांच सालों में

पूरी हो जाती थी, तब जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां छह साल की विधान सभा होती थी। अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करके हमने शेड्यूल कास्ट को सीट्स आरक्षित कीं, शेड्यूल ट्राइब को सीट्स आरक्षित कीं और पांच साल के कार्यकाल की विधान सभा की। हमने इंटीग्रेट किया। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए। आपने नहीं किए। उसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आ रहा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरीके से पैसे की बाढ़ आ रही है तो क्या आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हालत हो गई है। मैं तो राहुल गांधी जी से बहुत कुछ सुनना चाहता था, समझना चाहता था, जानना चाहता था।

आज मैं कसम खाकर आया था कि आज मैं केवल नेहरू जी की बड़ाई करूंगा, राजीव गांधी जी की बड़ाई करूंगा, इंदिरा गांधी जी की बड़ाई करूंगा, क्योंकि ये सारी कमेटीज़ नहेरू जी ने बनाई थी, इंदिरा जी ने बनाई थी या राजीव गांधी जी ने बनाई थी। मुझे लगा कि आप परिवारवाद के बहुत खिलाफ हैं। 1972 में आपने ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यह पास किया था। क्या आपको पता है कि आपने क्या पास किया था? आपने यह पास किया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। आप ही ने कहा था। ? (व्यवधान) हमारे यहां छह साल का प्रोविजन है। कीर्ति आजाद साहब, आप तो उस पार्टी में 20 साल रहे हैं। ? (व्यवधान) हमारे यहां पर अध्यक्ष को दो टर्म मिलती है और एक टर्म अध्यक्ष का तीन साल के लिए होता है। इसीलिए नड्डा जी वर्ष 2020 में बने हैं और उनका टर्म 2026 तक है।

आप अपने यहां पर देखिए कि ममता बनर्जी जी जब से अध्यक्ष बनी हैं, तब से कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना है। आप डीएमके में देख लीजिए कि करूणानिधी जी के परिवार के बाद कोई अध्यक्ष नहीं बना है। उसके लिए शरद पवार एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में जो अध्यक्ष हैं, वे उनके परिवार का नहीं है। मैं उनको मान सकता हूँ। ? (व्यवधान) लेकिन आप यह देख लीजिए। आप कांग्रेस का देख लीजिए। गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बनता है और अगर कोई बनता है तो उसकी स्थिति सीताराम केसरी की तरह हो जाती है। उसकी धोती खोल ली जाती है। ? (व्यवधान) आप किस ओबीसी की बात करते हैं? कौन से रिफॉर्म्स की बात करते हैं? किस कमेटी की बात करते हैं? ? (व्यवधान) आपकी जो कमेटी है, उसी कमेटी के ये हालात हैं। ममता बनर्जी जी अध्यक्ष पद से नहीं हट रही हैं। ? (व्यवधान) कीर्ति आजाद को अध्यक्ष बन जाना चाहिए। ? (व्यवधान)

***m44माननीय सभापति :** माननीय सदस्य, उन्होंने केवल रेफरेंस दिया है। आप बैठ जाइए। आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

? (व्यवधान)

***m45माननीय सभापति :** आप पर आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ रेफरेंस दिया है। मैं आपको अवसर तब देता, जब आप पर कोई आरोप लगता। अगर आप पर अरोप लगता तो मुझे आपको अवसर देने का अधिकार होता। अभी सिर्फ इन्होंने रेफरेंस दिया है।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, यह जो कांग्रेस है, यह कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रुश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर शाहबानो तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनायी हुई है। राजा महमूदाबाद जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति, जिसके लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा, जो कि पाकिस्तान में बैठा है। उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया था। यही कांग्रेस का इतिहास है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, वर्ष 2012 की ही बात है। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या के मंदिर का दर्शन करने तक नहीं गए। नेहरू जी भी कभी सोमनाथ नहीं गए थे।

अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहां की चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगे के कफन में मेरा 'बस' चले यही आह्वान करते हैं। हमारा शरीर तिरंगे के कफन में जाए और इस देश को आगे बढ़ाए। विकसित भारत, 2047 बनायें ? (व्यवधान) और सोरोस के फाउंडेशन के आदमी, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो इंस्टिट्यूशन्स को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति को परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम्। जय हिन्द जय भारत। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गुरमीत सिंह हायेर जी।

***m46श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) :** धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। हमें गर्व है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ, तब जो बहुत-से विकसित देशों के लोग थे और रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब 'इंडिया आफटर गांधी' में लिखा है। उनका कहना था कि भारत कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। लेकिन, हम 'अनेकता में एकता' में विश्वास रखते हैं और हमें गर्व है कि आज इतने वर्षों के बाद भी भारत एक झंडे के नीचे इकट्ठा है।

सभापति जी, यह विश्वास ऐसे ही नहीं बना, इसे बनने में सालों लगे हैं। वह विश्वास इलेक्टोरल सिस्टम पर है, इसीलिए यह विश्वास बना है। लेकिन, पिछले कुछ समय से देश के लोगों का इलेक्टोरल सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। आज सवाल सिर्फ एसआईआर पर नहीं है। आज देश के लोगों के मनों में कितने सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हमारा वोट कहीं चोरी तो नहीं हो रहा? वह तो सिर्फ एक सवालिया चिह्न है। चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, वह बाद की बात है, लेकिन उसका क्या जो लोगों की आंखों के सामने उसका मैंडेट चोरी हो रहा है। मैंडेट चोरी नहीं, मैं कहूंगा कि मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। कर्नाटका से शुरू हुए आप पिछले 10 वर्षों का बीजेपी का डाटा उठा कर देख लीजिए। पहले कर्नाटका में सरकार तोड़कर बनायी गयी, उसके बाद नॉर्थ इस्ट तक कितने ऐसे प्रदेश हैं, यहां तक की अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की 60 में से 47 सीट थी, वहां पर भी आपने सरकार तोड़ दी। महाराष्ट्रा में तो दो बार तोड़ दी। आप देखिए कि क्या उन प्रदेश के लोगों के साथ यह धोखा नहीं है? बेइंसाफी नहीं है? जिन्होंने वोट कहीं और डाला और सरकार इन लोगों की बन गयी।

सभापति जी, देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है। यह नहीं कि ये लोग कोई अपनी मर्जी के साथ बीजेपी के साथ गए। उन लोगों को ले जाने के लिए लालच दिए गए और जो लालच से नहीं गए, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया।

ऐसे कितने उदाहरण हैं, अगर मैं सारे पढ़ने लगूं तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। अभी एक जनाब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। उनके ऊपर दर्जनों केस डाले गए। ईडी की रेड, सीबीआई की रेड और जब बीजेपी में आ गए तो सारे केस माफ हो गए। एक जनाब असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके यहां कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गयी जहां रेड नहीं की गयी। आठ-आठ घंटे की पूछताछ की गयी और आज दस साल हो गए हैं, बीजेपी में आ गए, सीएम बन गए और अब ईडी की कोई जांच तक नहीं। ईडी को उनको बुलाकर पूछना चाहिए था। महाराष्ट्र के एक और लीडर थे, जिनका एयर इंडिया में एयरक्राफ्ट परचेज़ करने का घोटाला था। जब वे बीजेपी में आ गए तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। आज सबसे बड़ा सवाल देश के लोगों का यही है कि हम जो मेंडेट प्रदेश में दे रहे हैं । वह मेंडेट भी इनकी तरफ जा रहा है। आज सवाल यह नहीं है कि इलेक्शन से हम अपनी सरकारें चुनते हैं। इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इलेक्शन तो नेपाल में भी हो रहा है, लेकिन वहां जो कुछ सिस्टम बना, वह इसलिए बना कि वहां के लोगों का देश के इंस्टिट्यूशन्स पर से भरोसा उठ गया। आज बात यह है कि हमारे जो इंस्टिट्यूशन्स हैं, हमारे इलेक्शन कमिशन पर से देश के लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। यह विश्वास बने रहना चाहिए वरना हम भी उन्हीं देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए। आपने कहीं जोड़-तोड़ करके, सीबीआई से, ईडी से सरकार बना ली। एसआईआर तो उसके बाद में आया है। मैं सदन में डाटा बता रहा हूं कि दिल्ली में वर्ष 2020 में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 1 करोड़ 46 लाख 92 हजार 136 थे। वर्ष 2024 में 1 करोड़ 47 लाख 18 हजार 119 थे। इस साढ़े चार साल में केवल 25 हजार वोट बढ़े। उसके मात्र छ: महीने में तकरीबन आठ लाख वोट दिल्ली में बढ़ गए। छ: महीने में आठ लाख और साढ़े चार साल में 25 हजार बढ़े। दिल्ली में कम से कम 40 ऐसी विधान सभा की सीटें थीं, जहां जितने नये वोट दिल्ली में बनाए गए, उससे कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी। नई दिल्ली में केवल वोट बढ़ाए ही नहीं, बल्कि नई दिल्ली में 40 हजार वोट काटे गए, जहां से हम सिर्फ चार हजार वोट से हारे।

माननीय सभापति : डॉ. निशिकान्त दुबे जी ने अभी उदाहरण दिया है। आप कनक्लूड कीजिए।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर : डॉ. निशिकान्त दुबे जी बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए। उन्होंने पांच-सात सीटें गिना दीं कि यहां जेडीयू जीती, वहां कांग्रेस जीत गयी। लेकिन डेढ़ सौ से ऊपर सीटें हैं, जहां जीत-हार का मार्जिन वहां काटे गए वोट के मार्जिन से कम है। मेरी सरकार से यही विनती है कि लोगों का डेमोक्रेसी में इतने सालों से जो विश्वास बना है, उसको खत्म मत कीजिए। हम जब इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं तो इतने बेहूदा जवाब, वह कह रहे हैं कि हम वीडियो नहीं दे सकते, क्योंकि देश की बहू-बेटियों की आबरू की चिंता है। आप एक बिल ले आइए कि कहीं भी कैमरा नहीं लगेगा। आज सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहां भी लगे हुए हैं। यह कैसा जवाब है? दूसरा, मशीन का हम डाटा नहीं दे सकते हैं। आज के युग में हम मोबाइल से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। क्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऐसा कोई एप्प डेवलप नहीं कर सकता है कि किसका वोट काटा जा रहा है, किसका बन रहा है और अपनी वोटर आईडी डालकर वह चैक कर सके।

मेरी सरकार से यह विनती है कि हम आज जो कर रहे हैं, कल न आप रहेंगे न हम रहेंगे, लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि बीजेपी की सरकार आज लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है, अभी भी मौका है कि हम संभलें और देश जिस मजबूती से चल रहा है, उसे चलने दें।

***m47DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI):** Hon. Chairperson, I thank you for permitting me to take part in this discussion which is related to a very burning topic in the country.

The issue of SIR strikes at the very core of our constitutional democracy, the right to vote, the fulcrum that upholds the legitimacy of our republic. In the constitutional system, its ambit and powers are open to question. Now a debate in the Parliament has opened the space for all those questions to be asked. The matter is that of deep uncertainty. It disrupts the integrity of our democratic process. In Bihar, people have already experienced it. In Kerala, where the elections to local bodies are being held nowadays, people are going and experiencing the test.

Sir, I raise a deeper constitutional question. Can a process that forces every citizen to repeatedly prove their eligibility withstand constitutional scrutiny? That is my pertinent question to the Government of India, especially to the hon. Minister who is seated in the House. A democracy cannot function if its foundational assumption is that the citizen does not belong to it. The SIR process is not at all conformed to the procedural fairness, transparency and non-discrimination. The confusion and chaos created by SIR are an outcome of its own design. In Malayalam, the language of our State of Kerala, we say, *swayam krit anartham*. This is created by the system itself. It is natural, if you kickstart such a massive and expansive exercise at a short notice and with an ill-equipped and overburdened administrative machinery to carry out multiple tasks. I would like to ask the Government and the hon. Minister as to why this hurry, why this narrow timeframe is there. We all agree that the objective of ensuring an accurate electoral roll is constitutionally sound. But the objective must be inclusion, not looking and finding out some way or the other for excluding the voters of the country. It has to be facilitated for increasing voters? participation. But the SIR raises concerns about a potential exclusion of genuine voters. That is our complaint.

The legitimacy of an election depends not only on the fairness of its outcome, but also on the inclusiveness of the old process. Democracy is sustained not by purifying the electoral rolls, but by protecting the franchise of the people. I would like to ask: what does it mean to live in a democracy if your name no longer appears in the electoral roll? Lakhs of citizens face an imminent threat of

disenfranchisement solely because they are unable to meet the onerous shifting and arbitrary burden imposed on them by the Election Commission. The SIR process places a lot of burden on the individual voter, imposing new documentary hurdles and shifting the burden of proof to the voter. The documentary proofs range from passport to matriculation records. But strangely enough, universally and readily available proofs including Aadhaar Card, ration card, driving licence and even the Voter Card issued by the Election Commission are intentionally omitted. That means that basic records of the citizens are omitted. Why? I would like an answer from the hon. Minister, from the Government of India as to why these basic records are omitted by them when these proofs are to be presented. The Election Commission asked the people to present the documents that they do not possess. We have to be sorry that it was at the intervention of the Supreme Court that even the Aadhaar Card was made acceptable. Through its various so-called reforms, the SIR procedure is asking the citizens to re-establish their citizenship and that too, with a vaguely and inconsistently applied criteria. There is a serious concern that the SIR opens a backdoor route. I would like to bring a very important pertinent question to this august House.

Sir, there is a serious concern that the SIR opens a backdoor route. I would like to bring this very important and pertinent question to the august House. There is a serious concern that the SIR opens a backdoor route to a National Register of Citizens. Over that, the SIR endows to a test of citizenship which is not the Election Commission?s remit. I emphasise and I repeat, and I would like to bring this very basic issue to the hon. Minister?s attention. The test of citizenship does not come under the remit of the Election Commission.

Sir, various sections of our Indian society suffer due to these so-called reforms. These sections are: One, the migrant labourers of various states; two, the informal workers living in rented rooms; three, women who shift homes after their marriage; four, the NRIs, the Pravasis; and of course, five, the religious and linguistic minorities who are already confronting prejudice in the country due to the activities of the so-called people who have those wrong intentions.

Sir, I am very sorry to say that the constitutional guarantees are filtered through the layers of bureaucratic and administrative discretion. The powers provided by the Constitution to the Election Commission are not unlimited. The powers granted by Articles 324 and 326 are not above Article 14, which guarantees right to equality, and they are subject to strict and well-defined constitutional

scrutiny. The Supreme Court long ago affirmed that free and fair elections are a non-negotiable cornerstone of India?s constitutional order.

Sir, democracies such as South Africa, Canada, and Germany have recognised voting as a core fundamental right, enabling stringent judicial scrutiny against disenfranchisement. I demand and I ask the hon. Minister and the Government in general that India being the world?s largest democracy, must take a similar step to ensure that no administrative expedience, however well-intentioned, can dilute the citizens? most essential democratic power.

Sir, a large number of Indian voters, are mostly from among the poor and the marginalised sections of the country when compared to the Western countries.

Sir, I may be permitted to quote the timeless words of Winston Churchill. I quote what Winston Churchill said:

> ?At the bottom of all tribute paid to democracy is that little man and woman walking into a little booth with a little pencil making a little cross on a paper.?

Sir, I would like to emphasise here the paper. India should be given back that ballot paper. India has to be given back that ballot paper; India has to return to the ballot paper system.

Sir, Churchill continues:

> ?No amount of rhetoric or unanimous discussion can possibly diminish the overwhelming importance of the point.?

Sir, with all regret, I am compelled to say that it is precisely this little man and woman whose democratic rights are now important in the democratic system emphasised by Mahatma Gandhi, in which the common man, the ordinary man, will have the effective voice in shaping the destiny of the country.

Thank you, Sir.

***m48विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए

आपका धन्यवाद। हमारा महान भारत देश लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनाव मात्र एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसे लोकतंत्र के महापर्व के रूप में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें देश के करोड़ों लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

यह हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की पहचान का एक सशक्त प्रतीक है। यही वह आधारशिला है जिस पर भारतीय लोकतंत्र की भव्य संरचना की नींव रखी गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। आज हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं के लिए चुनाव आयोग का कितना महत्व था, यह मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 25 जनवरी, 1950 को ही हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया। उन्होंने चुनाव आयोग को कितना महत्व दिया, इस विषय को भी हमें समझना चाहिए। यह बात सभी को समझनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी।

देश में संपन्न हुए वर्ष 2024 के आम चुनाव में कुल 97.79 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार इसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियों सहित कुल 743 राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे पर, देश की पार्टियों के साथ और जो विदेशी प्रतिनिधि आते हैं, उनके साथ चुनाव आयोग एक समारोह करता है। मैं भी उस समारोह में जाता हूं, मैंने उसमें भाग लिया है। भारत के चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली, चुनाव संचालन को लेकर वहां पर जो विदेशी प्रतिनिधि आते हैं, वे उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जो राजनीतिक दलों के लोग वहां आते हैं, वे भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाहर आलोचना करते हैं। यह कैसा विरोधाभास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह गजब का विरोधाभास है कि यहां हमारे सारे विपक्षी साथी विरोध कर रहे हैं और वहां प्रशंसा करते हैं।

***m49माननीय सभापति :** पाकिस्तान के लोग मांग करते हैं कि भारत जैसा चुनाव कराया जाए।

***m50श्री अर्जुन राम मेघवाल :** आपने भी ठीक इंटरवेंशन किया।

ऑनरेबल सभापति जी, बाबा साहेब बी आर अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर, 1949 को जो भाषण दिया था, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का बेस है, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। उन्होंने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में एक वक्तव्य दिया: ?On this 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics we will be recognising the principle.? यही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। एसआईआर का भी यही आधार है। ?In politics, we will be recognising the principle of one man, one vote, and one value. एसआईआर का भी यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल चुनाव आयोग का भी है। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए और एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एसआईआर में बाबा साहेब के अनुसार जो अपात्र वोट्स हैं, वे मतदाता सूची में नहीं रहने चाहिए और जो पात्र लोग

हैं, वे छूटने नहीं चाहिए। यही बाबा साहेब कहकर गए हैं। राहुल गांधी जी किताब तो लेकर आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या है, यह पढ़ते नहीं है। यही समस्या है। ? (व्यवधान) यह पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा है।? (व्यवधान) मनीष जी, मैं आपकी बात पर आता हूं। बाबा साहेब ने भारत में चुनाव भागीदारी हेतु वन मैन, वन वोट, वन वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। सभी के वोटों का मूल्य बराबर रखा गया। इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नामांकन से और वोट देने के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग समय-समय पर एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?

कांग्रेस के जमाने कितनी बार एसआईआर हुआ था। वह करें तो ठीक, हम करें तो खराब। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसा विरोधाभास है?

महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश से संविधान निर्माताओं की सामूहिक दूरदर्शिता का प्रमाण था कि देश की आज़ादी के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक व समता अधिकार लागू करके महिलाओं के वोटिंग राइट सुनिश्चित किए गए। मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बात सदन में बताना चाहता हूं। अमेरिका जैसे देश में, वर्ष 1776 में आजादी मिली और महिलाओं को वोटिंग राइट देने के लिए 144 वर्ष लगे। इंग्लैंड में, जहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, वर्ष 1918 में 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, वर्ष 1928 में सब महिलाओं को मताधिकार मिला। मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में महिलाओं को दो बार मताधिकार मिला लेकिन संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि सबको मताधिकार दे दीजिए। संविधान सभा में डिबेट अलग दिशा में जा रही थी, तब बाबा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारे बाद बहुत देश आजाद होंगे, भारत को मताधिकार के मामले में नेतृत्व करना चाहिए। अगर हम सबको मताधिकार दे देंगे और वैल्यू एक रखेंगे यानी एक आदमी, एक वोट, एक ही वैल्यू होगी तो इसका प्रभाव दूसरे देशों में जाएगा। इस कारण सबको मताधिकार मिला। बाबा साहब ने संविधान सभा में यह कहा तो किसी ने पूछा कि महिलाओं को मताधिकार क्यों दे रहे हैं, यह तो परिवार के मुखिया के अनुसार वोट करेंगी? बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाएं समझदार हैं, जब वे भागीदारी करेंगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं भागीदारी कर रही हैं और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब की बात सही निकली। ? (व्यवधान)

आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में ?नारी शक्ति वंदन? के रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना। लोकसभा और विधान सभा में महिलाओं का 33 प्रतिशत रिजर्वेशन किसने किया? यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। ? (व्यवधान) आप तो नहीं कर पाए। ? (व्यवधान)

भारत में चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए। इसके बारे में बहुत लोगों ने आर्टिकल लिखे, लेख लिखे कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा या नहीं? चुनाव आयोग ने कितना बड़ा काम पहले चुनाव से करना शुरू किया। हमारे साथी लल्लन सिंह जी ठीक ही कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि यह स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे। लल्लन सिंह जी कह रहे थे कि यह कांस्टीटुएशनल

बॉडी है। इसकी चर्चा आपने मांगी, हमने कहा कि एसआईआर तो चुनाव आयोग का इन्टर्नल वर्क है, आप इलैक्शन रिफार्म्स पर चर्चा कर लीजिए लेकिन आपने उस समय इलैक्शन रिफार्म्स की बात नहीं मानी। अगर आप उस समय इलैक्शन रिफार्म्स पर चर्चा की बात मान लेते तो उस समय हम चर्चा कर लेते, लेकिन आप एसआईआर पर ही अड़े रहे। ? (व्यवधान) हमारे पास इसका जवाब है। इनको उस समय भी बताया था। ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : हमने उस सत्र में भी कहा था,? (व्यवधान) कौन मंत्री रिप्लाई करेगा?? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हमारे पास जवाब है, हमने उस समय भी बताया था।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करें।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, इनको उस समय भी बताया था कि 14 दिसंबर, 1998 को बलराम जाखड़ साहब ने ही आप की ही जैसी सीट से कहा था कि इलैक्शन कमीशन कांस्टीटुएशनल बॉडी है इसलिए हम इसके कार्यों की चर्चा नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ? (व्यवधान) यह इनको पता है और बीएसी में इस पर चर्चा हो चुकी है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: संविधान के अनुकूल प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जी हाँ, आपने ठीक कहा सर।

संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी करनी होती है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल को ठीक रखना चाहता है। यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के संचालन हेतु निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई है। संविधान सभा ने ही उसे शक्तियाँ प्रदान की हैं। इस कांस्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रेप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1950, जिसका जिक्र मनीश तिवारी जी कर रहे थे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 (आरईआर, 1960) द्वारा उसको सशक्त किया गया। आगे मैं उन नियमों पर भी आऊँगा। आर्टिकल 326 यह निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसने क्वालिफाइंग डेट पर ; सर, यह इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 यह निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

माननीय सभापति : मनीश तिवारी जी, माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहे हैं।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं उस पर आ रहा हूँ।

आर्टिकल 326 यह निर्धारित करता है कि

***m51माननीय सभापति :** गौरव जी, इन्होंने जो कहा कि क्या अख्तियार है, आर्टिकल 324 और 326 में, तो ये उसी का उल्लेख कर रहे हैं।? (व्यवधान)

***m52श्री अर्जुन राम मेघवाल :** मैं उस पर पहुंच रहा हूँ।

आर्टिकल 326 यह निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं है, उसे वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, सेक्शन 16, जिसकी मनीश तिवारी जी बात कर रहे थे, सेक्शन 16, सेक्शन 19 और आरपी एक्ट, 1950 नामांकन के लिए मूल पात्रता की शर्तें निर्धारित करते हैं। वे शर्तें क्या हैं, आप सुनिए।

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। इसमें ये सारी शर्तें हैं। सोनिया गांधी जी का विषय तो आपके ध्यान में है कि वे बिना भारतीय नागरिक बने वोटर लिस्ट में शामिल हो गई थीं, उसके बाद नाम हटाना पड़ा था। यह सबको पता है। यह नया विषय नहीं है। अनुराग जी, आपको तो पता ही है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : मैंने पूरे देश को बता दिया था।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ये सब सेक्शन 16 में है। क्वालिफाइड डेट पर कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

***m53माननीय सभापति :** इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए।

***m54श्री अर्जुन राम मेघवाल :** संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऑलरेडी रेजिडेंट होना चाहिए। यह सेक्शन 19 में है।

इसके अनुरूप, ईसीआई यह कांस्टिट्यूशनल रेस्पांसिबिलिटी लेता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन किया जाए, इसमें क्या गलत है? निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अयोग्य नागरिकों का एक्सक्लूजन किया जाए।

माननीय सभापति : आप कल्याण बनर्जी जी का भी जवाब दे रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जी हाँ, यह इनका भी जवाब है।

इलेक्टोरल रोल की शुद्धता और अखंडता बनाये रखना, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय सभापति : कल्याण जी, ये आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपने जो सवाल उठाये थे, ये उनका जवाब है।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करने और अयोग्य एवं डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को बढ़ाता है। इलेक्शन कमीशन का यही काम है।

आरपी एक्ट, 1950 के सेक्शन 21 व अन्य प्रावधानों के अनुसार इलेक्टोरल रोल की तैयारी और संशोधन को लीगल बेस प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 का रूल 21 यह निर्धारित करता है कि ईसीआई के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची को या स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न या समरी रिवीज़न करना चाहिए, जो साल में चार बार होता है, के द्वारा संशोधित किया जाता है। ये काम लगातार इलेक्शन कमीशन करता है। यह इनके पीरियड में भी होता रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि एसआईआर में यह छ: से सात बार हुआ है। यह पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है।

अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, ईसीआई ने इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल का समय-समय पर, आवश्यकता के अनुसार समरी या इंटेंसिव रूप में संशोधित करने का कार्य किया है। यह इतिहास कहता है। मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। आप कहेंगे, तो मैं डेटवाइज़ बता सकता हूँ। कब कौन-सी एसआईआर हुई, किसके पीरियड में हुई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, सारे आँकड़े हमारे पास हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री और कानून मंत्री भी हैं, इसलिए आप सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं बताता हूँ।

इलेक्टोरल रोल का समरी रिवीज़न एक रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है। जबकि इंटेंसिव रिवीज़न एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा हाउस-टू-हाउस जाकर इनन्युमरेशन किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार संचालित नहीं की जा रही है। मैं तारीखों का विवरण दूंगा। इससे पहले भी वर्ष 1952-56, 1957-61, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-93, 1995, 2002 और 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण हुई है। पिछले दो दशकों में कोई भी विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं किया गया है। चूंकि इस अवधि में रैपिड अर्बनाइजेशन, शिक्षा या रोजगार हेतु माइग्रेशन तथा अन्य सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के कारण नागरिकों के निवास स्थान में बार-बार बदलाव हुआ है। इसलिए वे कहां रहते हैं, यह जानकारी करना जरूरी था।

इस वजह से कई मतदाता नए निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन पिछले निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने में विफल रहते हैं। निशिकान्त जी भी अपनी माताजी और पिताजी का जिक्र कर रहे थे। इससे डुप्लीकेट और गलत एंट्रीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखकर विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता उत्पन्न होती रही

है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह साफ, सत्यापित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं।

असल बात यह है कि बार-बार होने वाले चुनावों में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर उंगली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, तो कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है।

सभापति जी, मुझे विपक्ष की स्थिति पर गालिब का एक शेर याद आ रहा है। किसी ने गालिब से पूछा कि मैं काम तो बहुत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती है। तब गालिब ने उनको जवाब दिया था। अभी यहां पर जो बोलकर चले गए हैं, उन पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है।

?उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब,

धूल चेहरे पर थी और हम आईना ही पोंछते रहें।?

सभापति महोदय, मेहनत तो बहुत की है, लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी और इनके नेता आज हमारे ऊपर चुनाव सुधारों को लेकर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी और इनकी परिवारवादी सोच शुरू से ही इतनी हावी रही है कि देश की आजादी के बाद ये वोट चोरी के काले कारनामों से बाज नहीं आए हैं। वोट चोरी की झूठी अफवाह फैलाने वाले विपक्ष के दोगलेपन का पर्दाफाश करते हुए, मैं वोट चोरी के कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सन् 1951 में बाबासाहेब ने चुनाव लड़ा था। ? (व्यवधान) मैं वोट चोरी की बात कर रहा हूं। उन्होंने पहला चुनाव मुंबई उत्तर सीट से लड़ा था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में बाबासाहेब मात्र 14,561 वोट्स से हार गए थे। लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या और बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना की वजह से उन्होंने 74,333 वोट्स को खारिज करवा दिया था। यही वोट चोरी है। ? (व्यवधान)

सभापति जी, 74,333 वोट्स कम नहीं होते हैं। जब ये वोट्स खारिज हुए, तब बाबासाहेब ने चुनाव आयोग में एक याचिका दायर की थी। जैसे ये कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के साथ क्या कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, आप यह देखिए। 21 अप्रैल, 1952 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 पन्नों की एक याचिका तैयार की थी। वह खुद वकील थे। जिन्होंने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनाव में धांधली करके हरा दिया था। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। कई और उदाहरण आगे मिलेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि आपको सुनना नहीं है।

सभापति जी, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि इनकी बात नहीं सुननी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो साथ लेकर आते हैं, लेकिन संविधान में लिखा क्या है, वे उसको पढ़ते नहीं हैं।

मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। सन् 1971 में आम चुनाव हुआ था, जिसका जिक्र कई सदस्यों ने किया है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इंदिरा जी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा था। वह कोर्ट में भी साबित हुआ है।

रायबरेली के उस चुनाव में इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेज़ की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना कृत्य है ।? (व्यवधान) इन्हें वह याद ही नहीं आ रहा है, जो आज भी भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करता है ।? (व्यवधान) मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। मैं राजस्थान का रहने वाला आदमी हूं। मेरे यहां तो कुछ कहावतें हैं, लेकिन पता नहीं कि वे आपके यहां हैं या नहीं। वह यह है कि ?उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ।? (व्यवधान)

यह इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मामला है। हमारी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ?मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023?, जिसके बारे में एलओपी अभी बोलकर गए हैं, उसे पारित किया है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करना तथा 2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून बनाने तक, यह एक ऐसा अरेंजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने इस पर कानून नहीं बनाया। इसलिए कानून बनाने तक हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं। क्या यह कोई कानून बन गया था? इन्होंने भी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सेवा शर्तों के लिए बार-बार अमेंडमेंट्स किए थे, तो हमने भी वर्ष 2023 में अमेंडमेंट कर दिया।

मैं आगे कहना चाहता हूं, जैसा कि लिखा हुआ है, जिसका जिक्र मनीश तिवारी जी कर रहे थे। संविधान के अनुच्छेद-324 के सब-सेक्शन - 5 में लिखा है :

?Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court? ?

सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है, वैसे ही इनको हटाना है और वही कंडीशन करनी है, तो संविधान में जो लिखा हुआ है, वही तो हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर तो आते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। इस पर हम क्या कर सकते हैं?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : इन्होंने भी उसे आधा ही पढ़ा है।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बिहार में एसआईआर हुआ है। बिहार चुनाव के दौरान मैं भी वहां था। संजय जायसवाल जी भी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने भी कहा कि बिहार के चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। मुझे भी इसका कोई असर नहीं दिखा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे, जिनके बारे में नहीं बोला गया। ये एसआईआर के बारे में बोले, लेकिन जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया और इन्हें नकार दिया। जब इनकी करारी हार हुई, तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है या ये एसआईआर के कारण हार गए हैं। क्या यह कोई तरीका है? ? (व्यवधान) मैं गालिब की शायरी दोबारा बोलना चाहूंगा :

?उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब,

धूल चेहरे पर थी और हम आईना ही पोंछते रहे ।?

इसलिए रिज़ल्ट कैसे आएगा? यह 12 राज्यों की एसआईआर का विषय भी है । बिहार का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में गया था । हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा ? ?निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ।? ? (व्यवधान) मनीश तिवारी जी कह रहे थे कि आयोग को अधिकार ही नहीं प्राप्त है । ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा । यह सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है । मैं उन मुख्य न्यायाधीश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, साथ में एक और जज भी हैं । उन्होंने जो प्रश्न उठाए, उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया । अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात को माना है । मेरी समझ में नहीं आया है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं?? (व्यवधान)

मैं फिर से यह कहूंगा कि आप जीते तो ईवीएम ठीक थी और हम जीते तो ईवीएम खराब है?? (व्यवधान) यह कैसा विरोधाभास है? आप एसआईआर कराएं, तो ठीक है और हम एसआईआर कराएं, तो खराब है? यह कैसा विरोधाभास है?

***m55उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) :** ये कर्नाटक में जीतते हैं, तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में हारते हैं, तो ठीक नहीं है । ? (व्यवधान)

***m56श्री अर्जुन राम मेघवाल :** जी, हां । यह कैसा विरोधाभास है?? (व्यवधान)

इन्होंने नवीन चावला जी का अपॉइंटमेंट कैसे किया? इन्होंने एम.एस. गिल जी का अपॉइंटमेंट कैसे किया? इनको यह जानना चाहिए? आप अपॉइंटमेंट करें तो ठीक है, हम अपॉइंटमेंट करें तो खराब है? ? (व्यवधान) यह कैसा विरोधाभास है? ? (व्यवधान)

***m57श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** नवीन चावला मीटिंग से फोन और एसएमएस करें, तो ठीक है । ? (व्यवधान)

***m58श्री अर्जुन राम मेघवाल :** हां, उनके लिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइटिंग में शिकायत लिखता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं । यह कैसा विरोधाभास है?? (व्यवधान)

<u>18.00 hrs</u>

देखिए, मैं नवीन चावला जी के विषय में भी बता देता हूं । ? (व्यवधान) चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी प्रश्न उठाए हैं । शायद वे भूल गए हैं कि किन लोगों ने और किस तरीके से नवीन चावला जी को चुनाव आयुक्त और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था । ? (व्यवधान) मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए-1 के समय में नवीन चावला जी, जो गांधी परिवार के खास थे, को चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया, जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यदि सभा की सहमति हो, तो सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां। ? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यूपीए-1 के समय नवीन चावला जी, जो गांधी परिवार के खास थे, को चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया और जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। ? (व्यवधान) यह शिकायत किसने की? हमने नहीं की, मैं इसके बारे में आगे बताता हूं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उनके कार्यों की शिकायत तथा उन्हें हटाने की सिफारिश तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री गोपाल स्वामी जी ने राइटिंग में की थी। ? (व्यवधान) फिर भी आपने कुछ नहीं किया और हमें दोष देते हैं। ? (व्यवधान)

***m59श्री प्रहलाद जोशी :** बाद में उनको मंत्री भी बनाया। ? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हां, बाद में उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन, इसके बावजूद नवीन चावला जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, उनको प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ? (व्यवधान) आज ये हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आप करो, तो ठीक और हम करें, तो खराब? ? (व्यवधान) सर, यह कैसा विरोधाभास है? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। इस पर आप थोड़ी व्यवस्था दीजिए। ? (व्यवधान) इसी प्रकार श्री एम. एस. गिल वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्हें कांग्रेस और गांधी परिवार से निकटता और वफादारी का इनाम देते हुए पहले राज्य सभा का सदस्य, फिर सरकार में मंत्री बनाया। ? (व्यवधान) वे करें, तो ठीक और हम करें, तो खराब? सर, यह कैसा विरोधाभास है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह भरोसा जनता देगी, हम नहीं दे पाएंगे। हम यहां आपको बोलने की इजाज़त देंगे, भरोसा जनता देगी।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हां, जनता भरोसा दे रही है। ? (व्यवधान)

सभापति जी, ये लोग देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस चर्चा में कुछ विषय लेकर आए। ? (व्यवधान)

***m61श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** सर, अगर वेणुगोपाल जी को लगता है कि मंत्री जी कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वे बताएं। ? (व्यवधान) ये तो आपको हिस्टॉरिकल फैक्ट्स बता रहे हैं। ? (व्यवधान)

***m62SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):** I am telling you about the valid ? (*Interruptions*)

***m63श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ? (व्यवधान) आपके समय में आपने इलेक्शन कमीशन के साथ जो किया, ये पूरे देश को वह बता रहे हैं। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Venugopal ji, you are a very senior Member.

***m64श्री अर्जुन राम मेघवाल :** सर, चुनावों पर हो रही इस चर्चा में यही विषय आए हैं - अपॉइंटमेंट, ईवीएम, एसआईआर, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, वोट चोरी, नेगेटिव कैम्पेन, आधार, एमसीसी, महिलाओं की भागीदारी, शिकायतें न सुनना। यही सारे विषय थे। मैं इन्हीं विषयों पर बोल रहा हूं। मैं इन विषयों से अलग नहीं जा रहा हूं। क्या मैं इन विषयों से अलग जा रहा हूं? क्या आपको ऐसा लगता है? ? (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अगर अलग जाएंगे, तो हम आपको रोक देंगे।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी का विषय भी यहां आया है। इसीलिए, मैं यह विषय यहां ला रहा हूं अन्यथा मैं यह विषय नहीं लाता। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री - सर, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार को लेकर भारत की जनता और सामान्य मानवी के मन में यह विश्वास बना हुआ है कि यह सरकार जो कहती है, वह करती है। ? (व्यवधान) जो वादे किए जाते हैं, उन्हें धरातल पर पूरा किया जाता है। इसलिए, यह धारणा बलवती हुई कि ?मोदी है, तो मुमकिन है?। माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। यदि आपकी इजाज़त हो, तो मैं ये पंक्तियां सुना दूं?

?जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से,

वो और थे जो हार गए आसमान से?

प्रधानमंत्री जी भारत को ?विकसित भारत? बनाकर ही दम लेंगे। इसलिए, उन्होंने एक सपना देखा, जिसको हम साकार करने के लिए कभी रिफॉर्म की बात करते हैं, कभी पर्फोर्म की बात करते हैं और कभी ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस मंत्र पर चल रहे हैं। वर्ष 2047 तक भारत को ?विकसित भारत? बनाना है।

आदरणीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। सुधारों की यह प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। हमें पता है कि इस मार्ग में कुछ मुश्किलें आएंगी। यह हमें पता है, हम जानते भी हैं और पीएम साहब भी जानते हैं। कई अवरोध आएंगे, लेकिन, हम बिना थके, बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। फिर किसी शायर ने कहा है -

?मुश्किलें जरूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूं मैं,

मंजिलों से कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं?

मुझे वर्ष 2047 तक पहुंचना है और भारत को ?विकसित भारत? बनाना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

***m65SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):** Sir, electoral reform begins with one simple truth ? an honest, transparent, neutral, and independent Election Commission. But today, unfortunately, for the first time in independent India?s history, the very institution meant to protect our democracy is being accused of undermining it. This is not just shocking; it shakes the foundation of our democracy and destroys people?s trust in the electoral process.

Sir, I will come straight to the subject of SIR. The hon. Law Minister has just spoken before me. He raised a question as to whether the Congress did not conduct SIR earlier. That is fine. But the way the BJP is doing it now is wrong. We are not saying that SIR itself is wrong. The hon. Law Minister is a former Civil Servant. He knows what is right and what is wrong.

In this entire SIR exercise, the Election Commission claims that it is undertaking a deep clean-up of the voters? list ? deleting deceased voters, removing voters who have migrated, and adding new voters. We have no problem with this. This has been done by the Election Commission for many years.

Sir, what is the difference between the SIR conducted during the Congress regime and the SIR being conducted during the current BJP regime? The difference is the voters? list. This is the existing voters? list of Tamil Nadu. If the Election Commission is truly sincere, it should carry out additions and deletions only in this existing voters? list. But instead, it has simply discarded it.

Now, an Enumeration Form has been circulated in my State where SIR is being carried out. All 6 crore 36 lakh Enumeration Forms have been circulated. Instead of using the latest voters? list, the Election Commission is using the 2002 voters? list, when the last SIR was conducted. That was 23 years ago. Why does the Election Commission want to carry out simple deletions and additions without using the existing voters? list? Why is it using a voters? list from 2002?

Moreover, in this Enumeration Form, they are asking for various details ? the voter?s date of birth, Aadhaar number, mobile number, father?s or guardian?s name, father?s or guardian?s voter ID, mother?s name and voter ID, spouse?s name and voter ID. These details are sufficient to create

a new voters? list. However, they are asking for one more detail from the 2002 voters? list. They ask for the voter?s name as it appeared in the 2002 voters? list. If the voter ID exists, it must be provided. They also ask for the relative?s name, the relationship, and details such as district, State, Assembly constituency, etc. It does not end there. There is one more column asking again for the relative?s name that has already been mentioned.

Basically, the Election Commissioners conducting this exercise are not doing SIR; they are conducting an NRC exercise. Whom does the Election Commission want to fool? We are not prepared to be fooled. The hon. Law Minister should understand that there is a clear difference between the SIR conducted during the Congress period and the SIR being conducted during the BJP period.

The existing voters? list has been completely discarded. This exercise has been imposed on States like Tamil Nadu, which is going for an election. Within 30 days, we are expected to complete this enormous task of filling out these forms. It is a Herculean exercise. There are five States going for elections ? Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Assam, and West Bengal. In four Opposition-ruled States, this SIR exercise is being conducted. But in Assam, which is a BJP-ruled State, the SIR exercise is not being conducted. Why? The Election Commission answered this question in a press conference. They stated categorically that Assam follows different NRC rules and that is why SIR is not being conducted there. This makes it clear that the Election Commission is carrying out NRC, not SIR. By doing so, they are going to disenfranchise lakhs of people, something they have already done in Bihar. And this does not end here.

Rahul Gandhi ji has already, beyond any doubt, explained to the country how the voters? list is being manipulated. This Election Commission is enabling corruption in the voters? list and laying the foundation for manufactured victories of the BJP. Lakhs of genuine voters have been deleted ? mostly minorities, women, Dalits, and Adivasis. Especially when it comes to women, they are being asked to provide data from the 2002 voters? list. A woman who is married and living in her spouse?s home is being asked to mention details of her polling booth before marriage or the polling booth where her parents voted. She is even required to provide the polling booth number.

How will they find out the polling booth number after so many years? Even it is not known to their parents. So, you are going to disenfranchise a lot of women. Apart from that, at some places,

more votes were counted than the voters who turned up. In a 10x10-feet room, the Election Commission shows more than 500 registered voters. It is a miracle only the Election Commission of India can perform.

In Maharashtra, voters from Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Bihar appear on the roads, and they have promptly voted there. A State-to-State voter transport system has been created by the BJP in collusion with the Election Commission of India. That is how they are winning elections. In Haryana alone, there are 25 lakh fake voters among two crore voters. One out of every eight votes is fake. One woman's name appears 223 times across two booths. One person appears as a voter in multiple States. Who allowed this to happen? The answer is very clear. It is done by the BJP-Election Commission alliance. Our Leader of the Opposition, Rahul Gandhi ji, has already explained this.

Sir, one more fraud is happening, which is very meticulous. For example, Shri Murasoli is from Tamil Nadu. His identification is being used to remove my name from the voters? list without the knowledge of either of us. This removal application has been filed from some other State. Now, Karnataka CID has registered an FIR. They are asking for data from the Election Commission. The Election Commission refuses to provide the data to a State agency. What are they trying to hide? So, this kind of electoral fraud is not ending here.

There is a scam hidden in the frequent voters? list revision. Earlier, the voters? list used to be revised once a year. Every January 1st, the new revised voters? list would be published. After that, whenever an election happens ? whether there is a local body election, Assembly election, or parliamentary election ? before that, well in advance, the voters? list would be published. But now, under the new Election Commission, revision happens once every three months, that is, four times a year. On paper, this looks very efficient. In reality, this is where the fraud begins. Political Parties cannot audit the voters? list every three months. That is precisely why the BJP-Election Commission nexus uses this system to add thousands of fake voters slowly and silently, especially in the chosen constituencies.

Sir, there is one more fraud which is happening. Earlier, the names of all members of a family appeared together in sequence in the voters? list. Today, the list has been torn apart and scattered. If we talk about one family, the father's name is at Serial No. 850, daughter's name is at Serial No.

720, while the son?s name is at Serial No. 530. Why is it so? Keeping the family members? names together in a voters? list is natural, simple, and systematic. Despite that, the Election Commission is dismantling the entire voters? list setup. This makes the Booth Level Agents? job of detecting fraud in the voters? list more difficult. Especially, in the urban areas, it is very difficult for the Booth Level Agent of any political party to know each and every individual voter by his face. They would generally identify the entire family based on one family member's name. Now, this is impossible. But it is possible only for the BJP because, through the Election Commission, they are the ones who are actually implementing this master plan in the voters? list. This is the secret of the BJP's strike rate of winning the highest urban seats compared to rural seats in closely contested elections, like those in Haryana. So, you are stealing every other vote. Names from other booths, other constituencies, and even other States appear in the voters? list through this manipulative process. This is not management; this is a war on Indian democracy orchestrated jointly by the Election Commission of India and the BJP.

Sir, the voters? list is now inaccessible by design. The Leader of the Opposition has spoken about the machine-readable voters? list. As there has been no machine-readable voters? list since 2019, parties and civil society cannot audit the voters? list. The Election Commission has completely shut the door to any kind of audit, either by political parties or by organizations that monitor elections, or by the general public.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Tagore, you are the Whip of your Party. If a Member of Parliament of your Party is speaking, you should not cross like this. In future, you have to take care of this.

SUSHRI S. JOTHIMANI : There is a CCTV footage. Again, the Leader of the Opposition has spoken about it. Now suddenly, the Election Commission is saying that CCTV footage is destroyed after 45 days. I have a very important question. I hope the Election Commission will answer this or the Law Minister can ask the Election Commission and answer us through the Chair.

The Election Commission says that CCTV footage is destroyed in 45 days. There could also be a grievance appeal. If a candidate, who contested an election has a grievance with regard to the results, goes for an appeal. The time for an appeal is 45 days. Now, a candidate goes for a grievance appeal in the given period of 45 days. There will be a trial and then there will be a court case. But they say that CCTV footage is destroyed in 45 days. In such a situation, how will the

grievance redressal happen? Basically, the Election Commission reduced the grievance appeal of a candidate to a joke. These are all the issues which we would like to figure out in the list.

Sir, the Election Commission is completely compromised. In a democratic country where voters? list is manipulated, media is captured, the Model Code of Conduct is one sided, election funding is secret, the democracy is not free, it is for sale.

We stand here clearly today to say firmly that voting rights cannot be stolen. The people?s mandate cannot be manufactured. We will fight for each and every single vote not for our political gains but for democracy. We will not allow this country to be ruled by one party alone with the help of the Election Commission. Thank you.

***m66श्री राजीव राय (घोसी) :** महोदय, देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो बहुत पीड़ा के साथ खड़ा हुआ हूं। यह सरकार हर बात पर कागज मांगती है, हर बात पर सबूत मांगती है। सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कागज दिखा रहे थे, शायद मंत्री जी उठ कर चले गए, सच को देख नहीं पाते। यह 664 पेज की एक रिपोर्ट है और एसआईआर शुरू होने से एक महीने पहले ही 15 हजार वोट काट दिए गए हैं। एक-एक पन्ना चीख-चीख कर बता रहा है कि लोकतंत्र का किस तरह गला घोंटा जा रहा है, किस तरह से ? * हो रहा है? इसमें लिखा है, ?Application for the deletion has been accepted.? I have been asking from the authorities who made that application. When was that application sent? कोई जवाब नहीं आया। मैंने जिले के अधिकारी को लिखा। मैंने चुनाव आयोग को लिखा। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय है, चुनाव आयोग का हैडक्वार्टर्स है। मैंने पत्र लिखा कि मेरे पास सबूत है और मैंने जिला अधिकारी को लिख कर दिया है। मैं आपसे समय चाहता हूं। चुनाव आयोग की तरफ से समय नहीं मिला। 5 दिन के बाद जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट के कैम्पस में विषय उठाया, पत्रकारों से बात हुई, प्रेस कांफ्रेंस में कहा तो मुझे एक पत्र आता है कि आप अगले दिन 3 बजे लखनऊ के सीईओ ऑफिस में आ जाइये। लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था मुझे कहती है, एक सांसद को कहती है कि आप पार्लियामेंट का सेशन छोड़कर लखनऊ जाओ। यह कौन सा डर है? आप जानते हैं क्यों, क्योंकि उनको भी पता था कि जवाब नहीं है। कहते हैं कि?

ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें

खोजने से कातिल का निशान नहीं मिलेगा।

महोदय, अगर बात इतनी सी होती तो समझ में आती। वह जवाब कहां से देंगे? यह एक पन्ना है, सिर्फ एक नमूना है, इसमें नाम इसलिए डिलीट कर दिए गए हैं कि नागरिकता के आधार पर ऑब्जेक्शन हुआ है। ऑब्जेक्शन करने वाला और

जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हुआ है, दोनों एक ही आदमी है। राजीव राय ऐप्लिकेशन दे रहे हैं कि राजीव राय की नागरिकता नहीं है, इनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दो। आप समझ रहे हैं कि कितना गंभीर अपराध है? अगर राजीव राय कह रहे हैं कि राजीव राय भारत के नागरिक नहीं हैं और जब वह ऐप्लिकेशन देने गए तो पकड़ कर बंद क्यों नहीं कर दिया गया? मैं एक विधान सभा क्षेत्र से सैम्पल लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि यह क्यों हो रहा था? वहां के हमारे विधायक की सदस्यता कोर्ट के निर्णय के आधार पर घंटों में रद्द कर दी गई।

वे बीजेपी के नहीं थे। बीजेपी के होते, तो आखिरी समय तक चलता। चूंकि जल्दबाजी में चुनाव कराना था, तो एसआईआर से पहले ही एक एसआईआर करा दिया गया। मुझे याद है, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे, तो एक याचिकाकर्ता ने उन लोगों को जिंदा लाकर खड़ा कर दिया, जिनको बिहार में मुर्दा बता दिया गया था। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मुझे ट्रेन बुक करवा दीजिए। यदि मैंने ट्रेन की ट्रेन इस लोकतंत्र के मंदिर में लाकर खड़ी न कर दीं, तो इस्तीफा दे दूंगा, जिसको आपने मरा हुआ घोषित कर दिया है। यह लोकतंत्र का ? * हो रहा है। क्या यह मजाक हो रहा है? फिर भी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव होते हैं। चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। चुनाव खत्म होने के बाद उन बातों को भी खत्म कर दिया जाता है। एक और समस्या आ रही है, जिसे आप भी अपने इलाके में झेल रहे होंगे। वर्ष 2003 की बात है। यहां पर विद्वान लोग बैठे हैं। हमारे नेता भी यहां बैठे हैं। हम यूनाइटेड नेशन्स में गए थे। यहां वकील भी हैं। चुनाव आयोग का क्या काम है? आप हमेशा घुसपैठियों की बात करते हो, फर्जी मतदाताओं की बात करते हो। आप उनको लेकर आओ। हम आपके साथ उनको भगाने के लिए लाठी लेकर खड़े हैं। चुनाव आयोग का काम है कि हिंदुस्तान के हर वैध नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह सिंपल-सा फॉर्मूला होता है कि यदि आपका नाम पिछली वोटर आईडी में है, तो आप उसे दिखाइए। यदि आप वहां उपस्थित हैं, तो वोट डालिए। यदि नहीं हैं, तो आप सबूत दिखाइए कि आप जिंदा हैं, यहीं रहते हैं और भारत के नागरिक हैं। आपका वोटर लिस्ट में नाम पड़ेगा। अगर आपका नाम दो जगह है, तो आप कटवा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। खैर, वह मुकदमा किसी और के ऊपर हुआ। भाजपा के बड़े-बड़े नेता दिल्ली के चुनाव के बाद अंगुली दिखाते हैं कि देखो-देखो! मैंने दिल्ली में वोट दे दिया, लोकतंत्र की रक्षा कर दी। बिहार चुनाव होता है, तो बिहार में वोट देने के बाद अंगुली दिखाते हैं कि देखो-देखो! मैंने बिहार में लोकतंत्र की रक्षा कर दी। साथ ही टीवी चैनलों पर बैठकर ज्ञान भी देते हैं। क्या यह उनके लिए नहीं है? अगर मंशा साफ है, तो छोटी-सी बात है। वर्ष 2003 की बात क्यों करते हैं? यदि किसी की शादी हुई है, तो 2003 में उसका नाम नहीं होगा। मां-बाप कहीं रहते होंगे। मां-बाप जिंदा हैं या नहीं जिंदा हैं, कहीं चले गए। अब वे 2003 का लेकर आए। जब 2003 में तैयार हुआ था, तब आपने कौन-सी बैक डेट का मांगा था? इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है? यह आपके यहां भी हो रहा होगा। डिलिमिटेशन हुआ था। डिलिमिटेशन के बाद जो वोटर लिस्ट आई, तो वह 2003 में नहीं था। इससे एक विधान सभा के मतदाता कहीं और और दूसरी जगह के कहीं और हो गए। जिले में ही चेंज हो गया। क्या उसकी जवाबदारी किसी की नहीं है? हमारे नेता आदरणीय लालजी वर्मा ने आपको सुबह बताया कि रामपुर में दो लोगों के बेटे दुबई में रहते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई। मैं यहां इस सदन में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकारी पैसे से आपने हमारे हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को इजराइल की लड़ाई

वाले मैदान में झाड़ू-पोछा लगाने के लिए, लड़ाई में लड़ने के लिए, जान देने के लिए भेज दिया और फिर डुगडुगी बजा रहे थे कि हम अपने बच्चों को विदेश में नौकरी दे रहे हैं। क्या हमारे वे बच्चे, जिनको इजराइल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं हैं? यदि नहीं हैं, तो हमारे बच्चों को बाहर भेजकर नागरिकता न दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी गुनहगार हैं।? (व्यवधान) अरे! ज्ञान दूसरों को दीजिए कि विधान सभा में विषय उठाएं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : राजीव राय जी, आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री राजीव राय : इन लोगों की आदतें देखिए। इनकी बुद्धि खुलती है, जब कोई और बोलता है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता है।

माननीय सभापति : आप उनकी बात को मत सुनिए। आप अपनी बात कहिए।

श्री राजीव राय : अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के साढ़े तीन करोड़ लोग देश से बाहर रह रहे हैं। हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर के डेलिगेशन में गए थे, तो हर जगह हमें इंडियन डायस्पोरा से माहौल बनाने के लिए बात करने का मौका दिया गया। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में भी गए, तो वहां भी मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे नेता भी हैं और इस समय चेयर पर भी बैठे हैं। आप बताइए कि जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, हर साल आते हैं, वे देश के नागरिक हैं या नहीं हैं? उनको वोट देने का अधिकार होगा या नहीं होगा? यदि रामपुर के दो बच्चों का यह अधिकार नहीं है, तो आप यहां से घोषणा करिए कि वे साढ़े तीन करोड़ लोग, जो कि प्रधान मंत्री जी जब बाहर जाते हैं, तो उनसे मोदी-मोदी के नारे लगवाते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इस बात का फैसला भी हो जाना चाहिए।

लोकतंत्र के नाम पर ? * होता रहे, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का पुजारी खामोश रहे, यह कैसे संभव है? अगर मैं चुनाव आयोग को लिखित रूप में विवरण देता हूं, वह माननीय सांसद के घर के बगल में रहता है तो चुनाव आयोग को ज्ञानेश प्रसाद को ज्ञान देने में कौन सी कमी रह जाती है कि वे राजीव राय के सामने बता नहीं सकते हैं। इससे उनका अपमान हो जाएगा। वे सदन छोड़ कर वहां जाने के लिए क्यों कहते हैं?

आप लोग रिफ्यूजी की बात करते हैं। निशिकान्त दुबे जी यहां से चले गए हैं। मैं जब से इस सदन में आया हूं, यहां हर बार घुसपैठिए का रोना रोया जाता है। हमारे यहां इतने मुसलमान थे, अब इतने मुसलमान हो गए। हमारे यहां उतने मुसलमान थे, अब उतने मुसलमान हो गए। हमारे यहां बांग्लादेशी आ गए। झारखंड में एसआईआर हो गया है, बिहार में एसआईआर हुआ है, तो वे घुसपैठिए कहां गए? उन्होंने ऐसे कितने लोगों को पकड़ा है? सरकार इतनी कमजोर है। अगर मैं कठोर शब्दों में कहूं तो मुझे कोई संकोच नहीं है कि अगर सरकार इतनी ? * है कि वह सदन में आकर रोती रहती है कि हमारे यहां घुसपैठिए आ गए तो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैंने दिन भर बोलने के लिए इंतजार किया है तो बोलने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं जो आप नहीं बोल सकें, वह बात मैं बोल रहा हूं। जो मेरी पीड़ा है, वह आपकी भी है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी पार्टी से समय की बाध्यता भी है। आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गया है।

श्री राजीव राय : सभापति महोदय, मैं सबूत लेकर आया हूं। ये नाम डिलिट कर दिए गए हैं। मेरे परिवार के लोग मेरे ही साथ दिन-रात रहते हैं, उनके नाम डिलिट कर दिए गए हैं। आप लोकतंत्र के मंदिर में इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या आप सरकार को निर्देश देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए? जिन अधिकारियों ने बिना पूछे जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया। आप यह भी बता दीजिए कि जहां से यह डिलिट किया जाता है, उसकी ऑफिस दिल्ली में भाजपा आईटी सेल के पास है। उसका पासवर्ड जिले में और मुख्यमंत्री के ऑफिस में दे दी जाती है कि application has been received, request has been accepted and your name has been corrected. इसकी जांच होगी या नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करिए। आपकी सारी बातें रिकॉर्ड में आ गई हैं।

श्री राजीव राय : सभापति महोदय, बातें इतनी है कि घंटों कम पड़ जाएंगे। चूंकि मैं आपकी पीड़ा के बारे में भी बोल रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय दे दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मेरी पीड़ा के बारे में नहीं बोलिए। आप अपनी बात कहें।

श्री राजीव राय : सभापति महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सुझाव दिए हैं, जो अन्य नेताओं ने सुझाव दिए हैं, एलओपी ने जो सुझाव दिए हैं, मैं समय बचाने के लिए उन सुझावों से अपने आपको संबद्ध करते हुए इस सरकार के गृह मंत्री जी से एक मांग करता हूं कि जब कल वे सदन में जवाब देने आएं तो मैंने जो यह दिखाया है कि लोकतंत्र के चेहरे पर कालिख पोतती हुई, ये काली-काली लाइनें हैं, इनका जवाब जरूर दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।?(व्यवधान)

***m67श्री पी. पी. चौधरी (पाली) :** सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय चुनाव सुधार पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। काफी विषय हमारी पार्टी की तरफ और कई वक्ताओं के द्वारा कवर की जा चुकी है। मैं खास कर उस विषय के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी ने इसको अच्छी तरह से नहीं देखा है। मुझे यह भी लगता है कि उनको यह भी पता नहीं है कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 324 देखें तो इसके तहत जो एग्जेक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वह पैरालेल पावर, इंडिपेंडेंट पावर, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के पास एग्जेक्यूटिव पावर है और उस पावर के लिए भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि चाहे वह आर्टिकल 327 के तहत हो या विधान सभा की आर्टिकल 328 हो, उस पावर को पार्लियामेंट अपने किसी भी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट किसी भी लॉ के द्वारा आर्टिकल 324 को कमजोर नहीं कर सकता है, उसको अमेंड नहीं कर सकता है।

अगर आर्टिकल 324 अमेंड होता है तो सिर्फ 368 के तहत भारत का संविधान जब अमेंड होगा, तभी हो सकता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत होगा। चुनाव आयोग की जो पावर है, वह डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर की पावर है, वह अमेंड नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग को एक्जिक्यूटिव पावर इम्मेंस है, हमें रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखने से

पहले यह देखना चाहिए कि आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के पास जो पावर है, उस पावर को चुनाव आयोग रिविजन ऑफ वोटर्स लिस्ट चला रहा है, यह आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को पावर है, पार्लियामेंट भी उसको लिमिट नहीं कर सकती है, कमजोर नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। अगर आर्टिकल 324 में आपके सामने तीन लाइन पढ़ कर बताऊंगा । The superintendence, direction and control of election should be vested in Election Commission. The preparation of the electoral rolls includes special intensive role, each and everything. It is so exhaustive that there is no need to go anywhere. We can see that only in Article 324, the power of the Election Commission is there and at the cost of repetition, I am saying that this power of Election Commission under Article 324 cannot be curtailed even under Article 327 because Article 327 specifically provides that Parliament can make a law, Parliament can enact a law in accordance with the Constitution of India. Without prejudice, the power contained under Article 324 of the Constitution of India meaning thereby पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन के पावर कट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरोल रोल्स को खत्म नहीं किया जा सकता है। आप एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, वह इसमें बिल्कुल क्लियर कट आता है। वर्ष 2023 तक जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहली बार आया, उसके पहले जो अप्वाइंटमेंट थे, आर्टिकल 324(2) के तहत on the aid and advice of the Council of Ministers भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। कांस्टीट्यूशन में साफ लिखा है कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती। लेकिन इस बीच 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय तक पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, जिसे सभी मिसइंटप्रेट कर रहे हैं और गलत बता रहे हैं। लेकिन उसमें साफ कहा है, जब तक यह पावर पार्लियामेंट की है, तब तक यह फील्ड अनअक्युपाइड है।

माननीय सभापति : आपने उनको सुना, लेकिन आपको सुनने के लिए वे नहीं हैं।

श्री पी. पी. चौधरी : सभापति महोदय, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया नहीं है, जब तक पार्लियामेंट लॉ बनाए, तब तक हम यह व्यवस्था दे रहे हैं कि कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। जब वर्ष 2023 में पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, उस लॉ को यहां बैठकर लोगों ने बनाया। वही लोग वापस कह रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है। पार्लियामेंट का लॉ है, एक्ट है, एक्ट के तहत कमेटी कन्स्टीट्यूट हुई है, कमेटी 2023 में बनी है। वर्ष 1950 से इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति होती थी, वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत होती थी, लेकिन अब उनको गाइडेंस देने के लिए उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं रखा है। उसके बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर की कमेटी बनी है, उसके आधार पर निर्णय होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कानून को पढ़ना नहीं चाहते हैं। जनता को एक गलत मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको तकलीफ है तो आपने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है। आप वहां पर जाकर बात कीजिए, आपने चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं दिया है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत एग्जिक्यूटिव पावर से इंसूलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 206 में साफ कहा है कि:

?Article 324 is a reservoir of power to be used for holding free and fair elections. The Commission as a creature of the Constitution may exercise it in an infinite variety of situations. In a democracy, the electoral process plays a strategic role.?.

सुप्रीम कोर्ट बताता है कि यह पावर इलेक्शन कमीशन के पास हैं और इनफिनिटिव वैराइटी ऑफ सिचुएशन में इन्हें एक्सरसाइज कर सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि एसआईआर भी शामिल है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 को इंटरप्रेट किया है कि बिना किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिपल एक्ट के सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास हैं और उसकी पावर बिना संविधान संशोधन के कोई कम नहीं कर सकता है और संविधान संशोधन हो नहीं सकता है क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर आफ दि कांस्टीट्यूशन है। मैं मोहिंदर सिंह गिल केस का एक पैरा पढ़ना चाहूंगा:

?Article 324(1) is thus couched in wide terms. Even so, both Articles 327 and 328 are subject to the provisions of the Constitution which include Article 324. The framers of the Constitution took care to leaving scope for exercise of residuary power by the Commission. This residuary power is S.I.R. Every contingency could not be foreseen. That is why there is no heading in Article 324. The Commission may be required to cope with some situation which may not be provided for in the enacted laws and the rules.

महोदय, मैं अमीन अहमद केस का एक पैरा-7 भी पढ़ना चाहूंगा:

?Parliament enacted the Representation of the People Act by virtue of the legislative authority conferred by Article 327 of the Constitution. Article 327 is however expressly subject to other provisions of the Constitution, that is Article 324. In this connection, Article 324 is important. Article 324(1) states that the superintendence, direction, and control of the preparation of the electoral rolls for and the conduct of all elections to Parliament and to the Legislature of every state, including the appointment of the Election Tribunals for the decision of the doubt and disputes arising out of or in connection with elections to the Parliament and the Legislatures of the States shall be vested in the Election Commission.?

महोदय, सुप्रीम कोर्ट और ज्यूडिशयरी भी ऐसे मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता ने कांस्टीट्यूशन की किताब दुनिया को दिखाने के लिए रख ली है, लेकिन यदि आज वे सदन में होते तो हम कांस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लेते कि आर्टिकल 24 क्या है। सिर्फ कांस्टीट्यूशन की किताब रखने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में क्या कहा और कांस्टीट्यूशन में क्या है और इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स दी हैं, ये जानना जरूरी है। सिर्फ एक वाक्य कहना कि वोट चोरी हो रही है और एसआईआर नहीं हो सकती है, इसी वजह से मेघवाल साहब ने सही कहा कि धूल आइने पर नहीं है, बल्कि चेहरे पर है। जब तक चेहरे की धूल साफ नहीं करेंगे, तब तक ये बीजेपी को हिलाया नहीं जा सकता है। जब उन्हें समझ आ जाएगा कि धूल चेहरे पर है और उसे पहले साफ करना है तो फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगातार चुनाव के दौरान यह कहना कि भारत का संविधान बदला जा रहा है, यह सही नहीं है।

महोदय, मैं चुनाव सुधार के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि झूठ बोलने की सख्त सजा होनी चाहिए जो हमारे देश में नहीं है। कोई भी कुछ भी कह लेता है, इसलिए इलेक्शन रिफार्म में ऐसा कानून लाना चाहिए जो कि झूठ बोलने पर उसकी सदस्यता चाहे लोक सभा की सदस्यता हो या राज्य सभा की सदस्यता हो और चाहे किसी तरह का भी रिप्रेजेंटेटिव हो जिस पर रिप्रेजेंटेटिव आफ पीपल एक्ट लागू होता है, उसकी सदस्यता खत्म करने का प्रावधान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट माना है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट माना है। उनके जजेज़ के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो,उनके लिए भी इम्पीचमेंट हेतु वही प्रोसीजर किया गया है। अत: इम्पीचमेंट के लिए कम्प्लीटली उनको प्रोटेक्ट किया है। वे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की वजह से इनको कई जगह तकलीफ आई। राजीव गांधी जी को भी इलेक्शन कमिश्नर से तकलीफ आई। इम्पीचमेंट के अलावा अब ये जो एसआईआर की बात कर रहे हैं, तो इनसे सीधा सवाल पूछें। वर्ष 2002 के बाद अर्बनाइजेशन हुआ। कई लोग शहरों में बसे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। वे वहां पर ऑर्डिनरी रेजीडेंट नहीं हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है। सिटिजन और ऑर्डिनरी रेजीडेंट में कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। उसमें दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं कि वह सिटिजन के साथ ऑर्डिनरी रेजीडेंट भी होना चाहिए। ऑर्डिनरी सिटिजन वे हैं कि वे वोटर कहीं के हो सकते हैं, जहां के ऑर्डिनरी रेजीडेंट्स हों। अगर ऑर्डिनरी रेजीडेंट नहीं हैं और उसका नाम वोटर लिस्ट में है तथा वह दूसरी जगह 25-30 साल पहले शिफ्ट हो चुका है, वहां भी नाम है। इसका मतलब है कि उसके नाम की डुप्लिकेशन को ठीक करना है या नहीं करना है? राहुल जी बता रहे थे कि एक ब्राजीलियन लेडी है, उसका कितनी बार नाम आ चुका है। आपके समय से जो गलतियां हुई हैं, वर्ष 2014 से पहले आपने जिस वोटर लिस्ट को बिगाड़ रखा है, उसे ठीक करने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। यह देशहित और पब्लिक इंट्रेस्ट में है।

महोदय, जो मतदाता मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, क्या उनको उस लिस्ट में रखना चाहिए? बिहार में 22 लाख मतदाता, जो ऑन रिकॉर्ड मर चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में रहें, ताकि ये फर्जी मतदान कर सकें। इनकी यह आदत लगातार बनी हुई है। इसीलिए मरे हुए मतदाताओं के नाम पर ये फर्जी वोट देते थे या दिलवाते थे। इस

तरह की इनकी आदत बन गई है। इसके अलावा कई लोगों का अता-पता नहीं है। कई लोग रोहिंग्या हैं। मैं बिहार की बात नहीं करूंगा। निशिकांत जी बता रहे थे कि बंगाल में कितने लोग वोटर बने। दूसरे देश बांग्लादेश से लोग आकर चुनाव में भाग लेंगे तो सरकार कैसे यह होने देगी। जो काम इनको करना था, वह आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लगभग 65 लाख ऐसे मतदाता थे, जिनके नाम फर्जी जुड़े हुए थे। अगर वे सही होते, तो सक्षम अधिकारी के सामने आकर अपनी शिकायत देते और नाम जुड़वाने के लिए एप्लिकेशन देते। मेरी जानकारी में आया कि 65 लाख में से केवल 70 हजार लोगों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए एप्लिकेशन दी। इसका मतलब 64 लाख से भी अधिक लोगों को इससे कोई लेना-देना नहीं था और ये कह रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं।

सभापति जी, बीएलओ रेस्पेक्टिव पार्टी का होता है। उनकी उस गांव व बूथ में जिम्मेदारी होती है। नाम जुड़वाना, नहीं जुड़वाना ,गलत नाम हटवाना या जो मतदाता सही है, उसका नाम जुड़वाना, यह उनका काम है। इनकी पार्टी के सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन हार इनको पच नहीं रही है। राहुल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के चुनाव से पहले ही एसआईआर पर जिस तरह से बोले और बिहार की जनता ने इनको खारिज कर दिया, क्योंकि ये असत्य बोलते हैं। आज की तारीख में मतदाता बहुत समझदार है। यह सही कहा गया है कि धूल आपके चेहरे पर है और आप आईना पोंछ रहे हैं। आप कब तक आईना पोंछेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दे सकते।

उसके साथ- साथ मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा। पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर और भी जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन किया गया और लोगों को आराम से आने दिया गया, वहां पर लाखों की संख्या में वे लोग हैं और वे कह रहे हैं कि अब मिले नहीं। अब वे वापस भागने लगे। उनको पता है कि पकड़े जाएंगे। अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें, तो यह हाल हो रखा है। वहां एक भय का वातावरण खड़ा कर दिया गया है। वर्ष 2023 में पंचायत पोल में पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर टीएमसी का शासन है, वहां पर इलेक्शन वॉयलेंस में 40 लोगों की मृत्यु हुई और करीब 20 हजार बूथ कैप्चर्स हुए।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमारे कांग्रेस के मित्रों ने अभी एक्ट की बात की। जब स्पेशियली एक्ट 2023 में प्रावधान है और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, आपको यह पता है, आप वहां जाते हैं। जब लोक सभा ने लॉ पास कर दिया, तो यहां पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। पॉर्लियामेंट का काम पूरा हो गया। पॉर्लियामेंट कुछ कर नहीं सकती है। जब पॉर्लियामेंट ने मेजोरिटी से लॉ पास कर दिया, तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि जजमेंट के द्वारा जो यह व्यवस्था दे रहे हैं, वह तब तक दे रहे हैं, जब तक पॉर्लियामेंट कानून नहीं बनाती है, क्योंकि भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि जब तक पॉर्लियामेंट कानून नहीं बनाती, तब तक हम जो दे रहे हैं, कमेटी की व्यवस्था रहेगी। जैसे ही पॉर्लियामेंट कानून बना देगी, तो उसके हिसाब से होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा है कि आप कैसी कमेटी बनाएंगे? यह कहीं इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन ये जबर्दस्ती उस बात को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से ईवीएम और बैलेट की बात करते हैं, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ईवीएम अभी से नहीं हैं, ईवीएम बहुत पहले से हैं। ईवीएम वर्ष 2014 के भी बहुत पहले से हैं, लेकिन जब तक वर्ष 2014 से पहले ये चुनाव जीतते रहे, उस समय ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उस समय ईवीएम का जो स्टैण्डर्डाइजेशन था, जो टेक्नोलॉजी थी, वह कम थी। उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं थी। जब तक चुनाव जीतते हैं, लेकिन यह अजीबो-गरीब स्टैण्ड है कि जब आप चुनाव हार रहे हो, तब अपने आप को नहीं देख रहे हो कि हमारी गलती क्या है? अब देश की जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। देश का मतदाता बहुत समझदार है। इसीलिए आप बिहार में रिजेक्ट हुए और बिहार में रिजेक्ट होने के बाद भी अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मतदाताओं ने, जो बिहार में शुरू में स्थिति थी, जब मतदाता ने कहा कि यह पार्टी सिर्फ ? * बोलती है और मतदाता को ?* बनाने की कोशिश करती है इसीलिए पूरी तरह से रिजेक्ट किया और ये पांच-छह सीटों तक सीमित होकर रह गए। ये बैलेट पेपर की बात करते हैं। जिस हिसाब से ये पहले बैलेट पेपर पर कब्जा करते थे, अब वह स्थिति आ नहीं रही है। उस वजह से लंबे समय तक इन्होंने उस बैलेट पेपर के आधार पर ये सब किया। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उस टेक्नोलॉजी के तहत हम कह सकते हैं कि ईवीएम में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया, वहां पर भी देखा गया, इन्होंने वहां पर भी शिकायत की, केस लड़ा। उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, तो अब इनको देखना चाहिए कि ईवीएम, बैलेट पेपर और एसआईआर के फालतू मुद्दे उठाकर, इनको कुछ नहीं मिलेगा।

मैं सुप्रिया सुले जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं ईवीएम और एसआईआर वगैरह की बातें मैं नहीं उठाना चाहती हूं, लेकिन दूसरी बातें जो उन्होंने उठायी, उनके साथ मैं अपने आप को संबद्ध नहीं करता हूं। जहां तक चार बातें, खासकर राहुल जी ने कही कि सीजेआई को क्यों रिमूव किया, यह तो पार्लियामेंट ने किया है ।

उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्युनिटी की बात की। उनको कानून का पता ही नहीं है। उनको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि यह इम्युनिटी सभी पब्लिक सर्वेन्ट्स को मिलती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रह गयी, वे सिर्फ एक ही बात कहते हैं - वोट चोरी, वोट चोरी।

हमने आज उनका फिलॉसिफिकल भाषण सुना। उनके भाषण को सुनकर हमें लगा कि ये कहां ले जा रहे हैं और कहां ले जाएंगे? हालांकि, मेरे कई मित्र बोल रहे थे कि वे क्या बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि वे क्या बोल रहे थे, यह उन्हें खुद को ही पता नहीं है। आप बाहर जाकर उनसे पूछ लीजिए, उनको खुद ही यह पता नहीं कि वे क्या बोल रहे थे।

महोदय, ये मेरे लास्ट प्वायंट्स हैं। इसके बाद मैं ?सम-अप? करूंगा। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, कभी भी कॉंग्रेस ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए प्रयास नहीं किया। दिनेश गोस्वामी कमेटी की वर्ष 1990 में रिपोर्ट थी। एन.एन. वोहरा कमेटी ने वर्ष 1993 में रिपोर्ट दी। उसको इन्होंने कुछ नहीं किया।

महोदय, मैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा। जब उनके नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार थी, तब जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके धारा 33ए को लाया गया। कॉंग्रेस के लोग कभी नहीं

चाहते थे कि जो अपराध करने वाले लोग हैं, वे उसके बारे में विवरण दें, लेकिन वाजपेयी जी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया, जिसके तहत अपराधों का विवरण आज देना पड़ता है। पहले चाहे किसी ने किसी का मर्डर किया हो या कुछ किया हो, अगर ऐसा कोई अपराध का मुकदमा उन पर चल रहा होता था तो उन्हें चुनाव लड़ने से पहले उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इसे पहली बार किया। राज्य सभा में पहले जिस हिसाब से चलता था, वह एक तरह से वोट बिकने का काम होता था। वे ओपेन बैलेट करके चुनाव करते थे। इसके बारे में भी बहुत बड़े इलेक्शन सुधार का काम किया गया।

सभापति महोदय, जो लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं, एक संवैधानिक संस्था के बारे में बात करते हैं, मैं राज नारायण वर्सेज़ इन्दिरा गाँधी की बात करना चाहूंगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन्दिरा गाँधी के चुनाव पर भ्रष्ट आचरण की वजह से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ?फेयर एण्ड फ्री इलेक्शन? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वह ?फेयर एण्ड फ्री इलेक्शन? न होने की वज़ह से, उनके भ्रष्ट आचरण की वजह से उनका चुनाव रद्द हुआ। तब पूरे देश में आवाज उठी कि ?सिंहासन खाली करो?, तो उन्होंने पूरे देश पर इमरजेंसी थोप दी। इमरजेंसी थोप कर अपना चुनाव वैलिड कराने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया और यह लिखा कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इतिहास में आज तक किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का कार्य उन लोगों ने किया, जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी ज्युडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके बाद पार्लियामेंट ने कंस्टीट्युशन अमेंडमेंट करके उनके चुनाव को ?अपहेल्ड? किया, लेकिन हमारी ज्युडिशियरी से, पार्लियामेंट से, इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर जनता है। जब वर्ष 1977 में जब इन्दिरा गाँधी जनता की अदालत में गयी, जब वोटर्स के पास गयी तो वर्ष 1977 में जनता ने काँग्रेस को बुरी तरह से ?आउट? किया और जनता ने इमरजेंसी के आधार पर ?आउट? किया। इससे आप सोच सकते हैं कि हमारे मतदाता बहुत ही जागरूक हैं, समझदार हैं। काँग्रेस मतदाता को समझने में भूल कर रही है। ऑपोजीशन के लोग मतदाता को समझने में भूल कर रहे हैं, ?इंडी? अलाएंस के लोग इसमें भूल कर रहे हैं।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बूथ कैप्चरिंग की परम्परा काँग्रेस में अभी की नहीं है, यह बहुत पुरानी है, यह नेहरू जी के समय की है। सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग का मामला वर्ष 1957 में आया था।

सभापति महोदय, आप तो बहुत सीनियर मेम्बर हैं, आपको तो ध्यान होगा कि वर्ष 1987 में जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ? 13 इलेक्टेड मेम्बर्स को किस तरह से थ्रेट दिया गया और रीगिंग करके इलेक्शन को पूरे कब्जे में किया गया, यह काँग्रेस की डीएनए में है। यही नहीं, चुनी हुई सरकारों को अनुच्छेद 356 लागू करके 100 बार से ज्यादा उन सरकारों को बर्खास्त किया और राष्ट्रपति शासन लागू किया और आज ये लोग यह बात करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की चयन समिति में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। आप तो उसमें हैं। आपने तो ऐसी कोई कमेटी ही नहीं बनाई, ऐसा कोई कानून ही नहीं लाया। आज तक उसे प्रेसिडेंट ही करते थे।

जिस हिसाब से हम रिफॉर्म की बात करते हैं, मोदी जी के टाइम जो रिफॉर्म्स हुए, यदि किसी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ? (व्यवधान) इस बार यह लागू होगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए।

महोदय, दूसरी तरफ हम युवाओं की बात करते हैं। जो युवा 18 साल की उम्र का है, उसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। यह काम भी मोदी जी के टाइम में शुरू हुआ। 1 जनवरी को जो युवा 18 साल की उम्र पूरी करेगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा। अगर उसके दो दिन पहले इलेक्शन हो जाए तो वह एलीजिबल नहीं होगा। मोदी जी ने इनके लिए भी प्रयास किया कि इनकी एलीजिबिलिटी चार स्टेप्स में की जाए। इसके लिए उन्होंने 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर का प्रावधान किया। इस पीरियड के पहले कभी भी जब उसकी उम्र 18 साल होती है, तो वह वोट देने के लिए एन्टाइटल होता है। पहले उसको पांच साल के लिए इंतजार करना पड़ता था। अगर हमारे युवाओं के लिए भी किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश के भविष्य हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ।

सभापति महोदय, ?वन नेशन - वन इलेक्शन? की जो बात है, वह भी अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव सुधार है। इसमें गवर्नेंस का भी फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिकली देश को करीब 5 से 7 लाख करोड़ रुपये का पांच साल में फर्क पड़ेगा। जब भी चुनाव सुधार की बात आती है, तब कांग्रेस और इंडिया एलाएन्स के लोग हमेशा विरोध करते हैं। वे कभी भी देश के हित में बात नहीं करते हैं। अगर वे बात करते हैं तो अपने हित के बारे में बात करते हैं, अपनी पार्टी के हित में बात करते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी और भी स्पीकर्स हैं।

? (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : महोदय, मैं सात बजे तक अपनी बात खत्म कर दूंगा। हाउस सात बजे तक एक्स्टेंड हुआ है। ? (व्यवधान) जो व्यक्ति 40 परसेंट तक दिव्यांग हैं, वर्ष 2024 के लोक सभा इलेक्शन में 90 लाख दिव्यांग लोगों को वोट देने का अधिकार मोदी जी ने दिया। जो बुजुर्ग 85 प्लस के हैं, उनमें 81 लाख बुजुर्ग व्यक्तियों के घर जाकर वोट दिलाने का काम किया गया।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि देश में पहले जो नक्सल एक्टिविटीज थी, वर्ष 2009 के लोक सभा चुनाव में करीब 18 लोग मारे गए। वर्ष 2010 में नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ के करीब 76 जवानों को मारा गया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के स्ट्रिक्ट होने की वजह से कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। अक्टूबर 2025 में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया। वर्ष 2025 में अभी तक 1225 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये सारे लोग चुनाव में किसी न किसी तरह से गड़बड़ी करते थे। वे बूथ कैप्चरिंग करते थे। वर्ष 2023 तक 40 ऐसे गांव थे, जहां 40 सालों के बाद मतदान हुआ।? (व्यवधान)

<u>18.58 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: पी.पी. चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है। वह सुप्रीम कोर्ट में दो घंटे तक बोलते हैं।

श्री पी. पी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग ने वर्ष 2025 में करीब 28 सुधार किए हैं। सभी पोलिटिकल पार्टीज से मिल कर उन्होंने सुधार किया है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या इनको एक घंटा और सुनना है?

श्री पी. पी. चौधरी : महोदय, मैं यही बताना चाहूंगा कि चाहे हमारे एक बूथ पर एक ही वोटर क्यों न हो, वहां भी उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। चुनाव सुधार के बारे में मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं, इससे आप भी हमेशा परेशान रहते हैं। झूठ बोलने की जो आदत है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि झूठ बोलने के आधार पर उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कोई झूठ नहीं बोलेगा और गुमराह भी नहीं करेगा।

***m68माननीय अध्यक्ष:** सीनियर एडोवोकेट पी. पी. चौधरी जी ने सदन के अंदर सारे विषयों को रख दिया है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं कल आपको मौका दे दूंगा। क्या और कोई सदस्य बोलने के लिए बाकी है?

वकील साहब, आप बैठ जाइए, क्योंकि आपके बोलने का टाइम पूरा हो गया। कोई भी सदस्य बोल कर तुरंत ही नहीं जाए, क्योंकि यह अच्छी परंपरा नहीं है।

सभा की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 10 दिसम्बर**,** 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

-

19.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, December 10, 2025/Agrahayana 19, 1947 (Saka).

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.